दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 6 | अंक 1 | कुल अंक 61 | जुलाई 2020 | ₹ 120

महत्त्वपूर्ण लेख

- श्रम कानूनों में संशोधन : समग्र विश्लेषण
- दुनिया को कितना बदल देगा कोरोना
- चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता
- स्वास्थ्य क्षेत्र में निजीकरण

टारगेट प्रिलिम्स-2020 आठवीं कड़ी

प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र (भाग-2)

टॉपर से बातचीत

संध्या कुमारी
(BPSC की 60वीं-62वीं परीक्षा में राजस्व अधिकारी पद पर चयनित)

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

क्लासिक पुस्तकें

(प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण)

- मैडनेस एंड सिविलाइज़ेशन - मिशेल फूको
- एसे ऑन द प्रिंसपल ऑफ पॉप्युलेशन - टी. रॉबर्ट माल्थस

संपूर्ण 'योजना', 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) समेत महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार

माइंड मैप एवं महत्त्वपूर्ण निबंध

प्रिलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के हल सहित अभ्यास प्रश्न-पत्र

मानचित्रों से सीखें (भारत एवं विश्व)

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

प्रयागराज शाखा की अभूतपूर्व सफलता के बाद

अब दृष्टि आ रही है

गुलाबी नगरी जयपुर में भी....

ताकि दिल्ली न आ सकने वाले विद्यार्थियों को मिल सके
दिल्ली जैसी गुणवत्ता उनके अपने ही शहर में

जल्द ही आ रहे हैं।

पाठ्यक्रम : IAS और RAS/RTS (दोनों परीक्षाओं के लिये पृथक-पृथक विशेषीकृत बैच)

माध्यम : हिंदी व अंग्रेज़ी (दोनों माध्यमों के लिये पृथक बैच)

श्रेष्ठ अध्यापक हमारे साथ जुड़ने के लिये संपर्क करें

यदि आप RAS/RTS परीक्षा के लिये कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और विषय पर पकड़ व अभिव्यक्ति कौशल के मामले में श्रेष्ठता सिद्ध कर चुके हैं तो एक आकर्षक, स्थायी व सम्मानजनक भविष्य के लिये आपका दृष्टि में स्वागत है। संपर्क करें : विवेक तिवारी-9990427041

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 8750187501

Think IAS... | दृष्टि The Vision | Think Drishti

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 + 10 बुकलेट्स) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 बुकलेट्स) (₹14,000/-)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(35 + 6 बुकलेट्स) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(35 बुकलेट्स) (₹14,000/-)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(34 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

For UPSC CSE (in English Medium)

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

Prelims (17 GS + 3 CSAT Booklets)	₹10000/-
Mains (18 GS Booklets)	₹11000/-
Prelims + Mains (33 GS + 3 CSAT Booklets)	₹15000/-

Offer: Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine with every module

For UPPCS Mains (in English Medium)

Self Learning Modules

19 GS + 1 Essay + 1 Compulsory Hindi Booklets

₹11000/-

Offer: Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine for comprehensive coverage of current affairs

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक परीक्षा)
(19 बुकलेट्स) ₹10,000/-

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(26 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रारंभिक परीक्षा)
(27 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(31 बुकलेट्स) ₹15,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(39 बुकलेट्स) ₹17,500/-

इतिहास
(वैकल्पिक विषय)
(12 बुकलेट्स) ₹7,000/-

दर्शनशास्त्र
(वैकल्पिक विषय)
(4 बुकलेट्स) ₹5,000/-

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय)
(13 बुकलेट्स) ₹7,000/-

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें : 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

Quick Book सीरीज़
की अभूतपूर्व सफलता के बाद
अब प्रस्तुत है

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़

1

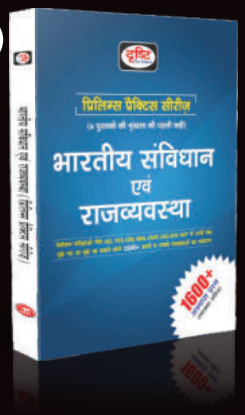

2

3

4

5

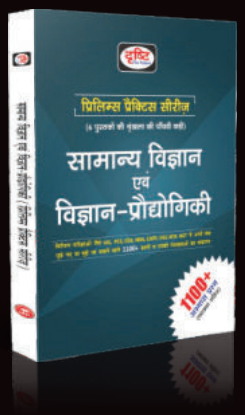

6

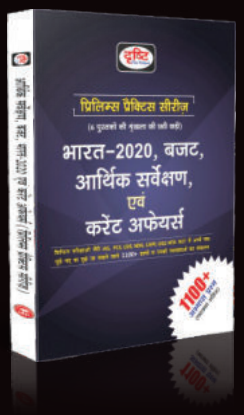

- सामान्य अध्ययन के सभी खंडों के लिये कुल 6 पुस्तकें
- लगभग 10 हज़ार प्रश्नों का संकलन जिनके अभ्यास के बाद कोई टॉपिक नहीं छूटेगा
- IAS, PCS, UGC & NET, CDS, NDA, CAPF परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ-साथ उन संभावित प्रश्नों का भी संकलन जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं
- सभी विकल्पों व सही उत्तरों की व्याख्या भी शामिल, जिसे पढ़ने से ही कई अन्य प्रश्न ठीक होने की संभावना बनती है

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596

E-mail: online@groupdrishti.com, info@drishtiias.com, *Website: www.drishtiias.com

कहाँ क्या है?

संपादक की कलम से... 5
क्योंकि नज़रिया व्यक्तित्व का आईना होता है...

टॉपर से बातचीत 7
संध्या कुमारी
BPSC की 60-62वीं परीक्षा में राजस्व पदाधिकारी पद पर चयनित

लेख खंड 11
राजनीतिक लेख
- *श्रम कानूनों में संशोधन : समग्र विश्लेषण (12)*

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख
- *दुनिया को कितना बदल देगा कोरोना? (15)*

आपदा और आपदा प्रबंधन संबंधी लेख
- *चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता (18)*

ऑडियो लेख
- *स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण (22)*

करेंट अफेयर्स 25
- *अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम (26)*
- *संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम (30)*
- *आर्थिक घटनाक्रम (39)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (46)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (53)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (57)*
- *भूगोल एवं आपदा प्रबंधन (61)*
- *सामाजिक मुद्दे (65)*
- *कला एवं संस्कृति (71)*
- *आंतरिक सुरक्षा (73)*
- *संक्षिप्तियाँ (75)*

जिस्ट 91
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार
- *संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (92)*
- *संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (98)*
- *राजव्यवस्था एवं समाज (106)*
- *अर्थव्यवस्था (110)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (114)*
- *पर्यावरण (117)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (120)*
- *एथिक्स (122)*

क्लासिक पुस्तकें 125
(प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण)
- *मैडनेस एंड सिविलाइज़ेशन : अ हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन द एज ऑफ रीज़न - मिशेल फूको*
- *एसे ऑन द प्रिंसपल ऑफ पॉप्युलेशन - टी. रॉबर्ट माल्थस*

फैक्टशीट 129
- *महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित (129)*

करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर 133
- *मुख्य परीक्षा के लिये संभावित प्रश्न तथा उनके उत्तर (133)*

करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न 139

मानचित्रों से सीखें 142
मानचित्र-1 (142)
मानचित्र-2 (143)

निबंध खंड 144
- *सुंदर वही हो सकता है जो कल्याणकारी हो (144)*
- *निबंध प्रतियोगिता (146)*

माइंड मैप 147
- *भारत में मतदान की अनिवार्यता (147)*
- *भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल (1773-1856) (148)*

टारगेट प्रिलिम्स 2020 : आठवीं कड़ी 149
- *प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र-1 (149)*
- *प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र-2 (163)*
- *प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र-3 (174)*
- *प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र-4 (186)*
- *प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र-5 (198)*

आपके पत्र 210

जुलाई 2020 ■ मासिक ■ वर्ष-6 ■ अंक-1 ■ कुल अंक-61

टीम दृष्टि

- **प्रधान संपादक:** *डॉ. विकास दिव्यकीर्ति*
- **डायरेक्टर:** *डॉ. तरुणा वर्मा*
- **कार्यकारी संपादक:** *पुरुषोत्तम 'प्रतीक'*
- **वरिष्ठ संपादक:** *आलोक कुमार अग्रवाल, शशि भूषण तिवारी, निधि सिंह।*
- **समाचार संपादक:** *कवीन्द्र कुमार यादव, अभिषेक पांडेय, आनंद कुमार।*
- **प्रबंधन परामर्श:** *अजय कड़ाकोटी, मो. आफताब आलम, अभिषेक सिंह, विवेक तिवारी, अमृत उपाध्याय, एकता कालिया, अजय शर्मा, चंद्रप्रकाश राय, अमित कुमार श्रीवास्तव, नेहा चौधरी, जितेन्द्र रोहिला, आनंद शुक्ला, दिलीप कुमार, राजू प्रसाद, गोपाल राय।*
- **संपादन सहयोग:** *मुकुल आनंद, सुशांत कुमार, सुरेश पाल सिंह, सूर्य कुमार द्विवेदी, जगदीश पांडेय, पीयूष कांत गांगुली, पुष्पा कुमारी, प्रवेश चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, नीरज कुमार, विवेक सिंह, दीपक तिवारी, आभा प्रजापति, रोहित नंदन मिश्रा, देवेन्द्र कुमार, अमरजीत पासवान, हरि किशोर यादव, गायत्री, शिवानी सिंह, रविकांत, राकेश राजपूत, श्रवण कुमार सुमन, संत विजय, महिमा राजपूत, रेखा, रीना कुमारी, अवनिन्द्र जयसवाल, एजाज़ अनवर, सूर्य प्रकाश, राहुल कश्यप, सिद्धार्थ कुशवाहा, रवि गोले, मनीषा यादव, पंकज तिवारी, निखिल चौहान, कुमार रविशंकर, यशोधरा, स्मिता वर्मा, रामहंस यादव, राहुल गिरी, राम राठी प्रसाद, प्रदीप मौर्या, मो. फैजुल इसलाम, रामबाबू यादव, अजीत कुमार सिंह, प्रियेष कुमार, नीरज कुंदन, दीपाली तायडे, रमंत झंड, वशिष्ट नारायण, कृष्ण कुमार साह, विवेक कुमार सिन्हा, निशां शर्मा, प्रियंका सिंह, जितेन्द्र कुमार, रेखा वर्मा, अंकित रावत, श्रद्धा भदौरिया, मो. रिज़वान, खुशबू, संजूर आलम, अर्चना शर्मा, जितेन्द्र, हेमंत गुलपाडिया, धीरेन्द्र कुमार बागरी, अंकित त्यागी, चित्रांशु पांडेय, अजीत कुमार पटेल, अंकुर कुमार, हिमांशु सिंह, करिश्मा, मनीषा, बबीता, खुशहाल, केवल कृष्ण पांडेय, आशुतोष सिंह, लोकेश कुमार, सलमान अहमद, हरीश कुमार, आभा कुमारी, ज्योति, किशोर कुमार झा, विकास कुमार, निशा शाहीन, शिल्पी सरकार, ऋतुराज कुमार, दिनेश, नेहा कुमारी, अमित कुमार, नेहा लक्ष्यकर, वर्षा तारण्या, उद्याभान सिंह, प्रीति झा, अमित कुमार, विवेक दिवाकर, आशुतोष कुमार यादव, राजेश कुमार, हिमिका, पिंकी कुमारी, निर्मल कुमार राजू, राम प्रवेश यादव, शशांक श्रीवास्तव, आँचल वसनीक, आरती सिरोही, राहुल कुमार, सौरभ कुमार गोयल, योगेश कुमार सिंह, आतिफा काजी, राजेश्वर प्रसाद पटेल, मनीष कुश्वाहा, विकास तिवारी, अतुल, दीपिका, पूजा उपाध्याय, दीपिका परिहार नेगी, राजदीप चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रेम चंद्र, रोहित सिंह, रोहित कुमार पाठक, अक्षय शुक्ला, साधना सनौडिया, विपिन कुमार यादव, मो. रकीब, मधुबाला, जितेन्द्र कुमार राय, नम्रता सिंह, हिमांशु शर्मा, अनुराग सिंह, अखिलेश कुमार पांडेय, सिद्धांत शुक्ला, साहिल कुमार चौहान, अल्का दरिया, रोशनी, दिपेश कुमार, पंकज कुमार वर्मा, जितेन्द्र चौहान, मीत वर्मा, हर्षवर्धन, भावेश द्विवेदी, सिद्धार्थ पटले, अंकित कुमार, कपिल वर्मा, दीपिका जिंदल, कृष्णकांत चौरसिया, पिंकी शर्मा, हरिओम चिहार, गुलअफ़शाँ, जितेन्द्र कुमार पटेल कलाल, प्रियंका, सोनम साहू, राजीवेश कुमार, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुशील कुमार, राजेश कुमार, पीयूष कुमार, शशाँक चौबे, सत्य प्रकाश, जितेंद्र पांडेय, विनोद कुमार मिश्रा, प्रनेंद्र कुमार राय, आशुतोष शेखर, अभिषेक तिवारी, अंकित कुमार सिंह, मोना, राहुल कुमार यादव, शमा बानो, ललित मोहन राय, जितेंद्र मीना, अराधना, कंचन, अमन गुप्ता, कन्हैया कुमार झा, अंकित यादव, अतुल पांडे, गीतांजली शुक्ला, सुधीर कुमार पांडे, दादा बसंत पाटिल, राहुल मौर्या, अभिषेक राय, विकास कुमार चौबे, अमित कुमार उपाध्याय।*
- **टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग सहयोग:** *लोकेश पाल, जीतेश, अनिल कुमार, विवेक कुमार पाल, पूनम सक्सेना, करुणा अग्रवाल, मेधा, संजू वर्मा, राजो कामती, चेतन कुमार, अमित कुमार बंसल, अखिलेश कुमार, समरजीत सिंह, अजय गुरंग, संदीप कुमार, तारा कुमारी, सुदीप पाल, लोकेश कुमार, पुनीत मंडल, अनुज कुमार, भुपेंद्र पाल सिंह, आसीन, करण भारद्वाज, हिम्मत सिंह, चंदन राम, विशाल।*
- **वेब सहयोग:** *अविनाश कुमार, अनु राज, रवि शंकर, सुनील कुमार यादव, प्रतिभा राय, जया जोशी, शिप्रा, रिमझिम, ब्रिजेश कुमार यादव, जसवंत सिंह रावत, सोनाली चौपड़ा, पायल, प्रिया, सरोज शर्मा, सुषमा यादव, मेघा, गरिमा अरोड़ा, अमित कुमार।*
- **प्रबंधन सहयोग (वरिष्ठ):** *राजेश धस्माना, राजेश कुमार झा, श्रीकांत कुकरेती।*
- **प्रबंधन सहयोग:** *मोहित वालिया, नितेश कुमार झा, मोहित मिश्रा, राकेश सिंह चौहान, कुंदन कुमार, शिव कुमार, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार पाठक, असीम करन, अंशुल तिवारी, सुनील शेलके, संजीत कुमार, विपिन गुप्ता, मनीष जैन, संदेश कुमार डोगरा, मनवीर नेगी, शुभम वर्मा, गीता पाल, प्रीति चौधरी, नीतिका शर्मा, राकेश ठाकुर, अनिता जसवाल, गीता शर्मा, किरण मल्होत्रा, नीरज शर्मा, अभिषेक शुक्ला, नितिन बोबल, तब्बसुम मलिक, इरफान खान, श्वेता, रविशंकर, रहमत, अंजलि मिश्रा, अनुराग मिश्रा, यश कुमार मौर्य, सौरभ कुमार, रंजीत कुमार कुशवाहा, अर्पित सोनी, सौरभ कुमार, गौरव मिश्रा, रजनीश कुमार त्रिपाठी, सबिता गिरी, कृष्ण कुमार, सौरभ अहिरवार, रवि कुमार, अंकुर कुमार, पूजा द्विवेदी, आशीष गुप्ता दीक्षा केशरवानी, मो. आसीम, सिद्धार्थ तिजौरिया, मोहित कुमार पांडेय, हन्नी शर्मा, दीपक कुमार, दिनेश जैन, राजीव कुमार, हिमांशु शर्मा।*
- **मीडिया सहयोग:** *राजकुमार कोले, अर्जुन नेगी, सुभाष पाटिल, श्रवण कुमार, संदीप रावल, अतुल सिंह, तरुण ग्रोवर, सुभाष चंद्र, लक्ष्मण कुमार, धीरज कौशिक, क्षितिज साहनी, अनिल स्टिफन, अखिल कुमार, निपेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, मनोज कुमार, राहुल अग्रवाल, लवनीत सिंह, गणेश हरिभाऊ अधाने, अनिल कुमार पटेल, विष्णु कांत दुबे, रोहित कुमार, कमलेश कुमार, पवन दुआ, मनदीप रावत, दुर्गश कुमार सिंह, नंद किशोर, कमलेश कुमार कमल, सुनील कुमार सिंह, राम नायक तिवारी, रोहित कुमार, रवीन कुमार जी, शिवकांत शुक्ला, राजेश जॉन, वीरू निशद, अजय सिंह मेहता।*
- **दैनंदिन सहयोग:** *गजेन्द्र, रवि कुमार, भावेश गिरी, महेश कुमार, दिलीप तिवारी, विकेश कुमार, पंचानन मिश्रा, अंकित यादव, पुनीत कांगड़ा, राहुल कुमार, मनोज कुमार, अविनीश श्रीवास्तव, सलमान, मो. शकील, सुरेन्द्र रॉय, अमित कुमार रोहिला, दीपक पाल, ऋषभ कुमार, साहिल, सुभाष कुमार, राम सूरत यादव, राजू शर्मा, मनीष कुमार, दीपक कामती, ज्ञान प्रकाश मौर्या, प्रवीण, सूरज प्रकाश, अजीत कुमार, बलवंत सिंह, विश्वेंदर चौधरी, इम्तियाज़ अंसारी, मनोज सिंह, मन्नु कुमार, मुन्ना, सतीश, दिनेश कुमार मिश्रा, सुजीत यादव, विनय कुमार, कैलाश मल्होत्रा, नरेश राय, संतोष कुमार कामत, मनु चौधरी, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक, सुजीत कश्यप, तरुण, नरेंद्र कुमार, हरे राम, अतुल शर्मा, नेत्रपाल, राजेश कुमार, नीशु रोहिला, शिव शंकर पटेल, मो. अरमान, आशु मिश्रा, आशीष, सोचिन कुमार यादव, राजेश कुमार, अमित कुमार रे, सौरभ कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जशवंत सिंह भकुनी, बेचन चौधरी, पंकज कुमार शर्मा, गौरव कुमार, उमेश, जितेन्द्र कुमार, विपिन कुमार, हिमांशु कुशवाह, ऋषिकेश तोमर, सुनील कुमार शुक्ला, लाल बाबू यादव, मोनू (1), सचिन कुमार, पप्पू कुमार, प्रियांशु, ममता, सचिन लाहुडकर, भीकू, गौतम कुमार, अवधेश कुमार, अमन कुमार, तुलसी कुमार, योगेन्द्र सिंह, मो. अख्तर, हरीनाथ, आशीष, रोहित कुमार, निक्की कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार यादव, राम आशीष मिश्रा, सद्दाम हुस्सैन, पप्पू चौधरी, अतुल कुमार, रंजीत, सचिन कुमार, चंद्र भान, सचिन, गोपाल कुमार, दिगम्बर कुमार पासवान, भावेश कुमार, पवन कुमार साहू, संजय कुमार, बोआ झा, राजबीर, रविन्द्र कुमार, विक्रांत सिंह, परवेज़, किशन कनौजिया, सुरेश चंद्रा, रामकिशन बिशकर, अंकित मिश्रा, कौशल शर्मा, नीरज कुमार, लीलावती, श्याम कुमार सौराष्ट्रिया, जितेन्द्र कुमार, उमाकांत शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, दिलीप, उदय पासवान, अमरजीत कुमार, मनीष, आकाश चौहान, अनिकेत कुमार साह, पुनीत कुमार मिश्रा, विनय पांडेय, विजय, छाया देवी नरेंद्र, अरविंद द्विवेदी, प्रकाश सिंह, अभिषेक कुमार, अर्जुन, अनिल कुमार, नगेंद्र, पवन कुमार मोदी, योगेश सिंह, सुरेन्द्र, रवि, अंकित, दिलीप चौधरी, ललित मोहन उपाध्याय, मोहित कुमार तिवारी, प्रिंस कुमार, रोहित, अभिषेक, अंकुश, शिवम, मनीष कुमार, अभिमन्यु कुमार, संदीप, संजय कुमार शर्मा, अभिषेक कौशल, कुमार पाल, विष्णु कांत मिश्रा, मनोज कुमार, सूरज कुमार, पवन कुमार, राहुल, सुनील कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, निहाल तिवारी, अंकित कुमार, विनय, सनोज पासवान, अरविंद, अवनीश कुमार, संजीव, विवेक कुमार, नीतू चौहान, सोनू, मोहित, शिव बहादुर, सुनील, नवीन कुमार मिश्रा, आदर्श प्रजापति, ब्रिजेश कुमार, धर्मराज सिंह, गौतम राज सिंह, श्याम कुमार वर्मा, अतुल, जय प्रकाश मौर्य जावेद, अवध राज शुक्ला, राकेश, देवेंद्र सिंह, हन्नी, उदय भान यादव, ब्रिज मोहन सिंह, राकेश, राम नरेश पंडित, आशीष कुमार, मनीष कुमार शर्मा, परवीन, मोनू कुमार रावत, मो. आफ़ताब, सुमन देवी, दीपक भकुमी, अविनाश, रवि शंकर कुमार, राजू राजन, पप्पू कुमार यादव, शुभव कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार पांडेय।*

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे,
दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों तथा वितरण और विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-

अजय कड़ाकोटी (सी.एफ.ओ.)
(8130392355)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क करें-

9599084248

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक
विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 641,
प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009 से
प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स,
बी-220, फेज़-2, नोएडा
(उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।
संपादक- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

संपादक की कलम से...

क्योंकि नज़रिया व्यक्तित्व का आईना होता है...

अक्सर आपका साबका दो तरह के लोगों से होता होगा- एक वे जो अपनी ज़िंदादिली और उदारता से आपका दिल जीत लेते हैं और दूसरे वे जो अपनी मुर्दादिली, तंगदिली या चिड़चिड़ेपन के कारण आपको अवसाद से भर देते हैं। कहना अनावश्यक है कि हम सब खुद को पहले वर्ग में शामिल देखना चाहते हैं।

मुर्दादिल व्यक्तियों की पहचान यह है कि उन्हें हमेशा किसी न किसी बात से शिकायत रहती है। अगर कोई उन्हें प्यार से खाना बनाकर खिलाए तो वे उस भोजन में भी कमियाँ गिनाने लगते हैं। दरअसल उन्हें खुद को छोड़कर कायनात की हर चीज़ से शिकायत रहती है। किसी की बड़ी-से-बड़ी खूबी पर भी उनके मुँह से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। आमफहम भाषा में ऐसे लोगों को 'मनहूस' कहने का चलन है और अमूमन सभी लोग इनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ, ज़िंदादिल और खुशमिज़ाज लोगों की खासियत यह होती है कि वे बुरी-से-बुरी परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने की वजहें तलाश लेते हैं। उन्हें कोई अधपका खाना भी खिलाए तो उनके माथे पर शिकन नहीं आती, उलटा वे खुशी और कृतज्ञता से भरकर कहते हैं कि 'वाह, यह तो नया स्वाद है'। ऐसे लोग अपनी कमियाँ खुलकर स्वीकार करते हैं और दूसरों की तारीफ में कंजूसी नहीं करते। इनके जीवन में भी तमाम कष्ट और अभाव होते हैं पर ये उनके सामने अपनी सहजता और उदारता को कमज़ोर नहीं पड़ने देते।

अगर आप चाहते हैं कि सिविल सेवा में शामिल होने के बाद आपकी ख्याति भी समाज के नायकों जैसी बने तो आपको बेहद सकारात्मक व ज़िंदादिल व्यक्तित्व बनाना होगा; और चूँकि व्यक्तित्व निर्माण एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है अत: इसके लिये अभी से गंभीर प्रयास करने होंगे। अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा और कुछ नई आदतों को अपनाना होगा।

सबसे पहले, अगर आपको दूसरों की बेवजह आलोचना करने की आदत है तो उसे छोड़ना होगा। बेवजह या निरर्थक आलोचना का मतलब है- बिना कोई समाधान सुझाए आलोचना के लिये आलोचना करना। इस संबंध में आपने एक प्रसिद्ध लोक-कथा ज़रूर सुनी होगी जो संभवत: ऐसे ही व्यक्तियों को आईना दिखाने के लिये गढ़ी गई है। कथा यह है कि एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र बनाकर चौराहे पर रख दिया और साथ में एक टिप्पणी-पुस्तिका पर लिखा कि जिन्हें लगता है कि इस चित्र में कोई कमी है, वे कृपया हस्ताक्षर कर दें। कुछ ही देर में पूरी टिप्पणी-पुस्तिका भर गई। जो भी उस चित्र को देखता, हस्ताक्षर कर देता। बेचारा चित्रकार रुआँसा हो गया क्योंकि वह तो अपने चित्र को बेजोड़ समझ रहा था। खैर, अगले दिन उसने वह चित्र फिर से उसी स्थान पर रखा और इस बार साथ में रंग और ब्रश भी रख दिये। इस बार उसने लिखा कि कृपया चित्र की उन गलतियों को सुधार दें जिन्हें कल आपने पहचाना था। हैरत की बात थी कि पूरा दिन गुज़र गया पर एक भी व्यक्ति ने ब्रश उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। जैसी आलोचना इस कथा में चित्र देखने वाले कर रहे थे, उसे ही निरर्थक या बेवजह आलोचना कहते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर इतना नैतिक व रचनात्मक साहस नहीं होता कि नए विकल्प खड़े कर सकें या समाधान सुझा सकें। ऐसे ही लोगों के बारे में किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है- "जिसकी नज़रों में था हर इंसाँ का चेहरा दागदार, आईने के सामने आकर वो शरमाया बहुत।"

हमें दूसरा प्रयास यह करना होगा कि जब भी किसी का मूल्यांकन करें तो स्वस्थ नज़रिये से करें, उसमें सकारात्मकता बनाए रखें। स्वस्थ नज़रिये वाले लोगों की खास बात होती है कि वे दूसरों की कमियों से ज़्यादा ध्यान उनकी खूबियों पर देते हैं। वे किसी की आलोचना करने से पहले खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर अनुमान करते हैं कि अगर वे स्वयं उन्हीं परिस्थितियों में होते तो क्या वे खुद वैसा व्यवहार कर पाते जिसकी उम्मीद वे उस व्यक्ति से कर रहे हैं? इस सावधानी को ही अंग्रेज़ी के एक मुहावरे में "Putting oneself in someone's shoes" कहा जाता है। इसके अलावा, वे सिर्फ कमियाँ नहीं बताते बल्कि समाधान भी सुझाते हैं। उनकी भाषा प्रोत्साहन की होती है, हतोत्साहन की नहीं।

एक बात और। किसी का मूल्यांकन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जिन कसौटियों पर और जितनी निर्ममता से हम दूसरों की आलोचना करते हैं, वही कसौटियाँ हम खुद पर भी लागू करें। इसी विशेषता को वस्तुनिष्ठता या 'ऑब्जेक्टिविटी' कहते हैं जो वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्तियों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा, यह भी मानकर चलना चाहिये कि छोटी-मोटी कमियों और गलतियों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। प्रसिद्ध ग्रीक विचारक लोंजाइनस ने बड़े पते की बात कही है कि "महानता चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह निर्दोष नहीं होती; उसमें छोटे-मोटे छिद्र रह ही जाते हैं।" अत: दूसरों की छोटी-छोटी कमियों पर असहिष्णु नहीं होना चाहिये और याद रखना चाहिये कि ऐसी कमियाँ हममें भी कम नहीं हैं। ऐसे में संत कबीरदास की ये पंक्तियाँ हमें सही सलाह देती हैं- "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।"

कुल मिलाकर, व्यक्ति को जीवन में कितनी सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है यह मोटे तौर पर उसके नज़रिये से तय होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें समाज तथा प्रशासन में शानदार व्यक्ति के तौर पर जाना जाए तो हमें अपना नज़रिया स्वस्थ बनाना होगा। ऐसा नज़रिया बनाना मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। इसलिये, आज से ही खुद को अपनी गलतियों पर टोकना शुरू कर दीजिये, इससे पहले कि कोई और टोके या टोके बिना ही हमारी नकारात्मकता के कारण हमसे दूरी बनाने लगे।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ. विकास दिव्यकीर्ति)

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

हिंदी साहित्य : पेन ड्राइव कोर्स
(Hindi Literature : Pendrive Course)

प्रिय विद्यार्थियों,

1 नवंबर, 2019 को हमने अपना पहला पेन ड्राइव कोर्स शुरू किया था जो आईएएस प्रिलिम्स परीक्षा के लिये था। जिस दिन वह कोर्स शुरू होने की घोषणा हुई, उसी दिन से लगातार हमें ऐसे संदेश मिलने लगे कि बहुत से विद्यार्थी विकास सर से हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं किंतु वे कक्षाएँ करने के लिये दिल्ली या प्रयागराज नहीं आ सकते। उन सभी का निवेदन था कि हमें हिंदी साहित्य के लिये भी ऑनलाइन या पेन ड्राइव कोर्स का विकल्प उपलब्ध करवाना चाहिये।

इन निवेदनों को देखते हुए, लगभग दो महीनों तक तकनीकी पक्षों पर कार्य करने के बाद, अब हम हिंदी साहित्य के पेन ड्राइव कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इस कोर्स में विकास सर द्वारा ली गई कक्षाओं की ही रिकॉर्डिंग (सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता में) उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा दावा है कि इस कोर्स की कक्षाएँ गंभीरता से करने के बाद किसी विद्यार्थी के लिये हिंदी साहित्य में अच्छे अंक लाना मुश्किल नहीं होगा।

हमें पूरा विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिये कई नए पेन ड्राइव कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

पहले 200 विद्यार्थियों को 10% की छूट

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें
(डेमो वीडियोज़ 6 जनवरी से उपलब्ध)

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** पर **FAQs** पेज देखें

हिंदी साहित्य : पेन ड्राइव कोर्स

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

जानकारी के लिये कॉल करें- 9319290700, 9319290701, 9319290702 या सिर्फ मिस्ड कॉल करें- 8010600300

यूपीएससी सीएलपी | उत्तर प्रदेश सीएलपी | बिहार सीएलपी | मध्य प्रदेश सीएलपी | राजस्थान सीएलपी | उत्तराखंड सीएलपी | छत्तीसगढ़ सीएलपी | झारखंड सीएलपी

दिल्ली शाखा का पता : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज शाखा का पता : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज
Ph.: 8448485517, 8448485519, 87501 87501, 011-47532596

टॉपर से बातचीत

संध्या कुमारी

BPSC की 60-62वीं परीक्षा में राजस्व पदाधिकारी पद पर चयनित

टॉपर का परिचय

नाम: संध्या कुमारी
पिता का नाम: श्री उमेश चंद्र यादव
माता का नाम: श्रीमती ईशा यादव
शैक्षिक योग्यताएँ:
1. 10th, BSEB, Patna, 66%
2. 10+2, BSEB, Patna, 60%
3. B.A. अंग्रेज़ी साहित्य, (ऑनर्स), 52%, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर, बिहार
4. M.A. अंग्रेज़ी साहित्य 62%, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर, बिहार
5. B.ed. 76%, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर, बिहार
पूर्व चयन: माध्यमिक शिक्षक, बिहार सरकार
आदर्श व्यक्तित्व: स्वामी विवेकानंद एवं डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष: परिश्रमी, लक्ष्य के प्रति समर्पित व निष्ठावान
व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष: घरेलू कामकाज में कम रुचि
रुचियाँ: रेडियो सुनना, संगीत, फोटोग्राफी

परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ

परीक्षा का नाम: BPSC 60-62वीं
अनुक्रमांक: 132653
परीक्षा का माध्यम: हिंदी
प्रयास संख्या: द्वितीय

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे: सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

संध्या कुमारी: बहुत-बहुत धन्यवाद! सचमुच यह मेरे जीवन के अब तक के सबसे सुखद अनुभवों में से एक है। लक्ष्य प्राप्त करने का अनुभव सचमुच बेहद आनंददायक होता है।

दृष्टि: क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

संध्या: जी हाँ। सिविल सेवा में आना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। यद्यपि एक शिक्षक के रूप में, मैं समाज व राष्ट्र के निर्माण में योगदान देती रही हूँ, तथापि सिविल सेवा के माध्यम से मैं और भी वृहत् स्तर पर समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनना चाहती थी। आगे मेरी निगाह संघ लोक सेवा आयोग पर है, और इसके लिये मैं गंभीरता से प्रयासरत हूँ।

दृष्टि: सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था?

संध्या: निश्चित रूप से, आज भी युवाओं का पहला आकर्षण सिविल सेवा ही है। इसका प्रमुख कारण इसके द्वारा समाज के लगभग सभी वर्गों के विकास में योगदान देने की संभावना के साथ-साथ इस पद को समाज में मिलने वाली पहचान, आदर व सम्मान है। इसके अलावा कार्यविविधता व राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में रहकर वहाँ के समाज व संस्कृति से रू-ब-रू होते हुए कार्य करने का अनुभव इस सेवा को और भी विशिष्ट बनाता है। मेरा लिये भी इस सेवा में आने का प्रमुख कारण यही था।

दृष्टि: अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थीं एवं सफलता के प्रति आशावान थीं?

संध्या: सिविल सेवा की तैयारी में परिश्रम के साथ धैर्य अति आवश्यक है। साथ-ही-साथ पूरी तैयारी एक लंबी प्रक्रिया भी है। परंतु अगर आपका आधार मज़बूत हो तो लगभग दो वर्ष का समय पर्याप्त है। मैं अपनी तैयारी से संतुष्ट थी। 56-59वीं परीक्षा में भी मैं साक्षात्कार तक पहुँची थी। अत: पूरा यकीन था कि इस बार मेरा चयन ज़रूर होगा और यह बात सच भी हुई।

दृष्टि: यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन से सूत्र रहे?

संध्या: आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जहाँ तक मेरी सफलता का प्रश्न है, मैंने सर्वप्रथम अपना लक्ष्य तय किया। तदुपरांत NCERT व पिछले वर्ष के प्रश्नों का गहन अध्ययन व अवलोकन किया। सारगर्भित लेखन का खूब अभ्यास किया। इस परीक्षा में सफलता के लिये रिवीज़न अति आवश्यक है। उच्चस्तरीय पुस्तकों के अध्ययन के साथ-साथ समसामयिक घटनाओं पर मज़बूत पकड़ मेरी सफलता के अन्य महत्त्वपूर्ण सूत्र रहे।

दृष्टि: आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगी?

संध्या: सर्वप्रथम मैं ईश्वर की असीम कृपा को याद करना चाहूंगी। तदुपरांत मेरे अपने दादा श्री शिवशंकर प्रसाद यादव, दादीजी, माता-पिता, भाई अंकेश व बहन चंदा ने हर कदम पर साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया। तैयारी के दौरान मेरे मित्र सुप्रभास ने भी काफी सहयोग किया। मेरे पति अनंत कुमार का सहयोग व मार्गदर्शन भी अविस्मरणीय रहा।

तैयारी का वह हिस्सा जो किताबों से पूरा नहीं हो सकता,
उसके लिये हम आपको आमंत्रित करते हैं

अपनी लोकप्रिय वेबसाइट पर

www.drishtiias.com/hindi

तैयारी की रणनीति	मेंस प्रैक्टिस प्रश्न	पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी
डेली न्यूज़ और एडिटोरियल (अंग्रेज़ी के प्रमुख समाचार पत्रों से)	राज्यसभा/लोकसभा टी.वी. डिबेट	पी.आर.एस. कैप्सूल
माइंड मैप	Be Mains Ready	टू द पॉइंट
महत्त्वपूर्ण संगठन/संस्थान	एन.सी.ई.आर.टी. टेस्ट	महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स की जिस्ट
डेली करेंट टेस्ट योजना, कुरुक्षेत्र सहित अन्य महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं के टेस्ट	ब्लॉग	यू-ट्यूब चैनल

रोज़ाना एक घंटा इस वेबसाइट पर गुज़ारिये और प्रिलिम्स से इंटरव्यू तक की अपनी तैयारी को मज़बूत आधार प्रदान कीजिये।

For any query please contact:
87501 87501, 011-47532596

लेख खंड

शोधपरक, सारगर्भित और परीक्षोन्मुखी लेखों का संग्रह

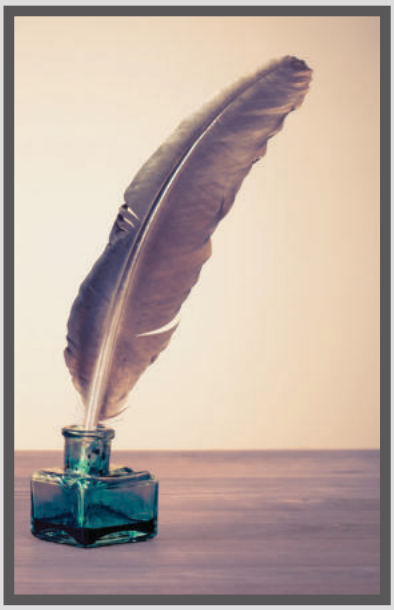

12 राजनीतिक लेख

- श्रम कानूनों में संशोधन : समग्र विश्लेषण

–अंकित 'ममता' त्यागी

15 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख

- दुनिया को कितना बदल देगा कोरोना?

–शशि भूषण (विवेक राही)

18 आपदा और आपदा प्रबंधन संबंधी लेख

- चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता

–अंकित रावत

22 ऑडियो लेख

- स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण

–रिज़वान अंसारी

श्रम कानूनों में संशोधन : समग्र विश्लेषण

अंकित 'ममता' त्यागी

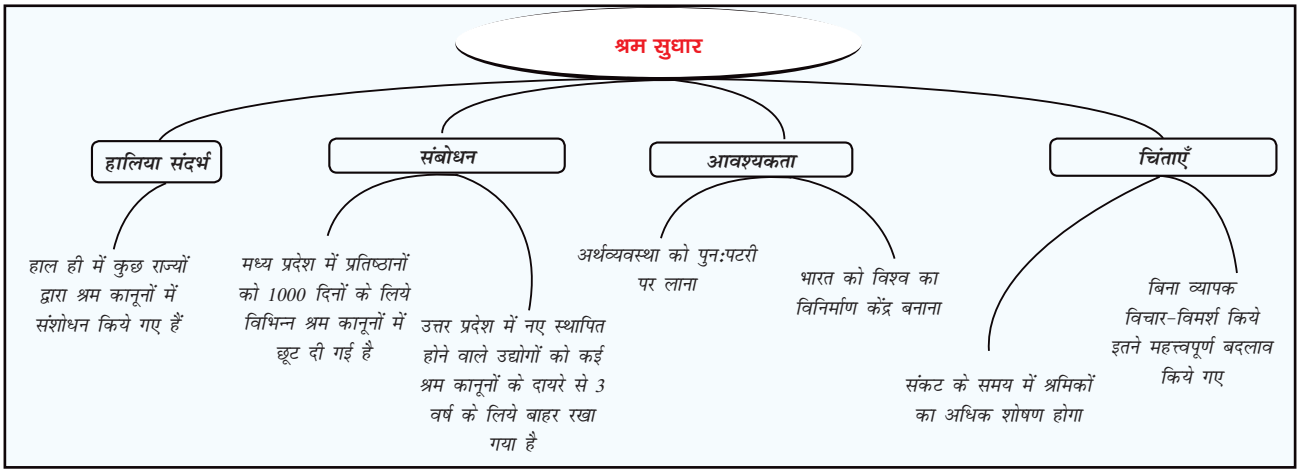

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये भारत सरकार ने शुरुआत में 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके पश्चात् यह लॉकडाउन 31 मई तक और सीमित छूटों के साथ इसके बाद भी जारी रहा। लॉकडाउन की अवधि में अधिकांश समय तक अनिवार्य वस्तुओं व सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहीं। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों के ठप हो जाने की वजह से कई राज्यों ने व्यवसायों और लोगों की आमदनी के स्रोत प्रभावित होने से संबंधित चिंताएँ व्यक्त की। इसी क्रम में आर्थिक गतिविधियों को पुन: आरंभ करने और आर्थिक विकास को पुन: पटरी पर लाने के लिये कुछ राज्यों ने श्रम संबंधी कानूनों में कुछ रियायतों की घोषणा की। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के नाम प्रमुख हैं। प्रस्तुत लेख में हम भारत में श्रम के विनियमन और श्रम कानूनों में हालिया बदलाव का विश्लेषण करते हुए इन बदलावों की आवश्यकता व इससे जुड़ी चिंताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

भारत में श्रम विनियमन

श्रम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिये श्रम के विनियमन हेतु राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में भारत में राज्यों द्वारा 100 से अधिक श्रम कानून व केंद्र द्वारा 40 से अधिक श्रम कानून निर्मित किये गए हैं। ये कानून श्रम के विविध पक्षों का विनियमन करते हैं। व्यापक रूप से श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- पारिश्रमिक, कार्यदशाएँ, औद्योगिक संबंध व सामाजिक सुरक्षा। उल्लेखनीय है कि श्रम कानूनों के अभिपालन में सहजता व केंद्रीय श्रम कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में श्रम कानूनों के संहिताकरण (Codification) की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है। राज्यों द्वारा श्रम के विनियमन की बात की जाए तो राज्य इसके लिये स्वयं भी कानून बना सकते हैं और केंद्रीय कानूनों को राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार समुचित संशोधन के साथ भी लागू कर सकते हैं। चूँकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची का विषय है इसलिये राज्य के कानून और केंद्र के कानून में किसी प्रकार के टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। राज्य का कानून केवल उस स्थिति में प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति ने राज्य के कानून को अपनी सहमति दी हो।

हालिया संशोधन

हाल में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने मौजूदा श्रम कानूनों के कई प्रावधानों को निलंबित करने के लिये अध्यादेश जारी किये हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी नियमों के माध्यम से श्रम कानूनों में छूट को अधिसूचित किया है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा किये गए हैं। दरअसल इन दोनों सरकारों ने अपने राज्यों की सीमाओं के भीतर प्रवर्तित अधिकांश श्रम कानूनों को कुछ अवधि के लिये निलंबित कर दिया है।

6 मई को मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 'मध्य प्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020' जारी किया। इस अध्यादेश के माध्यम से राज्य के दो महत्त्वपूर्ण श्रम कानूनों में बदलाव किये गए हैं: मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 एवं मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982। औद्योगिक नियोजन अधिनियम राज्य में नियोजन की शर्तों का विनियमन करता है और ये शर्तें 50 या इससे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। अध्यादेश द्वारा कर्मचारियों की संख्या की उक्त सीमा को 100 या इससे अधिक कर्मचारियों तक के लिये बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि 100 से कम कर्मचारी संख्या वाले प्रतिष्ठानों पर अब यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा, श्रम कल्याण निधि अधिनियम में एक कोष के गठन का भी प्रावधान है जो श्रम कल्याण से संबंधित गतिविधियों को वित्त प्रदान करता है। अध्यादेश इस अधिनियम में संशोधन करके राज्य सरकार को एक अधिसूचना के माध्यम से किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की अनुमति

दुनिया को कितना बदल देगा कोरोना?

शशि भूषण (विवेक राही)

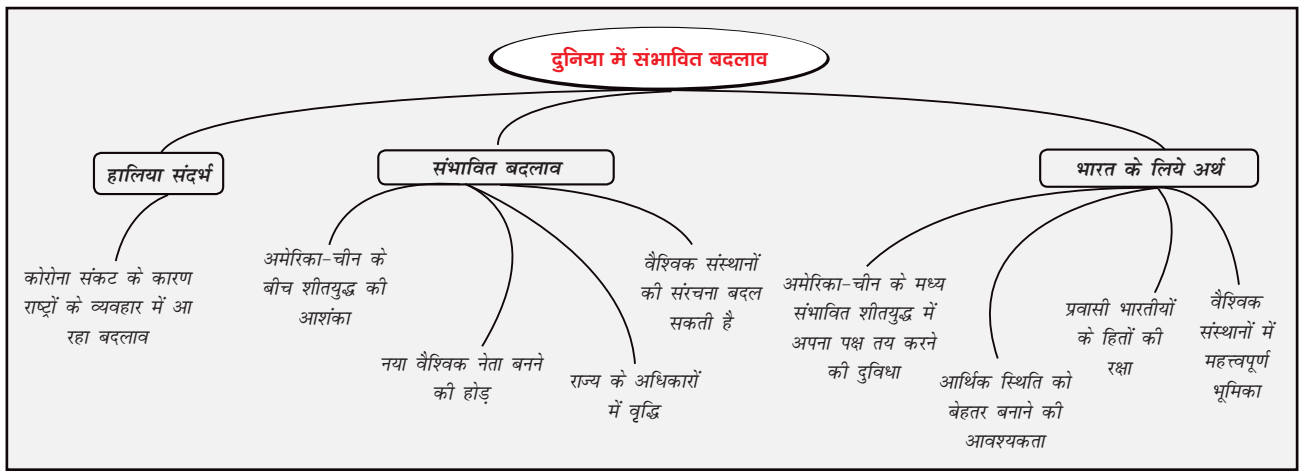

हम सभी कोरोना महामारी के रूप में एक युग परिवर्तनकारी घटना के साक्षी बने हुए हैं। यह संकट दिन दूना-रात चौगुना की रफ्तार से दुनिया को अपनी गिरफ्त में समेट रहा है। 200 से ज़्यादा देशों में इसकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है और दुनिया भर में 60 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण में वृद्धि का संकट जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे ही मनुष्य, समाज और राष्ट्रों के व्यवहार में व्यापक बदलाव होता दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव है राष्ट्रों के व्यवहार में आ रहा बदलाव, क्योंकि राष्ट्रों के व्यवहार से ही दुनिया का व्यवहार तय होता है।

कोरोना संकट से हुए व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में परिवर्तन के बाद यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि यह महामारी समग्र रूप से दुनिया को किस प्रकार परिवर्तित करेगी। कोरोना संकट से जूझते हुए क्या दुनिया पहले जैसी रह गई है या राष्ट्रों के व्यवहार में आ रहे बदलाव इसमें बड़े परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। 21वीं सदी के शुरुआती वर्ष 20वीं सदी में स्थापित व्यवस्थाओं के मार्ग पर चलते हुए ही बीते हैं, किंतु कोरोना महामारी अब एक नई विभाजन रेखा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब नए तरह के संबंध, सहयोग, संघर्ष, कूटनीति, गठजोड़ और प्रतिस्पर्द्धा देखने को मिल रही है। इसकी शुरुआत अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती ज़ुबानी जंग के रूप में होती हुई दिख रही है। गौरतलब है कि 20वीं सदी में अमेरिका-रूस के बीच हुआ शीतयुद्ध वैश्विक परिवर्तनों के दृष्टिकोण से उस सदी की सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती थी जिसके आधार पर देशों के मध्य आपसी संबंधों व संघर्षों का निर्धारण हुआ करता था। अब 21वीं सदी में माना जा रहा है कि रूस का स्थान चीन ने ले लिया है और अब दुनिया अमेरिका-चीन के बीच शीतयुद्ध का साक्षात्कार करेगी।

अमेरिका-चीन के बीच शीतयुद्ध की संभावना

अमेरिका-चीन के बीच शीतयुद्ध की संभावना की पड़ताल करें तो इसके पर्याप्त कारण नज़र आते हैं। कोरोना संकट से पूर्व दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से ही इसकी आहट मिलने लगी थी। दरअसल अमेरिका-चीन के आपसी व्यापार में अमेरिका को बड़ा व्यापारिक घाटा उठाना पड़ता है। ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियों ने अपनी उत्पादन इकाइयाँ चीन में स्थापित कर रखी हैं और चीन जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य निम्न रखता है; ये वे कारण हैं जिनकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही चीन विरोध का मुद्दा उठाए हुए हैं। इसके अलावा हॉन्गकॉन्ग, ताइवान और तिब्बत के मसले पर दोनों देश अलग-अलग राय रखते हैं, दक्षिणी चीन महासागर में चीन की दखलंदाज़ी का भी अमेरिका लगातार विरोध करता रहा है। चीन की ऋणजाल की कूटनीति इत्यादि कई ऐसे मामले हैं जो दोनों देशों के मध्य तनाव में वृद्धि करते हैं। अब तनाव का तात्कालिक कारण कोरोना महामारी बन गई है। चीन इसे जानवर से मनुष्य में आया वायरस बताता है तो अमेरिका इसे चीन की लैब में तैयार वायरस बता रहा है। इसी स्वमान्य तथ्य को आधार बनाकर दोनों देश एक-दूसरे के विरोध में स्वर मज़बूत कर रहे हैं और अपने-अपने खेमे में अन्य देशों को जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यह समझ लेना भी आवश्यक है कि वायरस की उत्पत्ति का मामला दोनों देशों के बीच बढ़ रहे विवाद का बस बहाना भर है, असली वजह पहले से मौजूद विवाद की जड़ें और वर्तमान राजनीतिक संकट है। राजनीतिक संकट यह है कि अमेरिका में इस वर्ष राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव होना है जिसमें दूसरे कार्यकाल हेतु मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। अमेरिका में जिस तरह कोरोना महामारी ने तबाही मचाई उससे ट्रंप के विरुद्ध लोगों में गुस्सा है। ऐसे में ट्रंप की कोशिश है कि उनके विरुद्ध उपजा गुस्सा चीन की तरफ मुड़ जाए और इसीलिये वे कोरोना को चीनी वायरस बताते हुए इसे चीन द्वारा दुनिया पर, खासकर अमेरिका पर किये गए हमले के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चीन में जिनपिंग चीन के इतिहास के सबसे

चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता

अंकित रावत

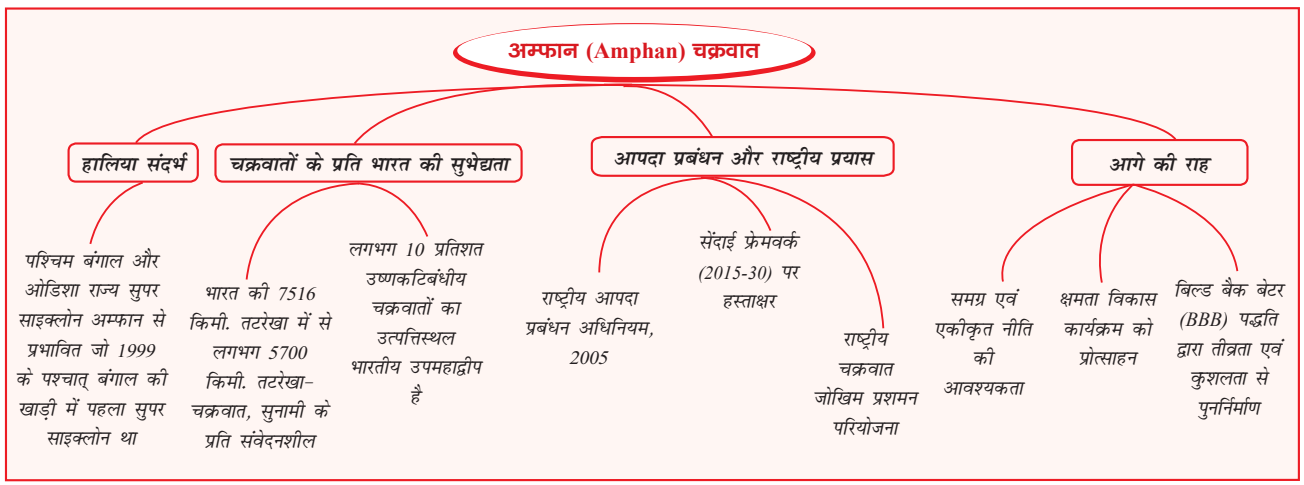

कुछ दिनों पहले, जब न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री 'जैसिंडा अर्डर्न' सुबह 8 बजे कोविड-19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में अपने सरकारी प्रयासों का उल्लेख करते हुए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थीं तभी न्यूज़ीलैंड में 5.6 रिएक्टर पैमाने की तीव्रता का भूकंप दर्ज़ किया गया। विशेष गौर करने वाली बात यह है कि न्यूज़ीलैंड 'रिंग ऑफ फायर' में अवस्थित है- जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएँ सर्वाधिक मात्रा में सक्रिय रहती हैं। 5.6 रिएक्टर की तीव्रता के भूकंप से भी कोई जान-माल की हानि नहीं हुई और जीवन पूर्व की भाँति 'सामान्य' रहा। भूकंप के क्षणों में न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री भयभीत नहीं हुईं; भूकंप के बाद उन्होंने पुनः इंटरव्यू प्रारंभ कर दिया। भूकंप की अवधि में प्रधानमंत्री का निम्नलिखित वक्तव्य एक अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा की समुचित तैयारी और आपदा प्रतिकार में दृढ़निश्चय की ओर इंगित करता है, "मैं किसी भी हैंगिंग लाइट के नीचे नहीं हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं संरचनात्मक रूप से अच्छी जगह पर हूँ।"

इसी तरह 'जापान' में भी बच्चों को विद्यालयी स्तर पर ही आपदा प्रबंधन शिक्षा से अवगत करा दिया जाता है। आपदाओं के अनुकूल लचीले बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाता है; नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल का आयोजन और जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। सबसे बढ़कर, आपदा के समय और आपदा उपरांत न्यूनतम मानव संसाधन की क्षति हो तथा संपत्ति का नुकसान कम-से-कम हो। इसके लिये बेहतर संस्थागत संस्थाएँ मौजूद हैं और संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक उपायों को कुशलापूर्वक संयोजित किया गया है। ध्यातव्य है कि आपदा पश्चात् द्रुतगामी 'रिकवरी' प्रक्रिया जनजीवन को सामान्य बनाने के लिये कारगर साबित होती है।

उपर्युक्त दोनों संदर्भों का उल्लेख करने का मकसद यही है कि हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते लेकिन कुशल तैयारी और मज़बूत आपदा प्रबंधन नीति के द्वारा इनके विनाशकारी प्रभावों को अवश्य ही सीमित कर सकते हैं। क्योंकि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है (Prevention is always better than cure) उदाहरण के तौर पर- वर्ष 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो 9000 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1999 में कुशल आपदा प्रबंधन तैयारी के अभाव में ओडिशा में आए 'सुपर साइक्लोन' के कारण 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। कालांतर में ओडिशा ने सुपर साइक्लोन से सीख लेकर 'ज़ीरो केजुअलिटी' की नीति अपनाते हुए चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने के लिये अपनी तैयारियों को पुख्ता किया। लचीले चक्रवात शेल्टर बनाए ताकि आपदा से न्यूनतम नुकसान हो। तटीय क्षेत्रों में पहले से आपदा की चेतावनी के लिये टॉवर बनाए गए। यही कारण है कि 2019 में अत्यंत गंभीर/खतरनाक चक्रवात (Extremely Severe Cyclone) 'फानी' में केवल 69 लोगों की ही मृत्यु हुई। ओडिशा सरकार के इन आपदा संबंधी प्रयत्नों की विश्व स्तर पर प्रशंसा हुई।

आपदाओं से बचाव इसलिये भी ज़रूरी हो जाता है कि अन्य संकटों की तरह निचले स्तर के व्यक्ति आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपदाओं के प्रति सुदृढ़ प्रतिक्रिया व्यक्त न की जाए, तो ये न केवल देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाते हैं बल्कि एक झटके में ही लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। इससे सामाजिक न्याय, मानव संसाधन विकास, समानता इत्यादि मूल्यों और कल्याणकारी राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों पर भी चोट पहुँचती है। भारत का अलग-अलग क्षेत्र भिन्न-भिन्न आपदाओं के प्रति सुभेद्य है। उदाहरण के तौर पर भारत की 7516 किमी. लंबी समुद्री तटरेखा में से करीब 5700 किमी. तटरेखा पर चक्रवात और सुनामी का खतरा है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 68% भाग आमतौर पर सूखे की चपेट में रहता है, भारत का 15 प्रतिशत भू-भाग भूस्खलन प्रवण है, और कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकायों में बाढ़ का जोखिम व्याप्त है। इसके अलावा भारत रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों तथा अन्य मानव निर्मित आपदाओं से भी जूझता रहता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण

रिज़वान अंसारी

(ऑडियो आर्टिकल शृंखला दृष्टि के यूट्यूब चैनल 'Drishti IAS' पर प्रसारित की जाती है जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों पर अंग्रेज़ी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे लेखों का सार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल The Hindu में छपे लेख, "Making the private sector care for public health" तथा The Indian Express में प्रकाशित लेख, "We must give highest priority to strengthening the public health system" के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं।

कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया मुश्किल के दौर से गुज़र रही है। इस महामारी ने हर देश को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों और उसकी अकुशलता से प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है। भारत भी स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से जूझ रहा है। दूसरे देशों के बरक्स कोविड-19 टेस्ट की धीमी रफ्तार और अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था न होने की खबरों ने भारत को एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं पर मंथन करने को मजबूर किया है।

डॉक्टर्स, नर्स एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाले सरकारी बजट, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आदि ऐसे मापदंड हैं जो किसी देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और इनमें से ज़्यादातर मापदंडों से जुड़े आँकड़े बताते हैं कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या वह समय आ गया है जब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र का पूरी तरह निजीकरण कर देना चाहिये।

हालिया वर्षों में भारत कई सेवा क्षेत्रों के निजीकरण का गवाह बना है। सरकार ने रेलवे समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण की शुरुआत कर आगे भी इसे जारी रखने का संकेत दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या स्वास्थ्य क्षेत्र का पूर्ण रूप से निजीकरण कर देना सही होगा? सवाल है कि क्या स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण कर देने से इस क्षेत्र की समस्याएँ दूर हो जाएंगी? हालाँकि, इससे उलट स्वास्थ्य क्षेत्र सेक्टर का राष्ट्रीयकरण करने की भी बात की जा रही है। ऐसे में इस बात पर चर्चा ज़रूरी है कि सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण या राष्ट्रीयकरण के मामले में क्या रुख क्या होना चाहिये।

स्वास्थ्य क्षेत्र की हालिया स्थिति

पिछले कुछ समय में भारत ने अपने स्वास्थ्य संकेतकों में व्यापक सुधार किया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है और अधिकांश राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कवरेज बेहतर हुई है। लेकिन, इन सब के बावजूद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017' के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 2.5 फीसद खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 के बजट आवंटन के अनुसार भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का 1.2 फीसदी खर्च आवंटित किया गया है। 2018 में ओईसीडी देशों के लिये यह खर्च औसत जीडीपी का 8.8 फीसदी था। स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च के मामले में अमेरिका 16.9 फीसदी, जर्मनी 11.2 फीसदी, फ्राँस 11.2 फीसदी और जापान 10.9 फीसदी खर्च करते हैं। ब्रिक्स देशों की बात करें तो इनमें भारत का खर्च सबसे कम है। जबकि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा 9.2 फीसदी, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 8.1 फीसदी, रूस 5.3 फीसदी और चीन 5 फीसदी खर्च करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक प्रति दस हज़ार आबादी पर डॉक्टर्स की संख्या दस होनी चाहिये। लेकिन, एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दस हज़ार की आबादी पर केवल 6.2 डॉक्टर्स ही उपलब्ध हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया में प्रति दस हज़ार लोगों पर 33, ब्राज़ील में 18, फ्राँस में 32, जर्मनी में 41 और चीन में 14 डॉक्टर्स हैं। इसी तरह, भारत के अस्पतालों में मरीज़ों के लिये उपलब्ध बिस्तरों की संख्या भी संतोषजनक नहीं है। प्रति हज़ार लोगों पर ब्राज़ील में जहाँ बिस्तरों की संख्या 2.3, श्रीलंका में 3.6, अमेरिका में 2.9, जर्मनी में 8.3 है, वहीं भारत में बिस्तरों की उपलब्धता महज़ 0.7 है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के अस्पतालों में चार लाख डॉक्टर और 7 लाख बिस्तरों की कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के डॉक्टर्स की संख्या मात्र 25 हज़ार है जबकि ज़रूरत दो लाख से ज़्यादा की है। विडंबना तो यह है कि देश भर में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 15 हज़ार है जहाँ केवल एक डॉक्टर की उपलब्धता है। वहीं, देश भर में 1500 ऐसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ एक भी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचनाओं की भारी कमी है।

निजीकरण के पक्ष में तर्क

स्वास्थ्य क्षेत्र में कमज़ोर बुनियादी ढाँचे को देखते हुए इसे पूरी तरह से निजी हाथों में देने की बात उठती रही है। हालाँकि, यह भी एक सच्चाई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के मामले में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी है। 2014 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 72 फीसदी और शहरी क्षेत्र में 79 फीसदी इलाज निजी अस्पतालों में होता है। इसके अलावा , विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया है कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले 70 फीसदी खर्च निजी क्षेत्र के संस्थानों के हिस्से में चले जाते हैं।

2017 में नीति आयोग ने सुझाव दिया कि 'अर्बन हेल्थ केयर' को अब निजी हाथों में दे देना चाहिये। इस दायरे में टियर-1 और टियर-2 श्रेणी के शहरों के ज़िला अस्पतालों को लाने की बात कही गई। सरकार के मुताबिक इस निजीकरण का यह कतई मतलब नहीं है कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की अपनी भूमिका से पीछे हट रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्पष्ट रूप

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

Quick Book शृंखला की पुस्तकें

NCERT शृंखला की पुस्तकें

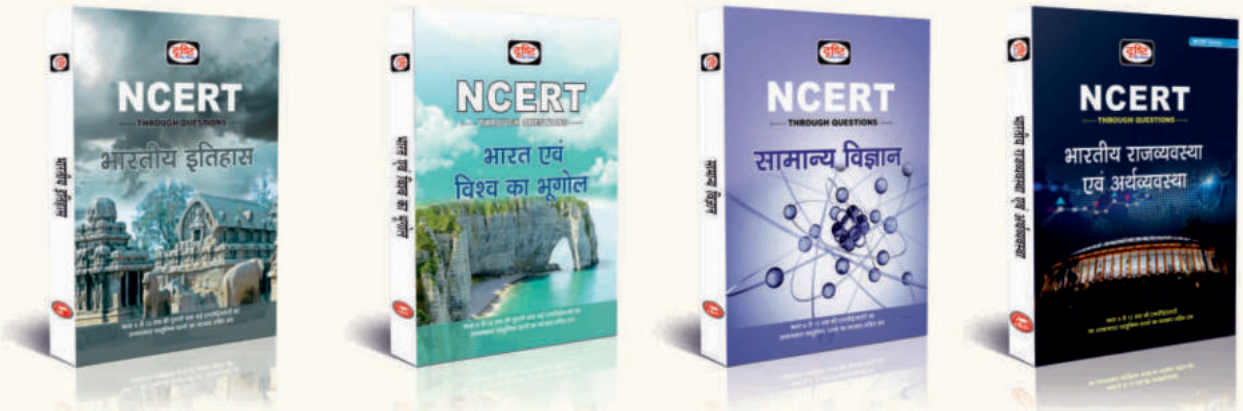

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

करेंट अफेयर्स

(21 अप्रैल-20 मई, 2020 तक कवरेज़)

अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 25-29

- *आत्मनिर्भर भारत अभियान* ★★★ 26
- *प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक* ★★★ 28

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 30-38

- *पंचायती राज व्यवस्था* ★★★ 30
- *निजता पर संकट* ★★★ 31
- *आरक्षण* ★★★ 33
- *आधारभूत संरचना* ★★★ 33
- *महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट* ★★ 35
- *राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल* ★★ 36
- *सहकारी संघवाद* ★★ 37
- *राजीव गांधी किसान न्याय योजना* ★★ 38

आर्थिक घटनाक्रम 39-45

- *सहकारी बैंक एवं सरफेसी अधिनियम* ★★★ 39
- *तेल की नकारात्मक कीमतें* ★★★ 40
- *बैड बैंक: समस्या या समाधान* ★★★ 41
- *राजकोषीय घाटा लक्ष्य* ★★ 42
- *एकीकृत मृदा पोषक तत्त्व प्रबंधन* ★★ 43
- *ऊर्जा दक्षता* ★★ 44
- *ऑपरेशन ट्विस्ट* ★★ 45

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 46-52

- *भारत और हिंद महासागर आयोग* ★★★ 46
- *भारत-नेपाल सीमा विवाद* ★★★ 47
- *अमेरिका की 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट'* ★★★ 48
- *फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट* ★★★ 49
- *अलगाववादियों द्वारा दक्षिण यमन में स्व-शासन* ★★★ 50
- *NAM संपर्क समूह शिखर सम्मेलन* ★★★ 51
- *भारत का स्थायी मिशन* ★★ 51
- *73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा* ★★ 52

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 53-56

- *असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का विलय* ★★★ 53
- *एसएन 2010 केडी* ★★★ 53
- *साइलेंट हाइपोक्सिया* ★★★ 54
- *वेफर-स्केल फोटोडिटेक्टर* ★★★ 55
- *नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपेसिटर* ★★★ 55
- *हल्का कार्बन फोम* ★★ 56

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 57-60

- *ओज़ोन क्षरण* ★★★ 57
- *जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा* ★★★ 58
- *एटालिन जलविद्युत परियोजना* ★★★ 59
- *वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन* ★★ 60

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 61-64

- *'लॉस्ट एट होम' रिपोर्ट* ★★★ 61
- *रासायनिक आपदाएँ एवं उनका प्रबंधन* ★★★ 61
- *जल शक्ति अभियान* ★★ 63
- *दामोदर घाटी कमान क्षेत्र* ★★ 64

सामाजिक मुद्दे 65-70

- *इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा* ★★★ 65
- *वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020* ★★★ 66
- *GOAL कार्यक्रम* ★★★ 67
- *धार्मिक स्वतंत्रता* ★★ 67
- *रिवर्स माइग्रेशन* ★★ 69
- *बंधुआ मज़दूरी* ★★ 69

कला एवं संस्कृति 71-72

- *अमूर्त सांस्कृतिक विरासत* ★★★ 71
- *नए भौगोलिक संकेतक* ★★★ 71
- *खुदाई खिदमतगार आंदोलन* ★★ 73

आंतरिक सुरक्षा 73-74

- *ब्रू शरणार्थी संकट और समझौते का विरोध* ★★★ 73
- *'ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडेचर' रिपोर्ट* ★★★ 74

संक्षिप्तियाँ 75-89

1 अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

आत्मनिर्भर भारत अभियान

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा **COVID-19** महामारी के समय में **अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट** को रोकने तथा **आपदा को अवसर में बदलने** के लिये **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के अंतर्गत **₹20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज** की घोषणा की गई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में

- प्रधानमंत्री के अनुसार, **21वीं सदी के भारत** के सपने को साकार करने के लिये देश को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में **आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) की परिभाषा** में बदलाव आया है। **आत्मनिर्भरता, आत्म-केंद्रित से अलग** है।
- आत्मनिर्भर भारत पाँच स्तंभों पर खड़ा होगा- **अर्थव्यवस्था (Economy), अवसंरचना (Infrastructure), प्रौद्योगिकी (Technology), गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography) और मांग (Demand)।**
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित **आर्थिक पैकेज पूर्व घोषणाओं तथा RBI द्वारा लिये गए निर्णयों को मिलाकर ₹20 लाख करोड़** का है, जो भारत के **'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)** के लगभग **10%** के बराबर है। **इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों (Land, Labour, Liquidity and Laws) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।**

आर्थिक पैकेज का पहला चरण

- **₹5.94 लाख करोड़** के प्रथम चरण में **मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को कर्ज़ देने, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों** तथा **विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करने** की घोषणाएँ की गई।
- **MSME की परिभाषा में परिवर्तन** किया गया है। MSMEs को परिभाषित करने के लिये अब **निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों का उपयोग** किया जाएगा।
- MSMEs क्षेत्र के लिये **कोलेट्रल मुक्त ऋण** की घोषणा की गई है जिससे लगभग **45 लाख लघु और मध्यम इकाइयों को लाभ** प्राप्त होगा।
- **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** के लिये **30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना** की घोषणा के साथ **₹200 करोड़ तक अनिवार्य सोर्सिंग** का प्रस्ताव, **RERA अधिनियम** के तहत परियोजना में छूट, **बिजली वितरण कंपनियों में ₹90,000 करोड़ का तरलता प्रवाह, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)** के अंतर्गत छोटी इकाइयों में **कम आय वाले संगठित श्रमिकों** की **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)** सहायता में तीन महीनों के लिये वृद्धि, अनिवार्य EPF योगदान **12% से घटाकर 10%** करना, **वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर रिटर्न की समय सीमा को 30 नवंबर, 2020 तक विस्तारित करना** आदि प्रमुख घोषणाएँ की गई है।

आर्थिक पैकेज का दूसरा चरण

- सभी प्रवासी मज़दूरों को **मई और जून 2020 तक दो महीने के लिये खाद्यान्न की आपूर्ति** की जाएगी। साथ ही **देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन के सार्वजनिक वितरण को** सुनिश्चित करने में **प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'** योजना के तहत मार्च **2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी** प्राप्त करना।
- भारत सरकार **₹50,000 से कम का शिशु मुद्रा ऋण** लेने वालों के मामले में शीघ्र भुगतान करने वाले लोगों को **12 महीने की अवधि के लिये 2 प्रतिशत की ब्याज छूट** प्रदान करेगी।
- स्ट्रीट वेंडर्स की ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से **50 लाख स्ट्रीट वेंडर** लाभान्वित होंगे और **₹5,000 करोड़** उनके पास प्रवाहित होंगे।
- **मध्यम आय समूह (MIG)** के लिये **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना** का मार्च 2021 तक विस्तार किये जाने से **वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ** होगा और **आवासन क्षेत्र में ₹70,000 करोड़ से अधिक का निवेश** होगा।
- **क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण** के अंतर्गत लगभग **₹6000 करोड़** की राशि का प्रयोग **वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन** आदि में करके **रोज़गार के अवसर** सृजित किये जाएंगे।
- **ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** की **फसल ऋण संबंधी आवश्यकता** को पूरा करने के लिये **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक** (NABARD) द्वारा **₹30,000 करोड़ की अतिरिक्त पुनर्वित्तीयन सहायता** प्रदान की जाएगी।

आर्थिक पैकेज का तीसरा चरण

- किसानों हेतु **कृषि द्वार (फार्म-गेट) अवसंरचना के विकास** के लिये **₹1 लाख करोड़** के **'कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष'** के निर्माण की घोषणा की गई।
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (MFEs) के औपचारिकरण के साथ **'वैश्विक पहुँच वाली वोकल फॉर लोकल'** योजना शुरू की जाएगी।
- **समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्यन और जलकृषि के एकीकृत, सतत् और समावेशी विकास के लिये 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'** शुरू की जाएगी।
- **'खुरपका-मुँहपका रोग' (Foot and Mouth Disease-FMD) और ब्रुसेलोसिस** के लिये **'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम'** शुरू किया गया।
- **डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन एवं पशुचारा** आधारित आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से **'पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष'** स्थापित किया जाएगा।

2 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

पंचायती राज व्यवस्था ★★★

चर्चा में क्यों?

24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के ग्राम प्रधानों के साथ पंचायती राज के महत्त्व व कोरोना वायरस की रोकथाम में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण **73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 है जो 24 अप्रैल, 1993 से प्रभाव** में आया था।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो।
- पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिये **वर्ष 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय** का दर्जा दिया गया। भारत में पंचायती राज के गठन व उसे सशक्त करने की अवधारणा **महात्मा गांधी के दर्शन** पर आधारित है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि शासन-सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए,** ताकि सत्ता में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन-संचालन में अपना योगदान दे सके।
- स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिये उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक थी। **वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता** मिली थी। इसका उद्देश्य देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि **ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएँ बनाएंगी** और उन्हें लागू करेंगी।

पृष्ठभूमि

- **'लॉर्ड रिपन' को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक** माना जाता है। **वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 'मैग्नाकार्टा'** कहा जाता है। **वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची** में रखा गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष **1957 में योजना आयोग** (अब नीति आयोग) द्वारा **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952)** और **राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953)** के अध्ययन के लिये **'बलवंत राय मेहता समिति'** का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर को लागू करने का सुझाव दिया।
- वर्ष 1958 में **राष्ट्रीय विकास परिषद** ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा **2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू** द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।
- वर्ष 1993 में **73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था** को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में **ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर)** शामिल हैं।
- पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ:
  - अशोक मेहता समिति (1977)
  - जी. वी. के. राव समिति (1985)
  - एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

- इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में **भाग-9** जोड़ा गया था।
- **मूल संविधान में भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है। भाग-9 में 'पंचायतें' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 में पंचायती राज** से संबंधित उपबंध हैं।
- ग्राम सभा गाँव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करे।
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में **11वीं अनुसूची** जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत **29 विषयों** की सूची की व्यवस्था की गई।
- पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से **प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों** से भरा जाएगा। इसके लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की **आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान** हो।
- संविधान का अनुच्छेद **243 (घ) अनुसूचित जाति और जनजाति** के लिये सीटों को आरक्षित किये जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुपात में होगा। **अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के एक-तिहाई से कम नहीं** होगी।

3 आर्थिक घटनाक्रम

सहकारी बैंक एवं सरफेसी अधिनियम ★★★

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि **सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) अर्थात् 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट', 2002** सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा।

पृष्ठभूमि

- भारत में **सहकारी आंदोलन** की शुरुआत **सहकारी समिति अधिनियम, 1904** के पारित होने के साथ हुई। इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे **ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की समस्या** प्रमुख कारण था।
- **सहकारी समिति अधिनियम, 1912** इस दृष्टि में अगला कदम था, जिसमें ऐसी **समितियों के विनियमन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित** किया गया। इसके अंतर्गत इन समितियों के कामकाज की देखरेख के लिये **उपयुक्त निकायों की स्थापना** की गई है।
- **2013 में गुजरात उच्च न्यायालय** ने कहा था कि **सहकारी बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण की वसूली नहीं कर सकते** हैं। माननीय न्यायालय के अनुसार, **सरफेसी अधिनियम राज्य कानून के तहत गठित सहकारी बैंकों पर लागू नहीं** होना चाहिये, क्योंकि वे **गुजरात सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961** के अंतर्गत आते हैं, अत: वे इसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि **सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (C)** में दी गई **'बैंक' की परिभाषा** के अंतर्गत सहकारी बैंक भी आते हैं। अत: **अधिनियम की धारा-13 के तहत** निर्धारित की गई **वसूली प्रक्रिया सहकारी बैंकों पर भी लागू** होती है।
- इस निर्णय के माध्यम से **राज्य और बहु-राज्य सहकारी बैंकिंग समितियाँ** अब अपना बकाया ऋण वसूलने के लिये **परिसंपत्तियों को ज़ब्त कर और बेच सकती हैं।** इससे पूर्व सहकारी बैंकों को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिये **दीवानी न्यायालय (Civil Court)** के पास जाना पड़ता था।

सहकारी बैंक

- सहकारी बैंक **सहकारी सिद्धांतों के आधार पर स्थापित एवं बैंकिंग व्यवसाय में क्रियाशील वित्तीय संस्थाएँ हैं।** अपने **सदस्यों के साथ सहयोग** करना इनका **प्रमुख उद्देश्य** होता है।
- सहकारी बैंक नियमित **बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला** का निर्माण करने के साथ ही, **विशेषकर देश के ग्रामीण हिस्सों में लोगों के मध्य बचत तथा निवेश की संस्कृति** को बढ़ावा देने का काम करते हैं।
- भारत में सहकारी बैंकों को अलग-अलग **राज्यों के सहकारी समितियों के अधिनियम** के तहत पंजीकृत किया गया है। ये बैंक के दो कानूनों- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1965** के तहत **RBI द्वारा विनियमन के दायरे** में आते हैं। इन्हें **1966 में RBI की निगरानी में** लाने से दोहरे **विनियमन की समस्या** उत्पन्न हुई।
- इन बैंकों के **प्रबंधकीय पक्ष, जैसे- पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, एकीकरण और ऋणशोधन** आदि का नियंत्रण **राज्य सरकार** के पास होता है, जबकि **बैंकिंग नियमन** से संबंधित कार्य, जैसे- **नकद आरक्षित अनुपात और पूंजी पर्याप्तता अनुपात आदि RBI के नियंत्रण में** होते हैं।
- भारत में सहकारी बैंकों की संरचना को मोटे तौर पर दो श्रेणियों- **शहरी और ग्रामीण** में विभाजित किया गया है। **ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों को राज्य सहकारी बैंकों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में उप-विभाजित** किया जाता है।
- **शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अनुसूचित या गैर-अनुसूचित** प्रकार के हो सकते हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित UCBs को फिर से दो प्रकारों, यथा- **बहु-राज्य और एकल राज्य में काम करने वाले बैंकों में विभाजित** किया जा सकता है।

सरफेसी अधिनियम, 2002

- **जान-बूझकर ऋण न चुकाने वालों (Willful Defaulters)** पर शिकंजा कसने के लिये भारत सरकार द्वारा **'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट', 2002** पारित किया गया।
- इस कानून से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non Performing Assets-NPA)** के संबंध में **कानूनी अधिकार** दिये गए हैं।
- कर्ज़ के एनपीए होने की स्थिति में **75% कर्ज़ वाले बैंक**/वित्तीय संस्थान मिलकर **उधार लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई** कर सकते हैं।
- कानून के नियमों के तहत बैंक/वित्तीय संस्थान शेयर को **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company-ARC)** को बेच सकते हैं। ARC की शुरुआत **SARFAESI अधिनियम** के तहत ही की गई थी।
- सरकार ने **ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals-DRTs)** को पुनर्जीवित करने और **नए दिवालियापन कानून (Bankruptcy Law)** के तहत **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभावशीलता** को बढ़ाने के लिये **'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों'** को सशक्त बनाने हेतु **अगस्त 2016 में सरफेसी अधिनियम में संशोधन** भी किया है।

4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और हिंद महासागर आयोग ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत को 'हिंद महासागर आयोग' (IOC) में 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल किया गया है।**

प्रमुख बिंदु

- 6 मार्च, 2020 को आयोजित **IOC की 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।**
- 'पश्चिमी हिंद महासागर' एक रणनीतिक क्षेत्र है जो अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट को न केवल हिंद महासागर से अपितु अन्य महत्त्वपूर्ण महासागरों से भी जोड़ता है।

हिंद महासागर आयोग

- 'हिंद महासागर आयोग, **एक अंतर-सरकारी संगठन है जो 'दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर' क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है।**
- **वर्ष 1982 में स्थापित IOC का मुख्यालय एबेने (Ebene), मॉरीशस में अवस्थित** है।
- वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में **पाँच देश; कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, ला रियूनियन (फ्राँस के नियंत्रण में) और सेशल्स शामिल** हैं। IOC देश मुख्यत: 'पश्चिमी हिंद महासागर' (WIO) क्षेत्र में स्थित हैं।

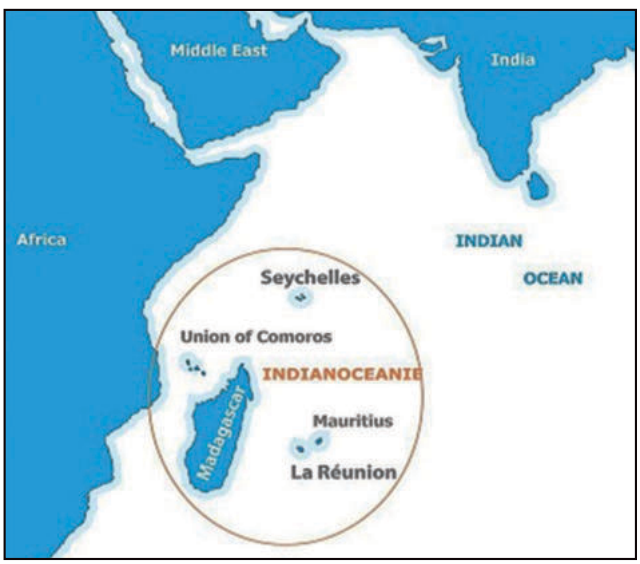

- वर्तमान में **भारत के अलावा इस आयोग के चार पर्यवेक्षक- चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ ला फ्रांसोफोनी** (International Organisation of La Francophonie-OIF) हैं।
- हाल ही में IOC ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नेतृत्त्व प्रदर्शित किया है। चूँकि समुद्री सुरक्षा भारत तथा हिंद महासागर के तटीय देशों के मध्य संबंधों की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। अत: भारत के लिये IOC के महत्त्व को समुद्री सुरक्षा के आधार पर समझा जाना चाहिये।

IOC की प्रमुख पहल

यूरोपीय संघ का मेस (MASE) कार्यक्रम: यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित **MASE कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2012** में की गई थी जिसका **उद्देश्य दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना** था। MASE कार्यक्रम के तहत IOC ने दो क्षेत्रीय केंद्रों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर की निगरानी और उस पर नियंत्रण के लिये एक तंत्र स्थापित किया है।

क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र

- मेडागास्कर स्थित **'क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र'** (RMIFC) के **गठन का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी और सूचना साझाकरण एवं विनिमय को बढ़ावा देकर समुद्री क्षेत्र के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना** था।
- **सेशेल्स स्थित क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र** (RCOC) RMIFC के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर समुद्र में संयुक्त रूप से समन्वित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करेगा।

सोमालिया तट पर पाइरेसी पर संपर्क समूह

IOC ने वर्ष 2018 और 2019 में **'सोमालिया तट पर पाइरेसी पर संपर्क समूह'** (CGPCS) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

भारत की भूमिका

- **IOC समुद्री सुरक्षा की दिशा में दृढ़ता के साथ कार्य कर रहा** है लेकिन इसे मज़बूत क्षेत्रीय भागीदारों की आवश्यकता है। **भारत ने एक मज़बूत पर्यवेक्षक के रूप में IOC में शामिल होकर इस संगठन के प्रति अपनी रुचि जाहिर की है।**
- भारत पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री देशों की समुद्री क्षमता निर्माण में मदद कर सकता है।
- **भारत, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone-EEZ) में गश्त करने की क्षमता विकसित करने में सहायता कर सकता है।**

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का विलय ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी** (LIGO) में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं द्वारा **दो असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय** का पता लगाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी के संचालन के पश्चात् यह **पहली ऐसी खोज है जिसमें असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल शामिल** हैं।
- इस घटना को **GW190412 नाम दिया गया** है। इस घटना का वर्ष 2019 में पता लगाया गया था।
- LIGO स्थित गुरुत्वाकर्षण **वेधशाला ने पहली बार लगभग 5 वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया** था।
- इन दोनों ब्लैक होल का **द्रव्यमान क्रमशः 8 सौर द्रव्यमान** (Solar Mass) और **30 सौर द्रव्यमान** था।
  - **सौर द्रव्यमान का तात्पर्य सूर्य के द्रव्यमान से** है जो कि **2×10^{3} किलोग्राम** होता है।
  - यह खगोल विज्ञान में **द्रव्यमान की एक मानक इकाई** है।
- दोनों ब्लैक होल के विलय की खोज लगभग 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर की गई।

खोज का महत्त्व

- असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल के विलय की यह घटना कई अन्य चीजों का पता लगाने में सहायक होगी। जैसे-
  - **घटना की दूरी का सटीक निर्धारण।**
  - अधिक द्रव्यमान वाले **ब्लैक होल की कोणीय गति** आदि।
- यह अवलोकन एक बार फिर **आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि** करता है, जो उच्च आवर्ती हार्मोनिक्स (Harmonics) के अस्तित्व की भविष्यवाणी करता है।
- सामान्य सापेक्षता (GR) को 'सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत' के रूप में भी जाना जाता है। यह अल्बर्ट **आइंस्टीन द्वारा वर्ष 1915 में प्रकाशित गुरुत्वाकर्षण का ज्यामितीय सिद्धांत** है।

समान द्रव्यमान और असमान द्रव्यमान के द्विआधारी ब्लैक होल के मध्य अंतर

- गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रमुख उत्सर्जन समान द्रव्यमान के द्विआधारी (Binary) ब्लैक होल की कक्षीय आवृत्ति से दोगुना होता है, हालाँकि तरंगों का यह उत्सर्जन नगण्य होता है।
- असमान द्रव्यमान वाले द्विआधारी ब्लैक होल के मामले में यह उत्सर्जन कक्षीय आवृत्ति से तीन गुना होता है।
- कक्षीय आवृत्ति, घूर्णन दर (Rotation Rate) की मापक होती है।
- असमान ब्लैक होल के विलय के मामले में अधिक बड़े ब्लैक होल का चक्रण (Spin) का निर्धारण तरंग के अतिरिक्त गुणधर्मों से किया जा सकता है।
- भारी ब्लैक होल का चक्रण, द्विआधारी ब्लैक होल प्रणाली की गतिशीलता में प्रमुख भूमिका निभाता है।

लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी (LIGO)

- **LIGO दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है।** LIGO गुरुत्वाकर्षण तरंगों (GW) की उत्पत्ति का पता लगाने और समझने के लिये प्रकाश के भौतिक गुणों तथा स्वयं अंतरिक्ष का भी उपयोग करती है।
- संयुक्त राज्य **अमेरिका में स्थापित LIGO के दो व्यापक और अलग-अलग इंटरफेरोमीटर** हैं जो हैनफोर्ड, वॉशिंगटन और लिविंगस्टन, लुइसियाना में संयुक्त रूप से संचालित होते हैं।
- इसके माध्यम से वैज्ञानिक **अंतरिक्ष में दिक्-काल आयाम में पदार्थों की गति को भी समझ** पाते हैं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में **अनुसंधान में सहायक** होगा।

ब्लैक होल

- ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद् जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में किया था।
- ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित अत्यधिक गुरुत्व बल वाले ऐसे छिद्र हैं जहाँ से प्रकाश का पारगमन संभव नहीं होता है।
- चूँकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, अतः हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, वे अदृश्य होते हैं।
- हालाँकि विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलिस्कोप की मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है।

एसएन 2010 केडी ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **'आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज'** (AARIES) के शोधकर्त्ताओं ने यह पता लगाया है कि **'एसएन 2010 केडी'** (SN 2010kd) सुपरनोवा की सतह पर विस्फोट के दौरान द्रव्यमान के साथ ही **पर्याप्त मात्रा में निकेल (Ni) भी बाहर निकला।** शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ऐसा सामान्यतः सुपरनोवा के कोर विघटन के समय ही दृष्टिगोचर होता है।

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

ओज़ोन क्षरण ★★★

चर्चा में क्यों?

यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस (CAMS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, **आर्कटिक के ऊपर निर्मित ओज़ोन छिद्र अब समाप्त** हो गया है। रिपोर्ट में आर्कटिक के ऊपर बने ओज़ोन छिद्र के ठीक होने की वजह **पोलर वर्टेक्स (Polar Vortex)** को माना गया है।

पृष्ठभूमि

- **प्रतिवर्ष दक्षिणी (Austral) वसंत** के दौरान **अंटार्कटिक क्षेत्र** के ऊपर **ओज़ोन छिद्र** देखने को मिलते हैं।
- **अंटार्कटिक ओज़ोन छिद्रों का निर्माण** मुख्यतया **क्लोरीन और ब्रोमीन सहित मानव-निर्मित रसायनों** के कारण होता है। ये रसायन **समुद्र तल से लगभग 10-50 किलोमीटर** की ऊँचाई पर स्थित **समताप मंडल** में प्रवेश करते हैं।
- हानिकारक रसायन **शीत ऋतु** में अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर विकसित होने वाले मज़बूत **पोलर वर्टेक्स** के भीतर जमा हो जाते हैं।
- पोलर वर्टेक्स में तापमान लगभग **–78 डिग्री सेल्सियस** से नीचे जाने पर **ध्रुवीय समतापमंडलीय** बादलों का निर्माण संभव होता है जो **रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
- **अंटार्कटिक क्षेत्र की तरह ओज़ोन क्षरण** के लिये आवश्यक परिस्थितियाँ आमतौर पर **आर्कटिक क्षेत्र** में नहीं पाई जाती हैं। **आर्कटिक क्षेत्र** के **भू-स्थलों और पर्वत शृंखलाओं** से घिरे होने के कारण यहाँ **दक्षिणी गोलार्द्ध की तुलना में मौसम के प्रतिरूप अधिक प्रभावित** होते हैं।
- उत्तरी गोलार्द्ध में **पोलर वर्टेक्स दक्षिण गोलार्द्ध की तुलना में आमतौर पर अधिक कमज़ोर और विकृत** होता है क्योंकि यहाँ तापमान इतना कम नहीं हो पाता है। **2020 में आर्कटिक पोलर वर्टेक्स असाधारण रूप से मज़बूत और लंबे समय तक विद्यमान** रहे हैं।
- **वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों से ही** आर्कटिक समतापमंडल में तापमान काफी कम था, जिसके परिणामस्वरूप **आर्कटिक पर बड़ी मात्रा में ओज़ोन रिक्तीकरण की परिघटनाएँ** देखी गईं।
- **जर्मन एयरोस्पेस सेंटर** के वैज्ञानिकों के अनुसार, **फरवरी 2020** में उत्तरी ध्रुव की ओज़ोन परत में छिद्र का पता लगाया गया था जो लगभग **1 मिलियन वर्ग किमी** में विस्तृत था।

ओज़ोन क्षरण के प्रमुख कारण

- **स्प्रैकेन डिस्पेंसर, वातानुकूलक तथा प्रशीतनक** आदि में प्रयुक्त तथा निस्सृत **क्लोरीन, फ्लोरिन और कार्बन परमाणुओं से युक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स** का उत्सर्जन **ओज़ोन परत के लिये गंभीर खतरा** है।
- **समतापमंडल में ओज़ोन परत** तक पहुँचने पर **सौर्यिक पराबैंगनी किरणों द्वारा CFCs का विघटन** होता है। **CFCs द्वारा क्लोरीन परमाणु को मुक्त किये जाने** से क्लोरीन परमाणु ओज़ोन के साथ अभिक्रिया करके **क्लोरीन मोनोऑक्साइड (ClO)** का निर्माण कर ओज़ोन को ऑक्सीजन अणुओं के रूप में विघटित कर देता है। इस प्रकार CFCs से प्राप्त क्लोरीन परमाणु एक **शृंखला अभिक्रिया के रूप में ओज़ोन परत का ह्रास** करते हैं।

पोलर वर्टेक्स

- यह **ध्रुवों के आस-पास कम दबाव और कम तापमान** का क्षेत्र है जो ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है। यह **ग्रीष्म ऋतु में कमज़ोर जबकि शीत ऋतु में प्रबल** हो जाता है।
- शब्द 'वर्टेक्स' **हवा के प्रति प्रवाह (Counter-Clockwise)** को संदर्भित करता है जो **ठंडी हवाओं को ध्रुवों के पास रोकने में मदद** करता है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में **सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स में विस्तार** होता है जो ठंडी हवा को जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर धकेलता है।

ओज़ोन क्षरण के प्रमुख दुष्प्रभाव

- ओज़ोन क्षरण के कारण हानिकारक **सौर्यिक पराबैंगनी किरणों (220-320 nm तरंगदैर्ध्य)** के धरातल तक पहुँचने से **जैवमंडल पर हानिकारक प्रभाव** पड़ सकता है।
- **UV-B (290-320 nm)** किरणों की अधिक मात्रा **समुद्री पारितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में कमी** लाती है। इसके कारण **कार्बन डाइऑक्साइड** की मात्रा बढ़ने से भूमंडलीय तापन में वृद्धि होगी। UV-B विकिरणों द्वारा **समुद्री जीवों के विकासीय चरण को क्षति** पहुँचती है।
- पराबैंगनी किरणों का **पौधों की वृद्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव** पड़ता है। **रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने वाले पौधे पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से झुलस** सकते हैं।
- पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से **उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक दोष, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न एवं कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र** आदि **मानव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ** उत्पन्न हो सकती है।
- सौर्यिक पराबैंगनी किरणों द्वारा **स्थलीय एवं जलीय जैव भू-रासायनिक चक्र** तथा **हरितगृह प्रभाव गैसों के भंडारगृह** को प्रभावित किये जाने के कारण **जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं में भी वृद्धि** होती है।
- पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से **पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक और पॉलीमर का तीव्र अपघटन** होता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- **1985 में ओज़ोन परत की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु वियना कन्वेंशन** हुआ। इसकी परिणति **1987 में ओज़ोन परत क्षयकारी पदार्थों (ODS) पर नियंत्रण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर** के रूप में हुई।

7 भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

'लॉस्ट एट होम' रिपोर्ट ★★★

चर्चा में क्यों?

'संयुक्त राष्ट्र बाल कोष' (UNICEF) द्वारा प्रकाशित **'लॉस्ट एट होम' (Lost at Home)** रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन** लोगों का अपने देश की सीमाओं के भीतर **आंतरिक विस्थापन** हुआ है।

आंतरिक विस्थापन: प्रवृतियाँ एवं प्रतिरूप

- 2019 के अंत में **संघर्ष और हिंसा** के परिणामस्वरूप लगभग **45.7 मिलियन लोग** जबरदस्ती विस्थापन की स्थिति में रह रहे थे। विस्थापित कुल जनसंख्या में **19 मिलियन बच्चे** थे जो कुल विस्थापितों का लगभग **42%** है।
- आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अधिकांशत: दो क्षेत्रों- **मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका** में संकेंद्रित है। **मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी** क्षेत्र में **2019 के अंत में संघर्ष और हिंसा के परिणामस्वरूप 12 मिलियन से अधिक** लोग आंतरिक रूप से विस्थापित दर्ज किये गए। इनमें से लगभग सभी तीन देशों **सीरिया (6.5 मिलियन), यमन (3.6 मिलियन) और इराक (1.6 मिलियन)** में रह रहे थे। **उप-सहारा अफ्रीका** में संघर्ष और हिंसा के कारण आंतरिक विस्थापितों की संख्या लगभग **19 मिलियन** है।
- **2019 में लगभग 33 मिलियन नए लोग आंतरिक रूप से विस्थापित दर्ज** किये गए हैं। इनमें से **प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 25 मिलियन** और **संघर्ष तथा हिंसा के परिणामस्वरूप 8 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं।** संघर्ष और हिंसा की तुलना में **प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नए विस्थापन अधिक** हुए है।
- **भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन** में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाखों लोगों का विस्थापन हुआ। यह **वैश्विक आपदाग्रस्त विस्थापितों का लगभग 69%** है।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन का अधिकांश हिस्सा **मौसम संबंधी घटनाओं से जुड़ा हुआ** है। **2019 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुल 25 मिलियन नए विस्थापितों में से लगभग 96% मौसम संबंधी घटनाओं के कारण विस्थापित** हुए, जबकि **केवल 4% भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भू-भौतिकीय घटनाओं के परिणाम** थे।
- रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए** हैं। वर्ष 2019 में **भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन** हुआ है।

विस्थापन के परिणाम

- आंतरिक विस्थापन की वजह से **परिवारों के बिछड़ने** से यह बच्चों को **परिवारों और समुदायों के बिना सहयोग के साथ जीने के लिये मजबूर** करता है।
- **सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि** होने से आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चे विशेष रूप से **दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के प्रति सुभेद्य** हो जाते हैं क्योंकि इन परिस्थितियों में **सामाजिक मानदंड** टूट जाते हैं और सुरक्षात्मक सेवाएँ उपलब्ध नहीं रहती हैं।
- **बच्चों की शिक्षा बाधित** होने से वे अपने पूर्ण विकास हेतु आवश्यक **अवसरों से वंचित** रह जाते हैं जैसे- **2015 में उपलब्ध आँकड़ों** से पता चला है कि **नाइजीरिया के 42 में से 19 शिविरों में रहने वाले** आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों की पहुँच **शिक्षा के किसी भी रूप तक नहीं थी।**
- आंतरिक विस्थापन के कारण **सुरक्षित आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी आवश्यक सेवाओं** को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। शिविरों में रह रहे **इराकी कुर्दिस्तान के बच्चों में पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का प्रभाव 87%** तक पाया गया है।

आगे की राह

- रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न देशों की **सरकारों, नागरिक समाज, कंपनियों, मानवीय अभिकर्त्ताओं** को **आंतरिक विस्थापन, हिंसा, शोषण तथा बच्चों से विशिष्ट रूप से जुड़ी समस्याओं के समाधान** के लिये **साथ मिलकर कार्य करना** चाहिये।
- विस्थापित लोगों से **संबंधित आँकड़ों की समय पर सुलभता** के अलावा **उम्र और लिंग के अनुसार उपलब्धता** सुनिश्चित की जानी चाहिये।

रासायनिक आपदाएँ एवं उनका प्रबंधन ★★★

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के **विशाखापत्तनम** से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित **'एलजी पॉलीमर कारखाने'** में **'स्टाइरीन गैस' (Styrene Gas)** का रिसाव होने से कम-से-कम 11 लोगों की मौत हो गई तथा आसपास के **गाँवों के लगभग 2,000 से अधिक निवासी** प्रभावित हुए हैं। 1961 में स्थापित इस कारखाने में **पॉलीस्टाइरीन (Polystyrene) तथा प्लास्टिक यौगिकों** का निर्माण किया जाता है।

स्टाइरीन (Styrene)

- यह एक **ज्वलनशील तरल गैस** है, जिसका उपयोग **पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लैटेक्स** के निर्माण में किया जाता है।
- **'यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन'** द्वारा संचालित वेबसाइट **'टॉक्स टाउन'** के अनुसार, स्टाइरीन **वाहन, सिगरेट के धुएँ तथा फलों एवं सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों** में भी पाया जाता है।
- स्टाइरीन के अल्पकालिक संपर्क से **श्वसन संबंधी समस्या, आँखों में जलन, श्लेष्मा झिल्ली में जलन और जठरांत्र संबंधी समस्याएँ** तथा दीर्घकालिक संपर्क के चलते **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र** प्रभावित हो सकता है।

8 सामाजिक मुद्दे

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **COVID-19** महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा (ई-शिक्षा) के माध्यम से शिक्षा** का प्रसारण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- **ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है।** ई-शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं।
- ई-शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- सिंक्रोनस और असिंक्रोनस।
  - **सिंक्रोनस:** इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि 'एक ही समय में' अर्थात् विद्यार्थी और शिक्षक अलग-अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे **रियल टाइम लर्निंग** भी कहा जाता है। सिंक्रोनस ई-शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चौट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं।
  - **असिंक्रोनस:** इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि 'एक समय में नहीं' अर्थात् यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्क्रम से संबंधित जानकरी **(ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्युटोरिअल्स, ई-बुक्स इत्यादि)** पहले ही उपलब्ध होती है।

ई-शिक्षा की विशेषताएँ

- ई-शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। अर्थात् इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है।
- ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र **वेब आधारित स्टडी मटीरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस** कर सकते हैं और बार-बार देख कर इसके जटिल पहलूओं को समझ सकते हैं।
- ई-शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफी हद तक **कम लागत वाला कार्य** होती है।
- ई-शिक्षा **पर्यावरण की दृष्टि** से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय **वेब आधारित एप व पोर्टल** पर स्टोर किया जाता है। **ई-शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर** कौशल का ज्ञान विकसित करता है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

ई-शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास

- **स्वयं: स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स** (SWAYAM) या स्वयं एक **एकीकृत मंच** है जो स्कूल (9वीं-12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं पर बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज (Massive Open Online Courses-MOOC) की पेशकश की गई है। NCERT कक्षा IX-XII तक के लिये 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का मॉड्यूल विकसित कर रहा है।
- **स्वयं प्रभा: यह 24×7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।** इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूरदराज के ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
- **स्पोकन ट्यूटोरियल: छात्रों की रोज़गार क्षमता को बेहतर बनाने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल** उपलब्ध हैं। यह 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिये बनाया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्त्ता को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **वर्चुअल लैब और ई-यंत्र: वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आँकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिये पूरी तरह से इंटरेक्टिव सिमुलेशन एन्वायरनमेंट (Interactive Simulation Environment) विकसित करना है। ई-यंत्र भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम (Embedded Systems) और रोबोटिक्स** पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं।

चुनौतियाँ

- बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई-शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। परिणामस्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं।
- खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर, पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई-शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

इंटरनेट की उपलब्धता को मज़बूत करना साथ ही **वर्चुअल शिक्षा** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसके लिये लोगों को और सहज बनाया जाना चाहिये।

9 कला एवं संस्कृति

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **संस्कृति मंत्रालय** ने **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची** जारी की।

प्रमुख बिंदु

- भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं का भंडार है, जिनमें से **13 को यूनेस्को** द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य **भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता** को नई पहचान प्रदान करना है।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तत्त्वों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये **यूनेस्को के वर्ष 2003 के कन्वेंशन का अनुसरण** करते हुए संस्कृति मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले **पाँच व्यापक डोमेन** में वर्गीकृत किया है-
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएँ और अभिव्यक्ति।
  - प्रदर्शन कला।
  - सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान और उत्सव।
  - प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास।
  - पारंपरिक शिल्प कौशल।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस राष्ट्रीय सूची को समय के साथ अपडेट किया जाएगा। यह पहल **संस्कृति मंत्रालय के विज़न 2024** का एक हिस्सा भी है।

अमूर्त संस्कृति

- अमूर्त संस्कृति किसी **समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि** है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध होती रहती है।
- अमूर्त संस्कृति समय के साथ अपनी **समकालीन पीढ़ियों की विशेषताओं को आत्मसात** करते हुए मौजूदा पीढ़ी के लिये विरासत के रूप में उपलब्ध होती है।
- अमूर्त **संस्कृति समाज की मानसिक चेतना** का प्रतिबिंब है, जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है।
- योग इसी अभिव्यक्ति का एक रूप है। भारत में **योग एक दर्शन भी है और जीवन पद्धति** भी। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति की **भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति** का मार्ग प्रशस्त करता है।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को

- यूनेस्को की स्थापना **वर्ष 1945** में स्थायी शांति बनाए रखने हेतु **'मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता'** को विकसित करने के लिये की गई थी।
- यूनेस्को **सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व** के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। ये स्थल **ऐतिहासिक और पर्यावरण** के लिहाज़ से भी महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 **मूर्त विरासत धरोहर स्थल** (30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 13 **अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर** भारत का एकमात्र **मिश्रित विरासत स्थल** है।
- ***यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची निम्नलिखित है-***
  - वैदिक जप की परंपरा
  - रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन
  - कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर
  - राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान
  - मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक
  - कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य
  - छऊ नृत्य
  - लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ
  - मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य
  - पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन
  - योग
  - नवरोज
  - कुंभ मेला

नए भौगोलिक संकेतक ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मणिपुर के **चाक-हाओ (Chak-Hao) अर्थात् काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा और कश्मीरी केसर को 'भौगोलिक संकेतक'** (GI) का टैग दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- चाक-हाओ को GI टैग प्रदान करने के लिये 'चाक-हाओ उत्पादक संघ' द्वारा आवेदन किया गया था। जबकि गोरखपुर के टेराकोटा के लिये आवेदन उत्तर प्रदेश के 'लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र', द्वारा किया गया था। GI रजिस्ट्री के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इन दोनों उत्पादों को GI टैग देने की पुष्टि की है।

10 आंतरिक सुरक्षा

ब्रू शरणार्थी संकट और समझौते का विरोध ★★★

चर्चा में क्यों?

त्रिपुरा के कुछ समूहों ने विस्थापित **ब्रू जनजाति** के लोगों को उत्तर त्रिपुरा ज़िले के कंचनपुर उपखंड में **स्थायी रूप से बसाने के निर्णय पर आपत्ति** जताई है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में क्षेत्र के दो प्रमुख संगठनों **'नागरिक सुरक्षा मंच'** और **'मिज़ो कन्वेंशन'** ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को एक **ज्ञापन सौंपा, जिसमें** कंचनपुर उपखंड में **विस्थापितों को स्थायी रूप से बसाने का विरोध** किया गया है।
  - **नागरिक सुरक्षा मंच वर्ष 1947 में विभाजन के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित बंगालियों का प्रतिनिधित्व करता** है और **मिज़ो कन्वेंशन** उत्तरी त्रिपुरा की जामपुई पहाड़ी में रहने वाली **मिज़ो आबादी का प्रतिनिधित्व** करता है।
- ध्यातव्य है कि ब्रू जनजाति के लगभग 40,000 से अधिक लोग उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर और पनीसागर उपखंडों में रह रहे थे। हालाँकि **30 नवंबर, 2019 तक प्रत्यावर्तन** (Repatriation) के नौ चरणों के बाद लगभग 7,000 ब्रू शरणार्थी मिज़ोरम लौट गए, किंतु शेष ब्रू शरणार्थी अभी भी त्रिपुरा में मौजूद हैं।
- 16 जनवरी, 2020 को **केंद्र सरकार ने 'ब्रू शरणार्थी संकट' को सदैव के लिये समाप्त करने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार, मिज़ोरम सरकार तथा ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ एक चतुर्पक्षीय समझौता किया,** जिसमें मिज़ोरम **वापस न लौटने वाले ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई** थी।

संगठनों की मांग

- संगठनों के ज्ञापन के अनुसार, कंचनपुर उपखंड में ब्रू जनजाति के लोगों के आगमन के पश्चात् से इस क्षेत्र विशेष में **असामाजिक गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि** दर्ज की गई है, जिसके कारण इस उपखंड में उनकी **स्थायी बसावट चिंता का विषय** है।
- हालाँकि दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि उन्हें त्रिपुरा के 22 अन्य उपखंडों में ब्रू लोगों के पुनर्वास पर कोई आपत्ति नहीं है।
- संगठन का कहना है कि वे केवल कंचनपुर उपखंड के तहत **पाँच स्थानों पर बड़ी संख्या में ब्रू लोगों को बसाने का विरोध** कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में **भूमि और वन संसाधनों की कमी** है।

ब्रू शरणार्थी संकट

- ध्यातव्य है कि मिज़ो समुदाय के लोग ब्रू जनजाति के लोगों को बाहरी अथवा विदेशी मानते हैं। उनका मानना है कि ब्रू जनजाति के लोग उनके क्षेत्र में आकर अवैध रूप से बस गए हैं। इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है।
- **वर्ष 1995 में** मिज़ोरम राज्य में ब्रू समुदाय द्वारा **स्वायत्त ज़िला परिषद की मांग और चुनावों में भागीदारी से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों पर ब्रू और मिज़ो समुदाय के बीच तनाव** की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- इस तनावपूर्ण स्थिति के पश्चात् **'यंग मिज़ो एसोसिएशन'** और **'मिज़ो स्टूडेंट्स एसोसिएशन'** जैसे संगठनों ने मांग की कि ब्रू लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटाए जाएँ क्योंकि वे **मूल रूप से मिज़ोरम के निवासी नहीं** हैं।
- इसके पश्चात् ब्रू समुदाय द्वारा समर्थित उग्रवादी समूह 'ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट' (BNLF) तथा एक राजनीतिक संगठन 'ब्रू नेशनल यूनियन' (BNU) के नेतृत्व में **वर्ष 1997 में मिज़ो जनजातियों के समूह से हिंसक नृजातीय संघर्ष** शुरू हुआ।
- हिंसा तब और अधिक तेज़ हो गई जब ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सदस्यों ने एक मिज़ो अधिकारी की हत्या कर दी।
- इस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच दंगे भड़क गए और अल्पसंख्यक होने के कारण ब्रू समुदाय को मिज़ोरम में अपना घर-बार छोड़कर त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा।

ब्रू समुदाय के लिये चतुर्पक्षीय समझौता

- **16 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिज़ोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों को लेकर एक चतुर्पक्षीय समझौता किया गया, जिसमें त्रिपुरा में रह रहे शेष ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई।**
- इस समझौते के तहत **विस्थापित ब्रू परिवारों के लिये निम्नलिखित व्यवस्थाएँ** की गई हैं-
  - वे सभी ब्रू परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते हैं, उनके लिये त्रिपुरा में स्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था के साथ उन्हें त्रिपुरा राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार दिये जाएंगे और ये लोग केंद्र सरकार व त्रिपुरा राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
  - पुनर्वास सहायता के रूप में परिवारों को दो वर्षों तक प्रतिमाह ₹5 हज़ार और निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
  - त्रिपुरा राज्य सरकार विस्थापित परिवारों के बैंक खाते, आधार कार्ड, जाति व निवास प्रमाण-पत्र तथा मतदाता पहचान-पत्र आदि ज़रूरी प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था करेगी।

ब्रू जनजाति

- **ब्रू या रेयांग (Bru or Reang) समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी** हैं जो **मुख्यतः त्रिपुरा, मिज़ोरम तथा असम में रहते** हैं।
- ब्रू जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं परंतु इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मिज़ोरम के मामित और कोलासिब ज़िलों में पाई जाती है। इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उपजातियाँ शामिल हैं।
- इस **समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं।**

11 संक्षिप्तियाँ

(यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं पर केंद्रित)

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

- **सिक्किम का 45वाँ स्थापना दिवस:** 16 मई, 2020 को सिक्किम ने 45वाँ स्थापना दिवस मनाया। उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ सिक्किम 16 मई, 1975 को भारतीय संघ का 22वाँ राज्य बना था। वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहाँ चोग्याल का शासन था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद सिक्किम भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्त्व लिया था। वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी इच्छा जताई, तद्नुसार भारतीय संसद द्वारा 35वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1974) लागू किया गया और इसके तहत सिक्किम को एक 'संबद्ध राज्य' का दर्जा दिया गया। इससे सिक्किम के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। वर्ष 1975 के एक जनमत के दौरान सिक्किम के लोगों ने चोग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम (1975) के प्रभावी होने के बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वाँ राज्य बन गया।

- **सिविल सेवा दिवस-2020:** 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढाँचे की कल्पना की और प्रगति-उन्मुख एवं संवेदनशील प्रणाली के निर्माण पर ज़ोर दिया। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिये समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। यह दिवस सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 21 अप्रैल, 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम' कहा था। सिविल सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल, 2006 को मनाया गया था। ब्रिटिश काल में 'सिविल सेवा' शब्द का प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नौकरियों में शामिल नागरिक कर्मचारियों के लिये किया जाता था। भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई थी किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवॉलिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किये गए इसलिये उन्हें 'भारत में नागरिक सेवाओं के पिता' के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवा दिवस के इस अवसर पर 'लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार' प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नागरिकों का कल्याण को सुनिश्चित करते हुए, भारत सरकार के लिये बेहतर काम करने हेतु सिविल सेवकों के लिये एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। यह पुरस्कार ज़िला इकाइयों में सरकारी योजनाओं और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रदान किया जाता हैं। इसके अंतर्गत राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

- **सुरेश एन. पटेल:** हाल ही में सुरेश एन. पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस वर्ष फरवरी माह में सुरेश एन. पटेल को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सुरेश एन. पटेल को बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने का 3 दशक का लंबा अनुभव है। इससे पूर्व सुरेश एन. पटेल CVC के बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी मामलों के सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। सुरेश एन. पटेल का CVC में कार्यकाल दिसंबर 2022 तक होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है। सतर्कता को लेकर केंद्र सरकार को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के लिये के. संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं।

- **स्वामित्त्व योजना:** केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने 27 अप्रैल, 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल स्वामित्त्व योजना के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज़ का अधिकार प्रदान करना है ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिये कर सकें। इस योजना को वर्तमान में छह राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण विधियों एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आवास भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। इस वर्ष के दौरान पंजाब एवं राजस्थान में 101 सतत् परिचालन संदर्भित स्टेशन (Continuously Operating Reference Stations-CORS) स्थापित किये जाएंगे जो अगले वर्ष गाँवों के आवासीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के लिये मंच तैयार करेंगे। यह योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596

E-mail: online@groupdrishti.com, *Website: www.drishtiias.com

जिस्ट
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

खंड संयोजन- निधि सिंह

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

सार्वभौमिक स्वास्थ्य

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

महिला सशक्तीकरण

राजव्यवस्था एवं समाज

- महिलाओं के लिये भारतीय सेना में बदलाव
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत गठित स्थानीय समितियों की समीक्षा
- द्वितीय सदन की आवश्यकता
- आभासी न्यायपालिका

अर्थव्यवस्था

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग
- सभी के लिये बुनियादी आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम)
- अधिक मुद्रा प्रिंट
- श्रम कानून में बदलाव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- भारतीय साइबरस्पेस
- ड्रोन स्वास्थ्य सेवा
- आदित्य-L1

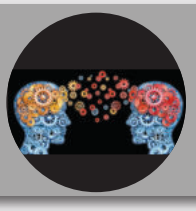

पर्यावरण

- जैव विविधता
- पर्यावरण संकट और भारत
- पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवसायों के निर्माण के लिये शिक्षा
- जलवायु संकट के संदर्भ में ऊर्जा ज़रूरतें

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

- काठमांडू का दृष्टिकोण: कालापानी-लिपुलेख समस्या
- दक्षिण चीन सागर: चीन की विस्तारित होती नाइन-डैश लाइन
- ब्रिक्स और उसका भविष्य: बहुपक्षवाद की चुनौतियाँ

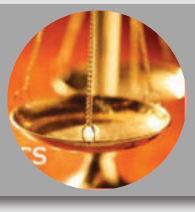

एथिक्स

- आपदा प्रबंधन की नैतिकता
- नैदानिक शोध (क्लीनिकल रिसर्च) की नैतिकता

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

सार्वभौमिक स्वास्थ्य

परिचय

25 अप्रैल, 2020 तक कोरोना वायरस (कोविड-19) के 28 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 2 लाख लोग जान गँवा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवा खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मौजूदा 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 तक दोगुना यानी 2.5 प्रतिशत करना है।

राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों का मानक प्रदर्शन

स्वास्थ्य सूचकांक

- स्वास्थ्य सूचकांक तीन क्षेत्रों के चुनिंदा संकेतकों पर आधारित है- (क) स्वास्थ्य संबंधी देखभाल परिणाम, (ख) प्रशासन और सूचना, और (ग) प्रमुख इनपुट और प्रक्रियाएँ।
- सूचकांक में कई संकेतक शामिल किये जाते हैं, जैसे- नवजात शिशु मृत्यु दर (जन्म के शुरुआती 28 दिनों में होने वाली मौत), पूर्ण टीकाकरण, तपेदिक की पुष्टि वाले रोगियों में सफल उपचार की दर, प्रमुख प्रशासकों का स्थिर कार्यकाल, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और विशेषज्ञों की रिक्ति और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का कार्य संचालन, फर्स्ट रेफरल यूनिट और कार्डियक केयर यूनिट।
- फरवरी 2018 में रैंक और स्कोर के बारे में सूचकांक रिपोर्ट का पहला चरण जारी किया गया, जिसमें 2014-15 (आधार वर्ष), 2015-16 (संदर्भ वर्ष) तक और केंद्र-शासित प्रदेशों की वार्षिक और वृद्धि संबंधी प्रदर्शन को मापा गया था। इसके बाद स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे चरण में 2015-16 (आधार वर्ष) और 2017-18 तक की अवधि के प्रदर्शन का मापन किया गया था।
- केरल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में सबसे स्वस्थ राज्य बना रहा, लेकिन प्रत्येक अगली अवधि में इसके समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर मूल्य में मामूली गिरावट भी आती गई। संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिये समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में रखा गया है:- आकांक्षी, सफल अग्रणी राज्य।

सतत् विकास लक्ष्य और राज्यों की प्रगति

- केरल और तमिलनाडु न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेसोनेंस (एनएमआर) के लिये 2030 के सतत् विकास लक्ष्य तक पहले ही पहुँच चुके हैं, जो प्रति 100 शिशु जन्म 12 नवजात मृत्यु का है।
- महाराष्ट्र और पंजाब भी सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के निकट हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में सतत् विकास लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर चुके हैं जो प्रति 1000 जन्म पर 25 मृत्यु का है।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य सूचकांक स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्र के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव और जटिलता को समझने का भी प्रभावी माध्यम है। स्वास्थ्य सूचकांक की सफलता में इन महत्त्वपूर्ण घटकों का योगदान है:

- समयबद्ध रिपोर्ट ताकि केवल शैक्षणिक विचार-विमर्श नहीं बल्कि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के वार्षिक वृद्धि संबंधी प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान।

कोविड-19 : नए तरह का खतरा

कोरोना वायरस

- कोरोना वायरस बड़े (120-160 एनएम) घिरे हुए आरएनए वायरस होते हैं जिनमें फँसे हुए एकल जीनोम होते हैं। "कोरोनावायरस" नाम लैटिन भाषा के शब्द कोरोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है "ताज"।
- वर्ष 2003 में सार्स-सीओवी (साँस लेने संबंधी अत्यधिक कष्टदायक लक्षण वाले कोरोनावायरस) का प्रकोप फैला। इसका स्रोत बंदरों, जंगली कुत्तों (रैकून डॉग), बिल्लियों और चूहा, गिलहरी आदि जानवरों को माना गया था।
- मर्स-सीओवी (मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस) 2012 में उभरकर सामने आया। इसका पहला मामला सऊदी अरब में सामने आया, स्रोत ऊँटों और चमगादड़ों को माना गया था।

कोविड-19

- डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार इस्तेमाल की जा रही यह नवीनतम शब्दावली है। यह 2019 में उत्पन्न कोरोनावायरस डिज़ीज (रोग) का प्रतिनिधित्व करता है। कोविड-19 के लिये पूर्व में इस्तेमाल होने वाले नाम हैं: सार्स-सीओवी-2, 2019-एनसीओवी साँस की गंभीर बीमारी, नोवेल कोरोनावायरस निमोनिया, वुहान निमोनिया।
- इस वायरस के पहले मामले की पहचान दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में हुई थी। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी, 2020 को इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी) और 11 मार्च, 2020 को इसे एक महामारी घोषित कर दिया।
- बुजुर्गों और अन्य चिकित्सा स्थितियों (जैसे- अस्थमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय रोगी) वाले लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की अधिक संभावना होती है। 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों में सबसे अधिक खतरा रहता है।

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

महिला सशक्तीकरण

परिचय

- नारी सशक्तीकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब यह मुद्दा महिला विकास का नहीं रह गया बल्कि महिला के नेतृत्व वाले विकास का है।
- महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाना भारत सरकार का मुख्य दायित्व रहा है। इसलिये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के योगदान का भी प्रावधान किया गया है।

कृषि और ग्राम समृद्धि में महिलाओं की भूमिका

- कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार क्रियाशील महिला पट्टेदारों की हिस्सेदारी, जो 2010-11 में 12.79 प्रतिशत थी, 2015-16 में बढ़कर 13.87 प्रतिशत हो गई है। संचालित क्षेत्र के संदर्भ में महिलाओं की हिस्सेदारी 10.36 प्रतिशत से बढ़कर 11.57 प्रतिशत हो गई।
- कुल महिला किसानों की संख्या में लगभग 92 प्रतिशत महिला किसान और उनके द्वारा संचालित क्षेत्र 12 राज्यों में है। महिला किसानों की औसत भूमि पट्टेदारी 0.9 हेक्टेयर है जबकि नगालैंड में यह सर्वाधिक 2.84 हेक्टेयर है।

कृषि और महिला रोज़गार

- कृषि क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्रिय सभी महिलाओं का लगभग 4/5वाँ भाग संलग्न है। महिलाओं को डेयरी और पशुपालन के क्षेत्रों में भी स्पष्ट बढ़त हासिल है। डेयरी में 7.5 करोड़ के करीब और पशुपालन में 2 करोड़ महिलाएँ संलग्न हैं जबकि डेढ़ करोड़ पुरुष डेयरी में और करीब इतने ही पशुपालन में संलग्न हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कृषि में संलग्न सक्रिय रोज़गार आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के 1995 से 2019 तक के निकाले गए आँकड़े बताते हैं कि 1995 से महिला श्रमबल में लगातार कमी हुई है। फिर भी, कृषि में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत 2019 में 54.6 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों का 39.5 प्रतिशत है।

ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय समावेश

- नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस), 2016-17 के तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि ग्रामीण आय संरचना में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। नाबार्ड के अनुमान के अनुसार, सर्वेक्षण में भाग लेने वाली 60 प्रतिशत के लगभग महिला सदस्य घरेलू कार्य कर रही थीं और किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं थीं।
- नाबार्ड के सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार में संलग्नता और गतिविधियों में भारी लिंग अंतर का संकेत मिला। एक तरफ एक चौथाई से अधिक पुरुष, जिनमें किसान भी शामिल थे, स्वरोज़गार में संलग्न थे, वहीं सर्वेक्षण में भाग लेने वाली महिलाओं का केवल एक-बीसवाँ (4.8 प्रतिशत) भाग स्वरोज़गार कर रहा था।
- लोक निर्माण कार्यों में अनियमित श्रमकार्य दूसरी सबसे प्रमुख गतिविधि के रूप में सामने आया जिसमें 21 प्रतिशत पुरुष और 5.7 प्रतिशत महिलाएँ संलग्न थीं। नियमित वेतनभोगी या वेतनकर्मी के रूप में काम करने वालों में पुरुष 14 प्रतिशत थे जबकि महिलाएँ मात्र 3.2 प्रतिशत थी।
- अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 ने संकेत दिया कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में समान और गहन वित्तीय ज्ञान है, और साथ ही अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में उनका बेहतर वित्तीय दृष्टिकोण है।
- अब तक 7.05 करोड़ सदस्यों के साथ 64.39 लाख एसएचजी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थापित और पुनर्जीवित किया गया है।
- **वित्तीय संस्थानों की भूमिका:** एनआरएलएम के तहत एसएचजी के बैंकों से संयोजन के आँकड़ों से पता चला कि अखिल भारतीय आधार पर केवल 77.3 प्रतिशत एसएचजी बैंकों के साथ जुड़े हैं। कुछ पूर्वी राज्यों, जैसे- बिहार (37.8 प्रतिशत), झारखंड (47.2 प्रतिशत), उत्तर-प्रदेश (72.7 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (77.2 प्रतिशत) में यह संख्या हतोत्साहित करती है। यह संख्या सबसे कम राजस्थान (18.8 प्रतिशत) में है।

कौशल विकास

- 'स्किल इंडिया' मिशन को ऐसी ज़रूरतों का पता लगाने और इच्छुक महिला श्रमिकों को भावी नियोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने की ज़रूरत है जिससे उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके।
- एनआरएलएम के अंतर्गत झारखंड में चलाए जाने वाले अनेक मॉडल,, जैसे- कृषि सखी और पशु सखी और विश्व बैंक के मॉडल जिसके तहत किशोर लड़कियों के लिये माध्यमिक शिक्षा पूरी करने और रोज़गार बाज़ार में कामयाबी के लिये सलाह देने वाली सेवाएँ उपलब्ध हैं, उपयुक्त रूप से उन्नत बनाए जाने चाहिये।

निष्कर्ष

जहाँ तक महिला श्रमबल में भारत की भागीदारी का संबंध है, वैश्विक परिदृश्य में, भारत 131 देशों में से 120वें स्थान पर है। विश्व-स्तर पर,

राजव्यवस्था एवं समाज

महिलाओं के लिये भारतीय सेना में बदलाव

संदर्भ

- सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य के मामले (2020) में भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महिला अधिकारियों की जीत के साथ-साथ भारतीय सेना में उनकी नियुक्ति और सेवा में अवसर की समानता तथा समान पहुँच के उनके अधिकार के प्रवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।
- सेना के संबंध में 'महिलाओं के सवाल' में नियुक्तियों, पदों, सेवा श्रेणियों, संवर्गों, पारिश्रमिक तथा शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के मानदंडों से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले शामिल हैं। इन मामलों की सीमित न्यायिक समीक्षा की जा सकती है क्योंकि ये नीतिगत निर्णय होते हैं और थल सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 और संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार कार्यकारी कार्यक्षेत्र में आते हैं।

महिलाओं का सवाल

- महिलाओं के लिये कोई पेंशन नहीं थी, उन्हें भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त नहीं था, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिलता था, पुनर्नियुक्ति के लिये कोई प्रावधान नहीं था और पुरुषों के लिये 300 दिनों की तुलना में महिलाओं को केवल 90 दिनों के अवकाश का पैसा मिलता था।
- भारतीय सेना में उच्च पदस्थ पुरुष अधिकारियों को महिलाओं के लिये शॉर्ट सर्विस कमीशन की अवधि बढ़ाने में वर्षों लग गए; 1992 में यह अवधि पाँच वर्ष थी, जिसे 1996 में बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया और 2005 में अंततः 14 वर्ष किया गया।
- भारतीय थल सेना में 40,825 अधिकारियों में लगभग 1,653 महिला अधिकारी हैं। इसके अलावा, भारतीय थल सेना में अधिकारियों के लगभग 11,500 पद खाली हैं, थल सेना में कमीशंड अधिकारियों की कुल संख्या में मात्र 4% महिलाएँ हैं (रक्षा सचिव बनाम बबीता पुनिया और अन्य 2020: पैरा 38)।
- 'अवसर की वास्तविक समानता' की अवधारणा का अर्थ है कि मनुष्यों को उनकी भिन्नताओं के साथ स्वीकार करना; उन सभी को बिना किसी भेदभाव के गले लगाना और संस्थागत दायरे में सभी को समायोजित करना (सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य 2020: पैरा 52-56; डेवीज 2017: 230)।
- महिला अधिकारियों को 49 सप्ताह की कठोर प्रशिक्षण अवधि के बाद भी उनके शरीरक्रिया विज्ञान के आधार पर समकक्ष एसएससी पुरुष अधिकारियों के समान वैध लाभों से वंचित किया गया है (सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य 2020: पैरा 13)।
- महिलाओं को 'कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विस' जैसी सहायक श्रेणियों तक सीमित रखा गया है। यद्यपि भारतीय सेना में 30% महिला अधिकारियों की तैनाती युद्धक क्षेत्रों-संवेदनशील स्थानों और फील्ड एरिया में की गई है।

अन्य देशों में सेनाएँ

- यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और ऑस्ट्रेलिया ने भर्ती मानकों को कम किये बिना या सैन्यकर्मियों के लिये शारीरिक मानकों (Physical Employment Standards, PES) पर पुनर्विचार और संशोधन करके महिलाओं को अपेक्षाकृत बड़े और असहनीय जोखिमों में न डालकर तथा प्रभावी उपशमन रणनीतियों को अपनाकर महिलाओं के लिये सभी युद्धक भूमिकाएँ खोल दी हैं।
- 'वीमेन इन ग्राउंड क्लोज़ कॉम्बैट फाइंडिंग पेपर' में टिप्पणी की गई है कि यू.के. आर्मी के शारीरिक चयन मानक पुराने हैं क्योंकि ये मानक विज्ञान और 1990 के सैन्य संदर्भ पर आधारित हैं, और तब से सशस्त्र बलों के उपकरण, सिद्धांत और साथ में लेकर चलने वाला औसत वज़न पूरी तरह से बदल गया है (रक्षा मंत्रालय 2016)।
- इस प्रकार, यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार "ज़मीनी आमने-सामने की युद्धक भूमिकाओं (Ground Close Combat Roles) में महिलाओं के स्वास्थ्य जोखिम पर अंतरिम रिपोर्ट" (2016 बी) में सिफारिश की गई है कि:
  - ओवरट्रेनिंग (जैसे कि बहुत लंबी दौड़) को कम करने के लिये उपाय किये जाएं।
  - महिलाओं और पुरुषों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण की अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
  - सभी लीडर्स और कर्मियों को चोट के जोखिम, अस्वस्थता और उनकी निवारक रणनीतियों की जानकारी प्रदान की जाए।
  - जीसीसी भूमिकाएँ निभाने वाली महिलाओं के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण, प्रसवोत्तर आवश्यकताओं और आहार संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अद्यतन 'सर्विसवूमेन गाइड' में जानकारी प्रदान की जाए।

निष्कर्ष

इन जानकारियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के सवाल को संबोधित करने के लिये भारतीय सरकार और सेना द्वारा पुरुष-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की बजाय एक जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। मई 2019 में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनीं और दिसंबर 2019 में, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनीं।

Source: EPW

अर्थव्यवस्था

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग

संदर्भ

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियाँ अचानक रुक गई हैं, और अभी यह निश्चित नहीं है कि यह लॉकडाउन कब खुलेगा। वैश्विक महामारी से होने वाले व्यवधान के कारण एमएसएमई सबसे अधिक प्रभावित व्यवसायों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

- एमएसएमई, उत्पाद आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग होने के नाते अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। ये उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 30% और निर्यात में 40 से 45% योगदान करते हैं, तथा लगभग 114 मिलियन लोगों को रोज़गार देते हैं, जो देश के कुल श्रमबल का लगभग 30% हैं।
- लगभग 63 मिलियन अनिगमित एमएसएमई (Unincorporated MSMEs) गैर-कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र में सूक्ष्मउद्यम (Microenterprises) हैं। लॉकडाउन से पहले भी, ये उद्यम भुगतान में देरी और बिना बिके माल के साथ-साथ अपर्याप्त ऋण और व्यापार में नुकसान के कारण होने वाली नकदी की समस्याओं से घिरे थे।
- अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2017 (National Sample Survey, 2017) के आँकड़ों के अनुसार इन उद्यमों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अधिकांश उद्यम एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले होते हैं जो कंपनियों के रूप में पंजीकृत नहीं होते हैं।
- सरकार ने मार्च के अंत में, एमएसएमई को माल और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न को फरवरी से अप्रैल तक और जून तक के लिये, बिना ब्याज, विलम्ब शुल्क या जुर्माने के भरने की अनुमति दी, तथा आयकर के रिफंड के निपटान में भी तेज़ी लाई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भी कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण में ढील देकर तरलता (Liquidity) को बढ़ाने के उपाय किये हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने एमएसएमई ऋणों के लिये 5% की रियायती ब्याज दर की घोषणा की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने भी एमएसएमई उधारकर्त्ताओं के लिये आपातकालीन ऋणों की पेशकश की है। मार्च के अंत में, सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि वह कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के संयुक्त रूप से तीन महीने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि के 24% अंशदान को भी वहन करेगी। लेकिन, यह लाभ केवल उन व्यवसायों को मिलेगा जिनमें 100 या 100 से कम कर्मचारी कार्य करते हों और उनमें से 90% कर्मचारियों को प्रति माह 15,000 रुपये से कम वेतन मिलता हो।
- इन उपायों की घोषणा के बावजूद, अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन (All India Manufacturers Organisation, AIMO) द्वारा कराए गए 5,000 एमएसएमई के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 71% उद्यम लॉकडाउन के कारण अपने श्रमिकों को मार्च 2020 के वेतन का भुगतान नहीं कर सके।

चुनौतियाँ

- उन उद्यमों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती होगी जिन्हें निधियों की सख्त आवश्यकता है और जो वर्तमान संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि एमएसएमई विभिन्न उद्योगों और राज्यों में फैले हुए हैं, जो ज़्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
- एमएसएमई के संबंध में नवीनतम आंकड़े न होने के कारण उनके बारे में कोई सटीक या विश्वसनीय जानकारी नहीं है, क्योंकि एमएसएमई की पिछली गणना 2006-07 में कराई गई थी।
- एमएसएमई का एक सत्यापित डेटाबेस न होने के कारण भी आवश्यक राहत पैकेज की लक्षित डिलीवरी में बाधा आती है।

आगे की राह

- एमएसएमई को इस संकट से बाहर निकालने के लिये मौद्रिक और राजकोषीय दोनों उपायों की आवश्यकता है। यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि यदि एमएसएमई बंद हो जाते हैं, तो लॉकडाउन के बाद दिया गया कोई भी राजकोषीय प्रोत्साहन निष्प्रभावी हो सकता है।
- अभी तत्काल तरलता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिये समय पर पर्याप्त और सस्ते ऋण, मज़दूरी संरक्षण पैकेज और ब्याज अधिस्थगन (Interest Moratoriums) के प्रावधान किये जाने चाहिये।
- इसके लिये तीन महीने की निर्धारित अवधि से परे एमएसएमई के लिये ऋण के भुगतान पर आरबीआई के अधिस्थगन के विस्तार और उसे आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। इन उपायों और टैक्स जमा करने की समयसीमा आगे बढ़ाए जाने के अलावा, एमएसएमई को लक्षित करके अतिरिक्त धन का प्रावधान करने की भी आवश्यकता है ताकि उन्हें चालू रखने में मदद मिल सके।
- उद्योग निकाय जीडीपी के 4-5% के प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहे हैं। निश्चित ही, एमएसएमई क्षेत्र को न केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करने की आवश्यकता है बल्कि मध्यम और लंबी अवधि में उनके विकास और पुनरुद्धार के लिये भी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। ***Source: EPW***

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारतीय साइबरस्पेस

संदर्भ

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) के अनुसार साइबरसुरक्षा से संबंधित घटनाओं में 2017 से 2018 तक लगभग चार गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि 2016 से 2017 तक साइबर-अपराधों में 77% बढ़ोतरी हुई। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईटीयू (इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन) के अनुसार, साइबरसुरक्षा इंडेक्स में भारत अप्रत्याशित रूप से 2017 में विश्व में 23वें स्थान से फिसलकर 2018 में 47वें स्थान पर आ गया।

प्रमुख बिंदु

- साइबरस्पेस के खतरे तकनीकी संदर्भ में प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि एक अनपैच्ड सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या लिंक, लेकिन ज़्यादातर खतरे 5जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), संवर्धित वास्तविकता (Augmented Reality), रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of things) की शुरुआत के साथ अधिक बढ़ेंगे।
- अपराधी ऐसे यूज़र्स को निशाना बना सकते हैं जो पिन और पासवर्ड सहित अपने बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड के विवरण को साझा करने में संदेह व्यक्त नहीं करते हैं; दूसरे यूज़रों को डरा-धमका सकते हैं या साइबरस्टाकिंग (Cyberstalking) में लिप्त हो सकते हैं और इसके लिये साइबरजासूसी, आतंकवाद के वित्तपोषण या बाल अश्लीलता (Child Pornography) में शामिल हो सकते हैं। रैंसमवेयर पावर ग्रिड या बंदरगाह जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के संचालन को ठप कर सकता है, और नकली समाचार सामाजिक तनाव को भड़का सकते हैं।
- अपराधी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई स्थितियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। दो महीनों के भीतर ही 4,000 से अधिक धोखाधड़ी करने वाले पोर्टल्स सामने आए हैं, और अप्रैल 2020 में एक ही दिन में अकेले गूगल ने 240 मिलियन स्पैम मैसेजेज और 18 मिलियन फिशिंग स्कैम को ब्लॉक किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर्स (PM CARES) की घोषणा के तुरंत बाद यूपीआई (Unified Payments Interface) आईडी से मिलते-जुलते अनेक आईडी देखने को मिले।
- इस दायरे में पॉलिसी टूलकिट को सुरक्षित, मज़बूत और समन्वित करने की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डेटा की गोपनीयता के बारे में भविष्य में बनाए जाने वाले कानून के अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (National Cyber Security Strategy, NCSS) 2020 पर चर्चा शुरू कर दी है।

प्रौद्योगिकी वैश्विक, नीति स्थानीय

- भारत संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सरकारी विशेषज्ञों के समूह (Group of Governmental Experts, GGE) और ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप (Open-Ended Working Group, OEWG) का सदस्य है। हालाँकि, जल्द वैश्विक सहमति बनने की संभावना नहीं है, इसलिये भारत को साइबर-अपराध कन्वेंशन (Convention on Cybercrime) और पेरिस कॉल (Paris Call) जैसे मौजूदा फ्रेमवर्क में शामिल होने या उनका लाभ उठाने पर विचार करना चाहिये। आखिरकार, साइबर स्पेस एक भूराजनीतिक मुद्दा बन गया है।
- **डिज़ाइन द्वारा सुरक्षा, डिफॉल्ट रूप से बजट:** यह उचित समय है कि नैसकॉम साइबर सुरक्षा कार्यबल (NASSCOM Cyber Security Task Force) की सिफारिश के अनुसार सरकार के प्रत्येक विभाग के आईटी बजट का 10% साइबर सुरक्षा के लिये उसी प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये, जिस प्रकार 1998 में प्रधानमंत्री के आईटी कार्यबल की सिफारिश के अनुसार 1998 में प्रत्येक मंत्रालय के बजट का 1 से 3% आईटी के लिये अलग रखा गया था।
- **सुरक्षा बनाम निजता : एक झूठा द्विविभाजन :** सुरक्षा और निजता एक-दूसरे के विपरीत होने की बजाय वास्तव में एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। आखिरकार, डेटा की सुरक्षा के बिना डेटा की निजता नहीं हो सकती है। इसलिये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (NCSS) और डेटा सुरक्षा ढाँचा एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिये। निजता के मामले में उच्चतम न्यायालय के 2017 के निर्णय द्वारा निर्धारित वैधता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और आनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुपालन में अपवादों और छूटों को बारीकी से सोच-समझकर निर्धारित किया जाना चाहिये।
- **रोकथाम:** यदि हम सभी लाइसेंसप्राप्त और अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, विभिन्न सेवाओं और उपकरणों के लिये अलग-अलग और कठिन पासवर्ड का उपयोग करते हैं, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण और मज़बूत एन्क्रिप्शन जैसी बुनियादी साइबर सुरक्षा का ध्यान रखते हैं तो डेटा चोरी के 10 में से 9 हमलों को रोका जा सकता है।
- **द्विदिशात्मक साझेदारी:** सरकार को अपने स्वयं के मूल्यांकन को निजी क्षेत्र के साथ साझा करना चाहिये ताकि निजी क्षेत्र अनुबंध संबंधी दायित्वों या बौद्धिक संपदा को जोखिम में डाले बिना संभावित साइबर हमलों के बारे में अपनी खुफिया जानकारी साझा करने के लिये प्रोत्साहित हो सकें।
- **व्यावहारिक, पूर्वानुमेय, लचीला:** अंतर्निहित सिद्धांत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिये और उन्हें क्षेत्र नियामकों को अपने संबंधित वातावरण के भीतर उचित मार्गदर्शन और लचीलापन प्रदान करना चाहिये। उदाहरण के लिये, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीएआई द्वारा जारी साइबर-सुरक्षा दिशानिर्देश या फ्रेमवर्क को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council, FSDC) के तत्वावधान में काफी समन्वित किया जा सकता है, जिससे विनियामकों के साथ-साथ विनियमित संस्थाओं में भी अधिक समझदारी आएगी।

Source : Financial Express

पर्यावरण

जैव विविधता

संदर्भ

- जैव-विविधता या जैविक विविधता का अर्थ पृथ्वी पर जीवित जीवों की उपलब्धता से है। इसमें पौधों और जानवरों से लेकर कवक और जीवाणु तक पृथ्वी पर पाई जाने वाली 8 मिलियन से अधिक प्रजातियाँ तथा ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं जिनमें ये प्रजातियाँ निवास करती हैं, जैसे कि समुद्र, जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और प्रवाल भित्तियाँ।
- संयुक्त राष्ट्र, जैव-विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष, कोविड-19 महामारी के कारण, इस दिवस को एक ऑनलाइन अभियान के माध्यम से मनाया जाएगा। समारोह का मूल विषय है- 'हमारे समाधान प्रकृति में हैं (Our Solutions are in Nature)'।

जैव-विविधता महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- जैव-विविधता हमारे लिये उपजाऊ मिट्टी के साथ-साथ फल और सब्ज़ियों सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
- यह हमारे अधिकांश उद्योगों और आजीविका का आधार है तथा कार्बन भंडारण और वर्षा को विनियमित करने के माध्यम से जलवायु को विनियमित करने में मदद करती है। यह हमारी वायु और जल को भी स्वच्छ करती है और प्राकृतिक आपदाओं, जैसे- भूस्खलन और तटीय तूफानों के प्रभाव को कम करती है।
- भूमि पर सबसे महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता के क्षेत्र वन हैं, जहाँ पृथ्वी की अधिकांश स्थलीय जैव-विविधता पाई जाती है: द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट के अनुसार इनमें उभयचर प्रजातियों की 80%; पक्षियों की प्रजातियों की 75% और स्तनपाई प्रजातियों की 68% संख्या पाई जाती है।

नोट: 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का मूल विषय (Theme) 'यह प्रकृति के लिये समय है (It's Time for Nature)' इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रकृति मानवता को महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करती है।

जैव-विविधता और स्वास्थ्य

- स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र रोगों को फैलने से रोकता है। जहाँ देशी जैव-विविधता अधिक होती है, वहाँ जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले रोगों (Zoonotic Diseases) की संक्रमण दर को कम किया जा सकता है।
- औसतन, हर चार महीने में एक नया संक्रामक रोग मनुष्यों में उभरता है जिसमें 75 प्रतिशत संक्रमण जानवरों से होता है। जब हम जानवरों के आवास को नष्ट करते हैं या वन्यजीवों का अवैध व्यापार करते हैं, तो ये जूनोटिक रोग मनुष्यों में फैल सकते हैं, क्योंकि हमारे रोगाणुओं के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है।
- प्रकृति, आधुनिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली कई दवाओं का भी एक आवश्यक स्रोत है। पौधों, जानवरों और रोगाणुओं ने चिकित्सा शोधकर्त्ताओं को मानव शरीर क्रिया विज्ञान को समझने और बीमारियों का इलाज करने में सक्षम बनाया है।
- चार अरब लोग मुख्यत: प्राकृतिक दवाओं पर निर्भर हैं, और कैंसर की लगभग 70 प्रतिशत दवाएँ या तो प्राकृतिक उत्पाद हैं या प्रकृति से प्रेरित सिंथेटिक उत्पाद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, शीर्ष 150 दवाओं में से कम-से-कम 118 दवाएँ प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित हैं।

जैव-विविधता अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ी है?

- जैव-विविधता आर्थिक समृद्धि को मज़बूती प्रदान करती है। मोटे तौर पर 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक मूल्य सृजन जो वैश्विक जीडीपी के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है- प्रकृति या उसकी सेवाओं पर सामान्य रूप से निर्भर है।
- निर्माण, कृषि, और खाद्य एवं पेय पदार्थ तीन सबसे बड़े उद्योग हैं जो प्रकृति पर सबसे अधिक निर्भर हैं। ऐसे उद्योगों को या तो वनों और महासागरों से संसाधनों के सीधे निष्कर्षण की आवश्यकता होती है या वे स्वस्थ मृदा, स्वच्छ जल, परागण और स्थिर जलवायु जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भर होते हैं।
- गरीबी में रहने वाले लाखों लोगों में से 70 प्रतिशत से अधिक लोग खेती, मछली पकड़ने, वानिकी या अन्य प्रकृति-आधारित क्रियाकलापों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।

Source: UN Environment

पर्यावरण संकट और भारत

संदर्भ

- 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत से आज तक भारत का विकास असंधारणीय रहा है क्योंकि सरकार 'अभी विकास करने, बाद में बनाए रखने (Grow Now, Sustain Later)' में विश्वास करती है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) नियम, 2020 की प्रारूप अधिसूचना का प्रख्यापन (Promulgation) पर्यावरण को अत्यधिक दोहन से बचाने की दिशा में कार्य कर रहे नागरिकों के आंदोलनों के लिये एक गंभीर चिंता का विषय रहा है।

प्रमुख बिंदु

- प्रारूप नियमों का आशय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment) के मौजूदा 2006 के नियमों का अधिक्रमण करना है, जो भारत में पर्यावरण शासन व्यवस्था के आधारस्तंभ थे।
- प्रारूप ईआईए नियम भारत में पर्यावरण शासन में एक नई गिरावट को दर्शाते हैं। 2014 के बाद से, पर्यावरण कानूनों की लगातार अनदेखी की जाती रही है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

काठमांडू का दृष्टिकोण : कालापानी-लिपुलेख समस्या

संदर्भ

- नेपाल सरकार ने नेपाल के एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के 'विवादित राज्यक्षेत्रों' को अपने राज्यक्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया है। 8 मई को, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला से लिपुलेख तक एक लिंक रोड का उद्घाटन किया।
- नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए काठमांडू में भारतीय राजदूत को तलब किया और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक राजनयिक नोट भेजा। इस संदर्भ में, यह लेख कालापानी-लिपुलेख सीमा विवाद और भारत-नेपाल संबंधों पर इसके प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

विवाद की शुरुआत

- कालापानी और लिपुलेख विवाद की शुरुआत सुगौली की संधि से हुई जिस पर अंग्रेज़-नेपाल युद्ध (1814-1816) की समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य द्वारा दिसंबर 1815 में हस्ताक्षर किये गए थे और मार्च 1816 में इसकी पुष्टि की गई थी। इस युद्ध के बाद नेपाल के एक-तिहाई राज्यक्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था।
- नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी, इसके एवज़ में उक्त भूमि के कुछ हिस्से (पश्चिमी तराई) बाद में 1860 में नेपाल को वापस लौटा दिये गए। सुगौली संधि के अनुच्छेद पाँच के अनुसार, 'काली नदी के पश्चिम' का हिस्सा भारत के अंतर्गत है। इस संधि में काली (शारदा/महाकाली) नदी के स्रोत का उल्लेख नहीं है जो दोनों देशों के बीच विवादित है।
- नेपाल का दावा है कि काली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा में है, इसलिये काली नदी के पूर्व में कालापानी और लिपुलेख नेपाल के अंतर्गत आता है। नेपाली सीमा विशेषज्ञ का दावा है कि भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सर्वेयर जनरल द्वारा वर्ष 1827 और 1856 में प्रकाशित मानचित्रों के अनुसार, कालापानी क्षेत्र को स्पष्ट रूप से नेपाली राज्यक्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है।
- इसके अलावा क्विंग राजवंश (1903) के दौरान प्रकाशित मानचित्र 'ओल्ड एटलस ऑफ चाइना' में चीनी भाषा में लिम्पियाधुरा को काली नदी के स्रोत के रूप में दर्शाया गया है। नदी के उत्तर-पूर्वी भाग के लिये मानचित्र में 'नेपाल' शब्द अंकित है।
- हालाँकि, भारत का दावा है कि कालापानी के दक्षिण में पंखगढ़ (Pankhagad) नाम की एक छोटी नदी, और कालापानी क्षेत्र के पूर्व की ओर स्थित कटक रेखा (ridgeline) असली सीमा है, इसलिये कालापानी क्षेत्र भारत है। भारत अपने कर अभिलेख और अन्य प्रशासनिक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करता है और यह दावा करता है कि कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा है।

लिपुलेख और कालापानी का सामरिक महत्त्व

- लिपुलेख और कालापानी में भारत-नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमाएँ मिलती हैं। वे भूसामरिक (Geostrategic) और भू-राजनीतिक (Geopolitical) महत्त्व के हैं क्योंकि वहाँ से भारत चीन के अतिक्रमण के किसी भी प्रयास या भारत के प्रति पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है।
- इसके अलावा, यह भू-आर्थिक (Geo-Economic) दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर भारत से कैलाश मानसरोवर के लिये सबसे छोटा और सीधा मार्ग है। वर्तमान में, भारतीय तीर्थयात्रियों को नेपालगंज-हुमला या काठमांडू-केरूंग होकर कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता है।

विवाद संबंधी प्रमुख बिंदु

- लिपुलेख और कालापानी का विवाद नया नहीं है। यह 1962 से ही अनसुलझा है क्योंकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस उसी वर्ष के भारत-चीन युद्ध के बाद से वहाँ तैनात है। 2000 में, नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस मामले में महत्त्वपूर्ण काम हुआ था और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कालापानी के तत्स्थानिक अध्ययन (On Site Study) के माध्यम से सीमा विवाद को हल करने के लिये सहमति व्यक्त की थी, यह अध्ययन 2002 तक पूरा होना था।
- दोनों देश द्विपक्षीय संयुक्त सीमा समिति के लिये सहमत हुए। हालाँकि, इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि भारत ने अपने सैनिकों को इस क्षेत्र से हटाने से इनकार कर दिया। बाद में 2014 में, नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान, दोनों देश कालापानी सहित नेपाल-भारत सीमा के जुड़े सभी लम्बित मुद्दों को एक बार में ही सुलझाने के लिये सहमत हुए।
- इसके अलावा, जब मई 2015 में मोदी की चीन यात्रा के दौरान भारत-चीन के संयुक्त बयान में लिपुलेख का उल्लेख किया गया तो नेपाल ने गंभीर आपत्ति जताई थी।
- नेपाल ने चीन और भारत से लिपुलेख पर उल्लेख को अपने संयुक्त बयान से हटाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि इससे नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है।

भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभाव और आगे की राह

- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारंपरिक और धार्मिक संबंधों के साथ 'विशेष संबंध' होने के बावजूद, नेपाल की हमेशा भारत के खिलाफ शिकायतें रही हैं। हालाँकि, 2015 की आर्थिक नाकेबंदी, जिसके बारे में काठमांडू का यह मानना था कि इसमें भारत का हाथ था, के बाद से वहाँ के लोगों में बड़े पैमाने पर भारत विरोधी भावनाएँ देखने को मिली हैं।
- इसके अलावा, दोनों देशों के बीच एक खुली सीमा है। कालापानी अपनी अवस्थिति के कारण काफी भूसामरिक महत्त्व रखता है। हालाँकि, नेपाल

एथिक्स

आपदा प्रबंधन की नैतिकता

- आपदाओं का प्रबंधन ज़मीनी स्तर पर तभी सुनिश्चित हो पाता है जब उसकी प्रक्रिया में नैतिकता एक अनिवार्य गुण हो। हालिया उदाहरण के तौर पर वैश्विक महामारी कोविड-19, विशाखापट्टनम गैस रिसाव या अम्फान चक्रवात जैसी आपदाओं के प्रबंधन में भी नैतिकता के बिंदुओं को समझना ज़रूरी है।
- इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे राहत और बचाव सेवाओं में समानता और निष्पक्षता, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों में टकराव और दोहराव, तत्काल प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने और दीर्घकालिक पुनर्वास प्रयासों पर ज़ोर न दिये जाने तथा संकट के समय देखभाल संबंधी मानकों के मुद्दों से संबंधित हैं।
- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने के लिये संसाधनों और ज़िम्मेदारियों के संगठन और प्रबंधन को आपदा प्रबंधन के रूप में परिभाषित करता है। आपदा प्रबंधन में पाँच चरण शामिल हैं- रोकथाम, उपशमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। दीर्घावधि में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और स्थिरता पर विचार किया जाता है। आपदा प्रबंधन के मुख्य सिद्धांतों में- व्यापकता, प्रगतिशीलता, जोखिम-प्रेरित प्रतिक्रिया, प्रयासों का एकीकरण, विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग, अनेक हितधारकों के क्रियाकलापों के बीच समन्वय, लचीलापन और व्यावसायिकता शामिल हैं। हालाँकि पेशेवर निकायों द्वारा आपदा प्रबंधन के लिये आचार संहिता की परिभाषा पर कोई सहमति नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इमरजेंसी मैनेजर्स की आचार संहिता सम्मान, प्रतिबद्धता, समानता, न्याय और व्यावसायिकता पर ज़ोर देती है।

सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के प्रयासों में टकराव और दोहराव

आपदाओं के दौरान राहत संबंधी क्रियाकलापों में सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच अक्सर टकराव देखा जाता है। ऐसी कई रिपोर्टें सामने आती हैं जब गैर-सरकारी राहत सामग्री को बीच में राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे प्रभावित लोगों तक नहीं पहुँचने दिया। ऐसी रिपोर्टें भी आती हैं कि कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा गैर-सरकारी राहत सामग्री को अपने कब्जे में लेकर और उस पर अपनी-अपनी पार्टियों के स्टिकर और मुहरें लगा दीं ताकि वे यह दावा कर सकें कि यह राहत सामग्री उनकी पार्टी की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। जिन क्षेत्रों पर मीडिया की अधिक नज़र रहती है, उनमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों एजेंसियों द्वारा बहुत अधिक राहत गतिविधियाँ चलाई जाती हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में सेवाओं का दोहराव होता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में जहाँ अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है वहाँ तक कोई भी सेवा नहीं पहुँचती है।

इसके समाधान के लिये विभिन्न हितधारकों के क्रियाकलापों में समन्वय की आवश्यकता है। आपदा स्थितियों में समन्वित सरकारी और गैर-सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता के पीछे निम्न तर्क हैं-

- गैर-सरकारी संगठन की सूक्ष्मस्तरीय समुदाय-आधारित पहल को सरकारी तंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।
- सरकारी और गैर-सरकारी क्रियाकलापों के समन्वय से सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग होगा।
- दोहराव, अधिव्याप्ति (overlapping) और भ्रांतियों को रोका जा सकता है।
- गैर-सरकारी संगठन आपदा प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कि समुदाय, संगठन, महिलाओं के स्व-सहायता समूह के गठन, आजीविका सृजन आदि में काम कर सकते हैं जो सरकारी प्रयासों में प्रभावी रूप से पूरक हो सकते हैं।
- एनजीओ की ताकत समुदायों के साथ भागीदारी है, इसलिये एनजीओ के सहयोग से समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाई जा सकती है।

संकट के समय स्वास्थ्य देखभाल के मानक

- संकट की स्थिति में प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के मानक नैतिक बहस के विषय हैं। आपदा की स्थिति में एक ओर तो संसाधनों की कमी होती है, मौजूदा संसाधनों को क्षति पहुँचती है और मांग बहुत अधिक होती है; दूसरी ओर विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से धन, सामग्री और जनशक्ति मिलती है। इसके लिये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से चिकित्सा देखभाल के मानक निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।
- आसन्न आपदा के समय स्वास्थ्य देखभाल के मानक निर्धारित करना एक चुनौती है क्योंकि आपातकाल में कार्यवाही की प्राथमिकता का निर्धारण करने और सीमित संसाधनों को उन लोगों को आवंटित करने की आवश्यकता होती है जिन्हें उनकी सबसे अधिक ज़रूरत है। इसके लिये स्वास्थ्य देखभाल योजना के दीर्घकालिक मानक निर्धारित किये जाने चाहिये।

आपदा प्रबंधन के लिये नैतिक दिशानिर्देशों की आवश्यकता

प्रत्येक आपदा स्थिति अपने साथ नैतिक मुद्दों का एक पूरा समुच्चय लेकर आती है। कई अनुभवों के बावजूद कुछ नैतिक मुद्दों, जैसे कि राहत और प्रतिक्रिया संबंधी क्रियाकलापों में असमानता, समन्वय की कमी, राहत क्रियाकलापों का टकराव और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता पर अपेक्षित ज़ोर न दिये जाने से आपदा प्रबंधन प्रणाली कारगर नहीं हो पाती। आपदा प्रबंधन में नैतिक आचरण के लिये विशिष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हैं। दिशानिर्देश तैयार करने में परामर्श प्रक्रिया का पालन करने से आपदा

क्लासिक पुस्तकें

प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण

-पुरुषोत्तम 'प्रतीक'

प्रिय विद्यार्थियो, पिछले कुछ अंकों से हमने क्लासिक पुस्तकों की एक शृंखला प्रारंभ की है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में प्रसिद्ध पुस्तकों तथा विचारकों को संदर्भ सहित उद्धृत करना आपके उत्तर एवं निबंध को प्रभावी बनाता है। आपको इन पुस्तकों की मूल अवधारणाओं से परिचित होते हुए संबंधित उद्धरणों को आत्मसात् करना चाहिये तथा नियमित लेखन में इनका अभ्यास करना चाहिये।

मैडनेस एंड सिविलाइज़ेशन : अ हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन द एज ऑफ रीज़न – मिशेल फूको

प्रसिद्ध उत्तर-आधुनिकतावादी विद्वान मिशेल फूको द्वारा लिखित पुस्तक 'मैडनेस एंड सिविलाइज़ेशन' मूल रूप से विक्षिप्तता या पागलपन के सामाजिक-ऐतिहासिक विश्लेषण द्वारा इसकी प्रचलित सामाजिक चिकित्सीय अवधारणाओं को खंडित करती है। इस पुस्तक में फूको ने पश्चिम के उत्तर मध्य युग से लेकर आधुनिक युग तक विक्षिप्तता की बदलती अवधारणाओं की पड़ताल की है। वे उत्तर मध्य युग, जब विक्षिप्तता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा माना जाता था तथा मानसिक रूप से बीमार लोग आम लोगों की तरह सड़कों पर खुलेआम घूमा करते थे, से उस समय तक के पागलपन के इतिहास की जाँच करते हैं जब ऐसे लोगों को समाज के लिये खतरा माना जाने लगा। फूको इसके लिये अपने विभिन्न शोध तथा इतिहास एवं कला (विशेष रूप से पेंटिंग) के उदाहरणों का सहारा लेते हैं। वे ऐतिहासिक घटनाओं के ज़रिये बताते हैं कि किस प्रकार सबसे पहले पागलखाने बनाए गए तथा मानसिक स्तर की बीमारी को आम बीमारी से अलग कर एक विक्षिप्त व्यक्ति और अन्य के बीच दीवारें खड़ी कर दी गईं। यह पुस्तक पागलपन और पागलों की देखभाल की कमी और उनके साथ दुर्व्यवहार के इतिहास की भी पड़ताल करती है। फूको पूरी पुस्तक में उन जटिल कारकों की चर्चा करते हैं जो पागलपन को रेखांकित करते हैं, और उस सामाजिक संरचना की भी चर्चा करते हैं जो पागलपन को एक श्रेणी के रूप में देखती है।

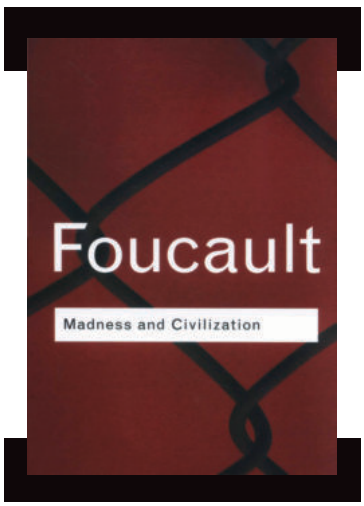

फूको इतिहास के तीन चरणों के माध्यम से पागलपन की अवधारणा के विकास पर बात करते हैं, ये तीन चरण हैं- पुनर्जागरण (15वीं-16वीं शताब्दी), क्लासिकी युग (सत्रहवीं शताब्दी के अंत से लेकर और अठारहवीं शताब्दी के अधिकांश समय तक) और आधुनिक युग। यूरोप में 1250 से 1500 तक उत्तर मध्य युग के दौरान, पागलपन को उस तरह परिभाषित नहीं किया जाता था जैसा कि सैकड़ों वर्ष बाद परिभाषित किया जाने लगा। हालाँकि मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले लोगों को अन्य लोगों से 'अलग (Different)' अवश्य समझा जाता था, लेकिन इसका तात्पर्य किसी प्रकार के अलग श्रेणीकरण अथवा दुर्व्यवहार से नहीं था। कुछ को ऐसे ज्ञानवान लोगों के रूप में भी देखा जाता था जिनका ज्ञान तर्क की सीमाओं को प्रदर्शित करता था। इस अवधि के दौरान, मानसिक बीमारी वाले अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से घूमते थे ,जब तक कि वे किसी को निजी रूप से परेशान न करें। यदि किसी यूरोपीय शहर में कोई कथित 'विक्षिप्त' पाया जाता था, तो उसे एक नाविक या व्यापारी को सौंप दिया जाता था जो उसे किसी दूसरे शहर या कम आबादी वाले ग्रामीण इलाके में छोड़ आता था। मानसिक रूप से बीमार लोगों को जहाज़ द्वारा दूसरे स्थान पर छोड़ने की प्रथा से ही 'Ship Of Fools (मूर्खों का जहाज़)' मुहावरे की उत्पत्ति हुई, जो समय के साथ-साथ साहित्य और अन्य कलाकृतियों में लोकप्रिय हो गया।

क्लासिकी युग की शुरुआत में ही चिकित्सा के क्षेत्र में एक घटना घटी। पश्चिमी यूरोप में कुष्ठ रोग के मामलों में कमी आने लगी। जानना रोचक होगा कि जब पूरे यूरोप में कुष्ठ रोग फैल गया था, तब रोगियों को शहरों के बाहरी इलाकों में स्थित विशिष्ट स्थान पर रखा जाता था जिन्हें 'कुष्ठरोगी गृह (Lazar Houses)' कहा जाता था। जब यूरोप में कुष्ठ रोग का प्रकोप कम हुआ, तो इन स्थानों पर अपराधियों, आवारा लोगों और मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को रखा जाने लगा। इसके साथ ही जिस प्रकार कुष्ठ रोगियों को बीमारी के वाहक के रूप में देखा जाता रहा और संक्रमण के भय से उन्हें अलग रखा जाता था, उसी परंपरा के साथ कुष्ठ रोगी गृह के नए बंदियों जिनमें मानसिक विक्षिप्त भी शामिल थे, को भी बीमारी के वाहक के रूप में देखा जाने लगा। जिस प्रकार मध्ययुगीन समाज ने कुष्ठरोगियों को हाशिये पर धकेल दिया था और कलंकित किया था, उसी प्रकार क्लासिकीयुगीन समाज के लोगों ने मानसिक रोगियों के साथ भी ऐसा ही किया- जिससे 'पागलपन' शब्द को परित्यक्त व्यक्ति के साथ जोड़ दिया गया। मानसिक बीमारी वाले लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा।

सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में एक नई सामाजिक प्रवृत्ति देखी गई। आलस्य या काम करने में रुचि की कथित कमी को घृणित माना जाने लगा। शासक वर्ग न केवल ऐसे लोगों से घृणा करता था बल्कि उन्हें समाज के लिये खतरनाक भी मानने लगा था। नतीजतन, अधिकारियों को इस व्यवहार को नियंत्रित करने के लिये एक तरीका ढूंढना पड़ा और आलसी तथा निष्क्रिय व्यक्तियों को भी सामान्य लोगों से अलग करना पड़ा। पुलिस की प्राथमिक भूमिका, जो पहली बार उस समय यूरोपीय देशों में उभरी, यह सुनिश्चित करना था कि दरिद्र लोग (Impoverished People) काम

- "पागलपन एक झूठे समाधान की झूठी सज़ा है, लेकिन अपने स्वयं के गुण से यह वास्तविक समस्या को उजागर करता है, जिसे तब सही मायने में हल किया जा सकता है।"
- "जो सिर एक खोपड़ी बन जाएगा, वह पहले से ही खाली है। पागलपन को पहले से ही मृत्यु के समान मान लिया है।"
- "प्रतिबिम्बों की इस प्रकृति के विपरीत ध्रुव पर पागलपन मोहित करता है, क्योंकि यह ज्ञान है।"
- "ईसाई दृष्टिकोण से, मानवीय तर्क ईश्वर के तर्क की तुलना में पागलपन है, लेकिन ईश्वरीय तर्क मानवीय तर्क के प्रति पागलपन प्रतीत होता है।"
- "गरीबी धार्मिक अनुभव की वस्तु होने और पवित्र होने से एक नैतिक अवधारणा की वस्तु बन गई, जिसकी निंदा की गई।"
- "मनोरोग चिकित्सा की भाषा, जो पागलपन के बारे में तर्क का एकालाप है, केवल इस तरह के मौन में अस्तित्व में आ सकती थी।"

एसे ऑन द प्रिंसपल ऑफ पॉप्युलेशन – टी. रॉबर्ट माल्थस

प्रसिद्ध चिंतक टी. रॉबर्ट माल्थस द्वारा लिखी गई पुस्तक 'एसे ऑन द प्रिंसपल ऑफ पॉप्युलेशन (Essay on The Principle of Population)' (1798) जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों के जटिल संबंधों को समझने के लिये एक आधारभूत ग्रंथ है। यह पुस्तक संसाधनों के संबंध में जनसंख्या की समस्या के सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययनों में से एक थी। माल्थस ने इसे मूलत: विलियम गॉडविन (William Godwin) और मारक्विस डी कोंडोरसेट (Marquis de Condorcet) जैसे समकालीन राजनीतिक दार्शनिकों की सैद्धांतिक प्रतिक्रिया के रूप में लिखा था। ये विचारक मानवता की समस्याओं के रूप में जनसंख्या की भूमिका को कम आँकते थे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस (1766-1834) के पिता, डैनियल माल्थस इंग्लिश काउंटी के उच्च मध्यमवर्गीय सज्जन व्यक्ति थे, जिनका आत्मज्ञान के आशावादी विचारों में अत्यधिक विश्वास था और वे जीन जैक्स रूसो, डेविड ह्यूम और विलियम गॉडविन जैसे दार्शनिकों के मित्र थे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा जनसंख्या पर लिखी गई यह प्रसिद्ध पुस्तक उनकी अपने पिता के साथ बातचीत पर आधारित है।

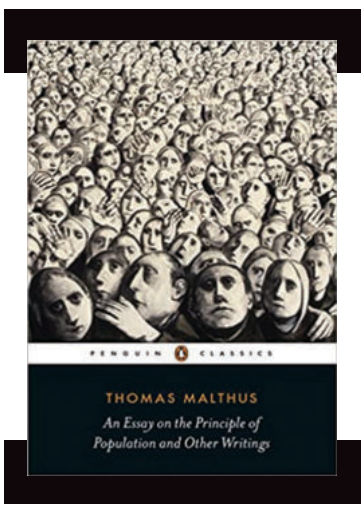

इस पुस्तक में, माल्थस ने मूलत: जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच संबंध की पड़ताल की है। माल्थस के अनुसार, अनुकूलतम परिस्थितियों में प्रत्येक जैविक आबादी, जिसमें मानव भी शामिल है, चरघातांकी रूप से (Exponentially) बढ़ सकती है। इस तरह मनुष्यों के मामले में, अनुकूलतम परिस्थितियों में जनसंख्या हर पच्चीस वर्ष में दोगुनी हो सकती है, हर पचास वर्ष में चौगुनी हो सकती है और हर पचहत्तर वर्ष में 8 गुनी बढ़ सकती है। यह हर शताब्दी में 16 गुनी बढ़ सकती है, हर दो शताब्दियों में 256 गुनी बढ़ सकती है और इसी तरह आगे बढ़ती रह सकती है। माल्थस कहते हैं कि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या हमेशा बढ़ने का प्रयास करती है। इसलिये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव जाति सामूहिक रूप से कितनी ही समृद्ध और अधिसंख्य हो, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा। वे कहते हैं, ऐसा इसलिये है क्योंकि जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो जनसंख्या गुणात्मक रूप से (अर्थात् चरघातांकीय रूप से) बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति केवल अंकगणितीय रूप से (अर्थात् अधिकतम स्थिर दर पर) बढ़ती है। माल्थस अपने सिद्धांतों को आधार देने के लिये सबसे पहले 'असभ्य (Savage)' और घुमंतू राष्ट्रों (Nomadic Nations) और फिर 'सभ्य (Civilized)' राष्ट्रों के इतिहासों का सर्वेक्षण करते हैं। सभी मामलों में, वे पाते हैं कि जब भी भोजन की आपूर्ति बढ़ती है तो जनसंख्या उसी गति से बढ़ जाती है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के 'दु:ख' और 'पाप' की अवधारणाएँ जनसंख्या को जीवन निर्वाह (Sustenance) के स्तर तक बनाए रखने का काम करती हैं। जनसंख्या दर बढ़ने से श्रम की आपूर्ति बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप मज़दूरी दर कम हो जाती है। और अंतत: निरंतर जनसंख्या वृद्धि स्वयं गरीबी का कारण बन जाती है।

स्वाभाविक है कि जनसंख्या इस दर से बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि यदि ऐसा होता है, तो पृथ्वी बहुत कम सदियों में ही लोगों से पूरी तरह भर जाएगी। इसलिये, माल्थस ने बताया कि जनसंख्या को रोकने के लिये विभिन्न प्रकार के नियंत्रण अपनाए जाने चाहिये। माल्थस के अनुसार, 'नियंत्रण' दो प्रकार के होते हैं जो जनसंख्या की वृद्धि दर को कम कर सकते हैं- निवारक नियंत्रण (Preventive Checks) तथा सकारात्मक नियंत्रण (Positive Checks)। निवारक नियंत्रण (Preventive Checks) मानव समाज द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिये अपनाया जाने वाला स्वैच्छिक नियंत्रण है। इसके लिये माल्थस अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण नैतिक संयम (Moral Restraint) की अवधारणा का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि लोगों को विवाह करने और बच्चे पैदा करने की इच्छा का तब तक विरोध करना चाहिये जब तक कि वे एक परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाते। इसका प्राय: यह मतलब होता है कि विवाह के लिये अधिक उम्र तक इंतज़ार करना। उन्होंने यह भी लिखा है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिये 'अनैतिक (Immoral)' तरीके भी हैं, जैसे कि चरित्रहीनता, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति और गर्भ-निरोध आदि। हालाँकि, अपनी मान्यताओं के कारण उन्होंने नैतिक संयम का पक्ष लिया और अनैतिक तरीकों का समर्थन नहीं किया।

जनसंख्या वृद्धि पर सकारात्मक नियंत्रण से तात्पर्य सामान्य तौर पर प्रकृति द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के अपनाए जाने वाले तरीके से है, जिसमें एक झटके में बड़ी जनसंख्या काल कवलित हो जाती है। इनमें बाढ़, तूफान दूषित पर्यावरण, महामारी, युद्ध तथा अकाल आदि प्रमुख हैं जो औसत जीवन काल को कम कर देते हैं। माल्थस के अनुसार, अंतत: इन सकारात्मक नियंत्रणों के परिणामस्वरूप माल्थुसियन तबाही (Malthusian Catastrophe) (जिसे कभी-कभी माल्थुसियन संकट भी कहा जाता है) आती है, जिससे

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

वैश्विक वन संसाधन आकलन, 2020 (Global Forest Resources Assessment, 2020)

- वैश्विक वन संसाधन आकलन, 2020 के अनुसार 2015 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है। यह गिरावट दुनिया भर में स्थायी प्रबंधन उपायों (Sustainable Management Measures) का एक परिणाम है।
- वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट, 2020 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई है।
- इस रिपोर्ट में 1990-2020 की अवधि में 236 देशों और राज्यक्षेत्रों में वनों से संबंधित 60 से अधिक चरों (Variables) की स्थिति और रुझानों की जाँच की गई है।

महत्त्वपूर्ण बातें

- दुनिया में वनों का कुल क्षेत्रफल 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि-क्षेत्र का 31 प्रतिशत है। यह क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 0.52 हेक्टेयर के बराबर है।
- दुनिया के लोगों में या भौगोलिक दृष्टि से वनों का वितरण समान नहीं है। विश्व के वनों का आधे से अधिक क्षेत्रफल (54 प्रतिशत) केवल पाँच देशों में है- रूस संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन।
- दुनिया में अभी भी कम से कम 1.11 बिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वन हैं। तीन देशों- ब्राज़ील, कनाडा और रूस संघ में संयुक्त रूप से दुनिया के प्राथमिक वनों का आधे से अधिक (61 प्रतिशत) क्षेत्रफल है।
- 1990 के बाद से प्राथमिक वन का क्षेत्रफल 81 मिलियन हेक्टेयर कम हो गया है, लेकिन पिछले दशक की तुलना में 2010-2020 के दौरान वनों के नष्ट होने की दर आधी से भी कम हो गई है।
- 2010-20 के दौरान एशिया में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई।
- 2015 में आग से लगभग 98 मिलियन हेक्टेयर वन प्रभावित हुए थे; यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में थे, जहां उस वर्ष आग से कुल वन क्षेत्र का लगभग 4 प्रतिशत जल गया था।
- 2015 में कीटों, रोगों और मौसम की चरम घटनाओं ने लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर वनों को नुकसान पहुँचाया, यह नुकसान मुख्यत: समशीतोष्ण और उत्तरी क्षेत्रों में हुआ।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2020 (Global Nutrition Report, 2020)

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 88 देशों में शामिल है जो वर्ष 2025 के लिये निर्धारित वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। भारत में, विशेषकर कुपोषण के मामले में घरेलू असमानताओं की दर उच्चतम है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी की जाती है।

महत्त्वपूर्ण बातें

- नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ, भारत में स्टंटिंग (उम्र के अनुरूप लंबाई का न होना) के मामले में सबसे अधिक असमानताएँ हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा उन सभी चार पोषण संकेतकों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की संभावना नहीं है, जिनके लिये डेटा उपलब्ध है, अर्थात्-
  - 5 से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग,
  - प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया,
  - बाल्यावस्था में अधिक वज़न और
  - विशेष स्तनपान।
- **स्टंटिंग और वेस्टिंग:** भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 37.9% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं (स्टंटेड - उम्र के अनुरूप लंबाई न होना) और 20.8% कम वज़न (वेस्टेड - लंबाई के अनुरूप वज़न न होना) से ग्रस्त हैं, जबकि स्टंटिंग तथा वेस्टिंग के मामले में एशिया का औसत क्रमश: 22.7% और 9.4% है।
- **अधिक वज़न और मोटापा:** अधिक वज़न और मोटापे की दर लगातार बढ़ रही है, इससे 21.6% महिलाएँ और 17.8% पुरुष पीड़ित हैं, जो वयस्कों का लगभग पाँचवा हिस्सा हैं।
- वयस्क पुरुषों (2.7%) की तुलना में लगभग दो गुना वयस्क महिलाएँ (5.1%) मोटापे से पीड़ित हैं।
- **एनीमिया:** प्रजनन आयु की दो महिलाओं में से एक एनीमिया से पीड़ित है।
- **कम वज़न वाले बच्चे:** 2000 और 2016 के बीच, कम वज़न वाले (Underweight) लड़कों की संख्या 66.0% से घटकर 58.1% और लड़कियों की संख्या 54.2% से घटकर 50.1% हो गई है।
- हालाँकि, यह अभी भी एशिया में लड़कों के लिये 35.6% और लड़कियों के लिये 31.8% की तुलना में अधिक है।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, 2020 (Global Energy Transition Index, 2020)

- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Global Energy Transition Index) के अनुसार भारत ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार के साथ 74वें स्थान पर आ गया है।
- 'विश्व आर्थिक मंच' (World Economic Forum-WEF) द्वारा 'वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक' जारी किया गया।

मुख्य बातें

- विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट 'डब्ल्यूईएफ फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांज़िशन 2020 रिपोर्ट' में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के आधार पर 115 देशों को रैंकिंग प्रदान की है।

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

खंड संयोजन- शशि भूषण (विवेक राही)

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

कला एवं संस्कृति

प्रश्न: 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पाल शासकों द्वारा विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर: संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में आठवीं से बारहवीं शताब्दी के दौरान पाल शासकों के संरक्षण में पुष्पित एवं पल्लवित हुई पालकला की बिहार एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। पालकला प्राचीनकालीन कला परंपरा एवं मध्यकालीन परंपरा के बीच की कड़ी है। पाल शासक महान कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं भित्ति चित्रकला को राजकीय संरक्षण प्राप्त था।

पालकला शैली के विभिन्न रूपों एवं उनकी विशेषताओं को निम्न भागों में वर्गीकृत कर समझने का प्रयास कर सकते हैं-

- स्थापत्यकला
- हिन्दू स्थापत्यकला
- बौद्ध स्थापत्यकला
- स्तूप, महाविहार, चैत्य, बौद्ध मंदिर

- **हिन्दू स्थापत्य कला:** हिन्दू स्थापत्य कला में गया स्थित विष्णुपद मंदिर में प्राचीन अर्थ मंडप का भाग पालकालीन है। इस अर्धमंडप की विशेषता उसका आकर्षक होना है। कहलगाँव का गुफा मंदिर एवं विग्रह पाल द्वारा निर्मित बटेश्वर तथा पितामहेश्वर मंदिर भी शामिल हैं।
- **बौद्ध स्थापत्य कला:** स्तूप का निर्माण बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिये किया जाता था। यह गोलाकार टीले की संरचना होती है।
- **महाविहार:** यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। इसके अवशेषों में अेदंतपूरी विक्रमशिला महाविहार की उत्कृष्टता सर्वाधिक है।

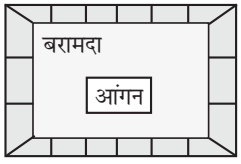

- **चैत्य:** बौद्धों का पूजा ग्रह है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। पूजायेक स्तूप को चैत्य कहा जाता है।
- **बौद्ध मंदिर:** पाल शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में महाबोधि मंदिर के प्रांगण में स्थित ताश का मंदिर प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता है कि इसका शिखर महाबोधि मंदिर के शिखर के समान है।
- **मूर्तिकला:** पालकालीन निर्मित मूर्तियाँ हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित सूर्य, विष्णु, बलराम और गणेश की मूर्तियाँ मिली हैं। वहीं बौद्ध धर्म से संबंधित तारा, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, जमला आदि की मूर्तियाँ भी मिली हैं।
- मूर्तिकला
  - प्रस्तर की मूर्ति
  - कांसे की मूर्ति
  - मृण्मूर्ति मूर्ति
- **प्रस्तर की मूर्ति:** ये मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हैं जो संथाल परगना और मुंगेर ज़िले की पहाड़ियों से प्राप्त पत्थर से बनाए जाती थीं।

सामान्यत: इन मूर्तियों में शरीर के अग्रभाग को दिखाने की कोशिश की गई है। इनमें देवी-देवताओं के मूर्तियाँ है। परंतु बुद्ध की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। उदाहरण- जन्म, प्रथम धर्मोपदेश, निर्वाण आदि। ये मूर्तियाँ अलंकरण की प्रधानता के कारण अधिक मनमोहक प्रतीत होती हैं।

- **कांसे की मूर्ति:** मूर्तियाँ मूलत: धातु की बनी होती थीं। इनमें अलंकरण की अद्रभूत महत्ता थी तथा ये साँचे में भी ढली थी। इस कला के प्रमुख शिल्पकार नालंदा के धीमन व वीठपाल थे।

सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल मूर्ति अभी भी बर्मिंघम संग्राहलय में रखी गई हैं। इस धातु की मूर्ति को नालंदा, कुक्रिहार एवं गया से प्राप्त किया गया है।

- **मृण्मूर्ति:** पालकालीन निर्मित मूर्तियों के अवशेषों में मृण्मूर्तियाँ भी मिली हैं। ये मूर्तियाँ विक्रमशिला महाविहार से प्राप्त की गई हैं। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि ये नारी सौंदर्य को प्रदर्शित करती हैं।

निष्कर्ष: स्थानीय शासन के बावजूद भी पाल युग में मूर्तिकला, स्थापत्यकला एवं चित्रकला काफी उन्नत अवस्था में थी। पालकला ने बिहार की कला परंपरा को राष्ट्रीय कला परंपरा के रूप में स्थापित एवं अग्रसारित किया।

सामाजिक मुद्दे

प्रश्न: प्रवासी का आशय स्पष्ट करते हुए कोरोना संकट के दौरान आंतरिक प्रवासियों को हुई परेशानियों का उल्लेख करें। साथ ही, उन्हें परेशानियों से उबारने हेतु आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तर: प्रवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अपने जन्मस्थान से भिन्न स्थान पर निवास करता है या जो अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अधिवासित हो जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की संख्या 450 मिलियन थी।

कोरोना संकट का आंतरिक प्रवासियों पर प्रभाव

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में 40 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं। इनमें ज्यादातर आंतरिक प्रवासी हैं। कोरोना संकट ने अनौपचारिक क्षेत्र को बहुत क्षति पहुँचाई है। इससे बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ रहा है।
- शहरों, छोटे कस्बों या अपने-अपने कार्यस्थलों से अपने गाँवों या मूलस्थान की ओर लौट रहे श्रमिकों के लिये क्वारंटाइन सुविधाओं का अभाव है।

करेंट अफेयर्स

पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिये कॉयर जियो टेक्सटाइल (Coir Geo Textiles) का इस्तेमाल सड़क निर्माण के लिये किये जाने की बात स्वीकार की गई है।
2. कॉयर जियो टेक्सटाइल पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल (Biodegradable) है।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा।
2. इस योजना के दो प्रमुख घटक- केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सेंटर सेक्टर स्कीम) और केंद्र प्रायोजित योजना (सेंटर स्पोंसर्ड स्कीम) हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ (NBFCs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. दोनों बैंकों की निगरानी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियामक एजेंसी द्वारा की जाती है।
2. दोनों बैंक डिमांड डिपोज़िट (Demand Deposits) स्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को काले पैगोडा (Black Paigoda) के नाम से भी जाना जाता है?

(a) सन टेम्पल
(b) जगन्नाथ टेम्पल
(c) मीनाक्षी टेम्पल
(d) रंगनाथ टेम्पल

5. सीवीसी (CVC) और सीबीआई (CBI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी संकल्प पारित कर की गई थी।
2. सीवीसी की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण के लिये संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CBI) की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

6. भारत और किस देश के मध्य कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख एक विवादित स्थल है?

(a) नेपाल (b) श्रीलंका
(c) चीन (d) भूटान

7. पिनांग अंडमानेसिस (Pinang Andmanesis) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक अति संकटापन्न (Critically Endangered) प्रजाति है।
2. यह दक्षिणी अंडमान के माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान (Mount Harriet National Park) में पाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. अम्फान चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. बंगाल की खाड़ी से उठने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
2. इसका नाम थाईलैंड द्वारा रखा गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

9. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

उष्णकटिबंधीय चक्रवात		महासागर
1. चक्रवात	–	हिंद महासागर
2. हरिकेन	–	अटलांटिक महासागर
3. टाइफून	–	पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर

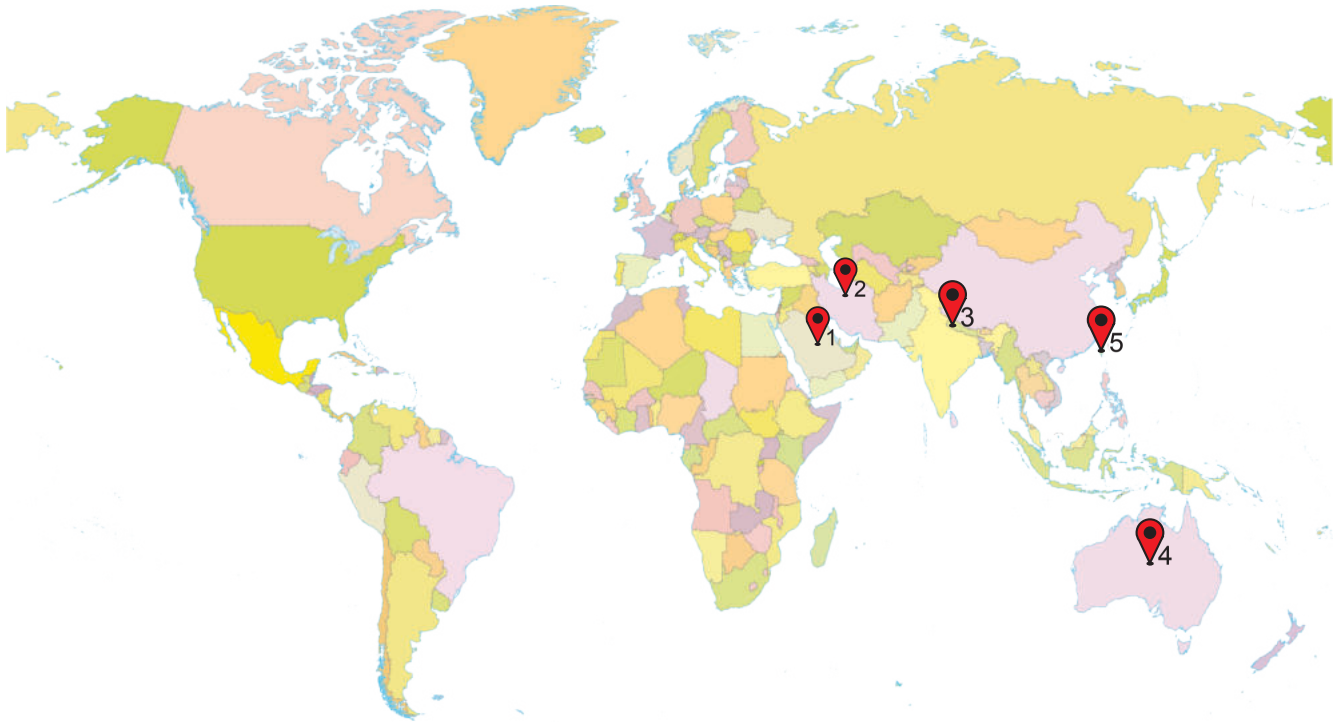

मानचित्र-1 (विश्व)

प्रश्न

1. उस देश की पहचान कीजिये जिसने हाल ही में कोड़े लगाने (Flogging) की प्रथा को खत्म किया है।
2. उस देश की पहचान कीजिये जिसने उच्च मुद्रास्फीति के कारण अपनी मुद्रा को बदल दिया है।
3. उस देश की पहचान कीजिये जिसका कालापानी क्षेत्र को लेकर भारत के साथ विवाद है।
4. उस देश की पहचान कीजिये जिसने हाल ही में सैन्य अभ्यास 'पिच ब्लैक' को रद्द कर दिया है।
5. चीन के दक्षिणी तट पर स्थित उस देश की पहचान कीजिये जहाँ उसके राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दो भारतीय सांसद वर्चुअली उपस्थित थे।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-145 पर देखें)

मानचित्र

जाँचिये कि क्या आप इन नक्शों में

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र-2 (भारत)

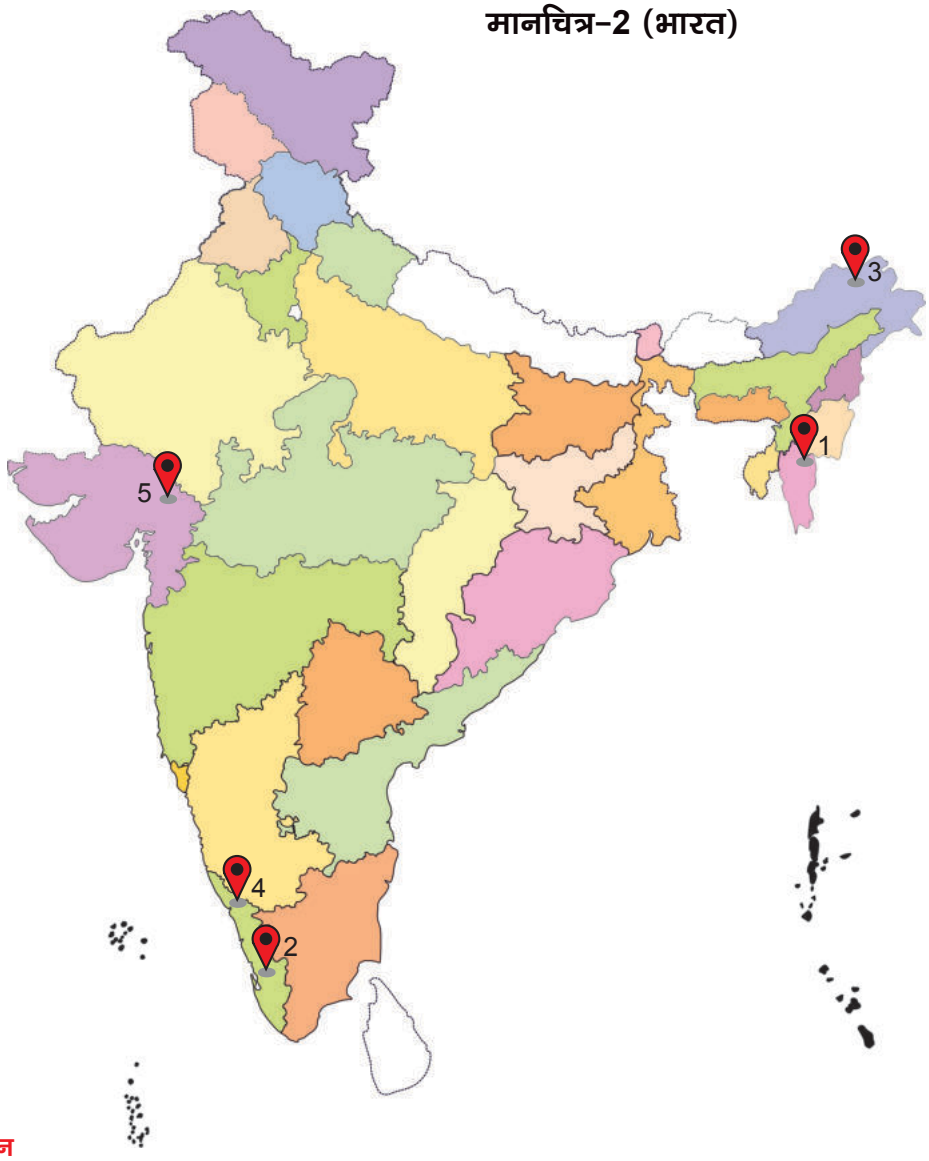

प्रश्न

1. उस राज्य की पहचान कीजिये जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है।
2. उस शहर की पहचान कीजिये जिसे किसानों के लिये आईटीसी की वीडियो ट्रिब्यूट में जगह मिली।
3. उस राज्य की पहचान कीजिये जहाँ एक जनजाति ने हाल ही में लॉकडाउन त्यौहारों अर्र-रिनम (Arr-Rinam) और अली-तरणम (Ali-Ternam) को पुनः प्रचलित किया है।
4. उस दर्रे की पहचान कीजिये जो अनकंम्पोइल-कल्लाडी-मेप्पादी गलियारे के समानांतर चलता है।
5. उस राज्य की पहचान कीजिये जिसने हाल ही में अपने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-145 पर देखें)

निबंध खंड

सुंदर वही हो सकता है जो कल्याणकारी हो

-पुरुषोत्तम 'प्रतीक'

सबसे सुंदर है जो समुद्र
हमने आज तक उसे नहीं देखा
सबसे सुंदर है जो शिशु
वह आज तक बड़ा नहीं हो सका है
हमें आज तक नहीं मिले हैं
हमारे सबसे सुंदर दिन

सुंदरता की अवधारणा ही बड़ी अमूर्त है, सुंदरता के मानक बड़े आत्मनिष्ठ हैं, सुंदरता कभी-कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते ही असुंदर हो जाती है तो असुंदर भी किसी-किसी के लिये सुंदर प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि जो सुंदरता की वस्तुनिष्ठ अवधारणा के पोषक हैं, गहरे अर्थों में वे भी आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। उनके लिये भी सुंदरता कुछ विशेष मापदण्डों के आधार पर तय होती है, जो व्यक्ति या विचार के बदलते ही बदल जाती है। एक तरफ सुकरात, अरस्तू, होगार्थ, लैबनिज़, ह्यूम, कीट्स, वड्र्सवर्थ जैसे वस्तुवादी विचारक यह मानते हैं कि सुंदरता मूल रूप से वस्तु पर निर्भर करती है। मनुष्य की चेतना केवल सौंदर्य की द्रष्टा है, सौंदर्य के निर्माण में उसका कोई सक्रिय सहयोग नहीं है। तथा दूसरी ओर प्लेटो, प्लेटिनस, शेफ्टेसबरी, बामगार्टन, ऑस्कर वाइल्ड, कांट, हीगेल जैसे अनुभूतिवादी विचारकों का मानना है कि सौंदर्य वस्तु में नहीं बल्कि उसे देखने वाले के हृदय में है। आंतरिक अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य का स्वरूप पूर्ण होता है, बाह्य माध्यमों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति एक गौण उपचार मात्र है। कांट ने कहा भी है- "सौंदर्य किसी वस्तु में नहीं बल्कि सौंदर्य की भावना देखने वालों के हृदय और कल्पना में होती है।" रीतिवादी कवि बिहारी भी लिखते हैं-

समै समै सुंदर सबै रूप कुरूप न कोय।
मन की रुचि जेति जितै, तित तेति रुचि होय॥

सौंदर्य के शास्त्रीय विवादों को गहराई से परखने पर कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही व्याख्याएँ जिस सौंदर्य की बात कर रही हैं वह कहीं-न-कहीं बेहद स्थूल है, जड़ है, भौतिक है। इसलिये ये व्याख्याएँ एक बिंदु पर आकर ठहर जाती हैं, वह है सौंदर्य का स्थूल स्वरूप यानी बाह्य रूप। यही कारण है कि दोनों ही व्याख्याओं में वस्तु के बाह्य स्वरूप का लोप नहीं हो पाता और दोनों में ही वस्तुनिष्ठता के तत्त्व मिलते हैं।

यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि हम जिस सौंदर्य की बात कर रहे हैं क्या उसकी अवधारणा इतनी संकीर्ण है कि उसकी व्याख्या केवल रूप के स्तर पर ही हो सकती है? रूप, सौंदर्य का एक उपकरण हो सकता है, एक स्थूल प्रकार का हो सकता है, परन्तु रूप को सौंदर्य का पर्याय मान लेना किसी प्रकार से युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। सौंदर्य एक व्यापक अवधारणा है जो बाह्य के साथ-साथ कई सूक्ष्म आंतरिक गुणों को गर्भित किये हुए है, जो कई आयामों, कई अर्थों, कई रहस्यों का समुच्चय है। जो पूर्ण होकर भी अपूर्ण है और अपूर्णता में भी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सौंदर्य वह है जो शुभ है, जो शिव है, जो कल्याण है, जो शब्दों में प्रकट होकर भी शब्दों से परे है। सौंदर्य की आभा शाश्वत होती है, वह न तो नवीन है, न पुरातन, वह सर्वदा अद्यतन होती है। सौंदर्य वह है, जिसका उद्देश्य सत्य है, सौंदर्य वह है, जिसका उद्देश्य शुभ है, सत्य वह है जिसका उद्देश्य कल्याण है। भारतीय मनीषियों ने वर्षों पूर्व अपनी ऋचाओं में उद्घोषित कर दिया था-

सत्यं शिवम् सुंदरम्

सत्य ही शिव है, यानी सत्य ही शुभ है, कल्याण है और सुंदर है। भारतीय मनीषियों के सौंदर्य की इस व्याख्या में गणित नहीं है, यह तर्कों से परे है, यह तर्कातीत है। तर्क तो गणित मांगता है, वह वस्तु को पकड़ेगा, वह विषय के एक पहलू को छू सकता है, सर्वांगीण व्याख्या तो तर्कातीत होती है।

सौंदर्य एवं कला के स्वरूप को लेकर एक बहस कलावाद यानी 'कला, कला के लिये' (Art for Art's Sake) की मान्यता को लेकर भी छिड़ती है। 19वीं सदी में यूरोप में इस विचार का व्यापक प्रभाव पड़ा। कलावाद की धारणा कहती है कि कला या सौंदर्य का उद्देश्य किसी नैतिक या धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं बल्कि स्वयं पूर्णता की तलाश है। कला सौंदर्यानुभूति की वाहक है इसलिये इसे उपयोगिता की कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिये। समाज, नीति, धर्म, दर्शन आदि के नियमों का पालन कला की स्वच्छंद तथा स्वत: स्फूर्त अभिव्यक्ति में बाधक होता है। प्रसिद्ध कवि गोरख पांडे इस तरह की विचारधारा पर तंज करते हैं-

कला, कला के लिये हो
जीवन को खूबसूरत बनाने के लिये न हो
रोटी, रोटी के लिये हो
खाने के लिये न हो।

दरअसल इस तरह की विचारधारा लेखकीय असंतुष्टि के विद्रोह का ज़रिया मात्र है। यह कोई वाद न होकर 'उपयोगितावाद' के खिलाफ एक प्रतिवाद है। उपयोगितावाद जहाँ प्रत्येक अस्ति को केवल उपयोग या उपभोग की वस्तु समझता है, उसके विरुद्ध रचनात्मक असंतुष्टि का इस प्रकार फूटना स्वाभाविक है, परंतु सत्य तो यह है कि सृष्टि की श्रेष्ठ सर्जनात्मकता जहाँ प्रस्फुट होती है उसे निहित स्वार्थों से परिभाषित करना किसी प्रकार

निबंध प्रतियोगिता

प्रिय पाठको,

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध का एक विषय दिया जाता है। आप इस विषय पर अधिकतम 1500 शब्दों में निबंध टाइप कराकर निर्धारित तिथि तक हमें भेज सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से पुरस्कार का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत **प्रथम तीन विजेताओं को क्रमशः एक साल, 9 महीने एवं 6 महीने तक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका निःशुल्क भेजी जाएगी।**

प्रतियोगिता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं-

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-60

विषयः हर आपदा अपने साथ एक अवसर भी लाती है।

प्रतियोगिता के नियमः

1. निबंध अधिकतम 1500 शब्दों में ही होना चाहिये।
2. निबंध मुद्रित (टाइप) कराकर ही भेजें। ध्यान रखें कि हस्तलिखित निबंध स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पिछली प्रतियोगिताओं में देखने में आया है कि कुछ प्रतिभागियों के विचार तो अच्छे होते हैं परंतु उनमें शाब्दिक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आपसे निवेदन है कि इसका ध्यान रखें। निबंधों के मूल्यांकन में इसका भी ध्यान रखा जाता है।
3. निबंध की प्रविष्टि दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक या ई-मेल द्वारा ही भेजें। प्रविष्टि भेजने का पता है- कार्यकारी संपादक, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 तथा ई-मेल आईडी है- purushottam@groupdrishti.com। लिफाफे के ऊपर 'निबंध प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि' ज़रूर लिखें।
4. निबंध की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिये।
5. अपनी प्रविष्टि के साथ इसी पृष्ठ पर दिये गए फॉर्म में अपना व्यक्तिगत परिचय लिखकर अवश्य भेजें। ध्यान रखें कि इस फॉर्म के बिना भेजे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आपकी प्रविष्टि ***20 जुलाई, 2020*** तक पहुँच जानी चाहिये। उसके बाद पहुँचने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम ***सितंबर*** अंक में प्रकाशित होगा।
7. आपके विचार मौलिक होने चाहिये। किसी भी रूप में पूर्व-प्रकाशित व पुरस्कृत निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निबंध के परिणाम के संबंध में सर्वाधिकार 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पास सुरक्षित हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाएंगे। प्रतियोगिता के परिणाम के संदर्भ में किसी भी किस्म का पत्राचार अथवा टेलीफोन न करें।

नोटः जो प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रविष्टियों पर उस अंक से लेकर अगले एक वर्ष के अंक तक कोई विचार नहीं किया जाएगा।

कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से निबंध प्रतियोगिता-58 के कोई भी निबंध हमें प्राप्त नहीं हो सके। इस वजह से हम इस बार से ई-मेल द्वारा भी निबंध प्राप्त कर रहे हैं। आप हमें डाक के अतिरिक्त ई-मेल द्वारा भी निबंध भेज सकते हैं। ई-मेल आई डी ऊपर दिये गए नियमों में उल्लिखित है। कृपया निबंध भेजने में इस बात का ध्यान रखें कि आप डाक या ई-मेल में से एक माध्यम से ही निबंध भेजें। दोनों माध्यमों से भेजने पर निबंध पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

निबंध प्रतियोगिता का फॉर्म

(कृपया इस फॉर्म को फाड़कर अपने निबंध के साथ संलग्न करें। मूल फॉर्म ही भेजें, फोटोकॉपी नहीं।)

प्रतिभागी का नाम ..... मोबाइल नंबर .....

पत्राचार हेतु पता .....

.....

ई-मेल पता .....

माइंड मैप

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

भारत में मतदान की अनिवार्यता

परिचय

- वोट की अनिवार्यता से तात्पर्य मतदान देने के दायित्व (Obligation to Vote) से है।
- योग्य मतदाता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वोटिंग करे।
- चुनावों के दौरान इसकी विफलता के उपरांत या तो मतदाता के लिये दंड का प्रावधान होगा या फिर उसे ''डिफॉल्टर मतदाता'' के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।

भारत में मतदान की अनिवार्यता

- वर्ष 1951 के दौरान पहली बार मतदान की अनिवार्यता (Compulsory Voting) का विचार सामने आया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।
- वर्ष 1990 के दौरान दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसके कार्यान्वयन संबंधी दिक्कतों के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया था।
- वर्ष 2004 में अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004 को संसद में एक प्राइवेट मेंबर विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रत्येक पात्र मतदाता को वोट देना अनिवार्य होगा। केवल कुछ स्थितियों में ही उसे छूट दी जाएगी, जैसे- बीमार होने इत्यादि पर। हालाँकि इसे स्वीकार नहीं किया गया।
- इसी उद्देश्य से एक अन्य प्राइवेट मेंबर विधेयक को संसद में वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया था।

चुनौतियाँ

- भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विचारों में विविधता और नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे कहीं भाग लें अथवा नहीं।
- भारत में मतदान करना एक कर्त्तव्य की बजाय एक अधिकार है।
- नागरिकों के मतदान देने के अधिकार का उल्लंघन।
- मूल अधिकारों का उल्लंघन।

मतदान का अधिकार बनाम मतदान की अनिवार्यता

- भारत में नागरिकों को मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो, को कुछ अपवादों के साथ मतदान का अधिकार दिया गया है।
- मतदान का अधिकार एक विधिक के साथ-साथ संवैधानिक अधिकार भी है।
- जबकि दूसरी तरफ मतदान की अनिवार्यता (Compulsory Voting) से नागरिकों के स्वतंत्रता (Liberty) और अभिव्यक्ति (Expression) संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- वोट देने के संवैधानिक अधिकार की व्याख्या में वोट 'वोट न देने के अधिकार (The Right to Not Vote)' को भी शामिल किया गया है, इसलिये ऐसी स्थिति में मतदान की अनिवार्यता से संविधान का भी उल्लंघन होता है।
- इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ''वोट देने के कर्त्तव्य की बजाय वोट देने का अधिकार'' प्रदान करता है।

विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति

- वर्तमान विश्व में 11 देश ऐसे हैं जहाँ मतदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, उरुग्वे, स्विट्ज़रलैंड तथा पेरू आदि शामिल हैं।
- ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम ने वोट नहीं देने पर नागरिकों से जुर्माना वसूल करते हैं।
- ब्राज़ील और पेरू में वोट न देने पर नागरिक को राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ और सामाजिक सुरक्षाएँ बाधित कर दी जाती हैं।
- चिली, फिजी, नीदरलैंड और वेनेजुएला ने अपने देश में अनिवार्य मतदान को समाप्त कर दिया है।

प्रिलिम्स मॉडल अभ्यास प्रश्न-पत्र

(यू.पी.एस.सी. आपका मूल्यांकन करे, इससे पहले अपना मूल्यांकन स्वयं करें)

प्रिय पाठको, प्रारंभिक परीक्षा में जितना महत्त्व साल भर चलने वाली तैयारी का होता है, उतना ही इस बात का कि आप परीक्षा के 2 घंटों में कितना सटीक प्रदर्शन कर पाते हैं। इस प्रदर्शन को सुधारने का एक ही तरीका है और वह यह कि आप बार-बार 2 घंटों की समय-सीमा में प्रश्न-पत्र हल करने का अभ्यास करें। इस अंक में हम सामान्य अध्ययन के लिये 5 प्रश्न-पत्र दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि इनका अभ्यास कर लेने के बाद आप खुद को काफी बेहतर स्थिति में पाएंगे।

आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

परीक्षण पुस्तिका

सामान्य अध्ययन

समय : दो घण्टे **पूर्णांक : 200**

अनुदेश

1. **परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद, आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्न आदि न हो। यदि ऐसा हो तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लीजिये।**
2. **उत्तर-पत्रक में सही स्थान पर परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम A, B, C या D यथास्थिति स्पष्ट रूप से कूटबद्ध कीजिये।**
3. इस पंक्ति के साथ में दिये गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर **और कुछ न** लिखें।
4. इस परीक्षण पुस्तिका में **100** प्रश्नांश (प्रश्न) दिये गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिये गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिये केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है।
5. आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिये गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिये गए निर्देश देख लें।
6. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
7. इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।
8. आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर केवल उत्तर-पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।
9. कच्चे काम के लिये कुछ पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न हैं।
10. **गलत उत्तरों के लिये दंड:**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिये गए गलत उत्तरों के लिये दंड दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गए एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गए अंकों का **एक-तिहाई** दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, चाहे दिये गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, उस प्रश्न के लिये उपर्युक्तानुसार ही दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिये **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

OPEN

प्रैक्टिस पेपर-1

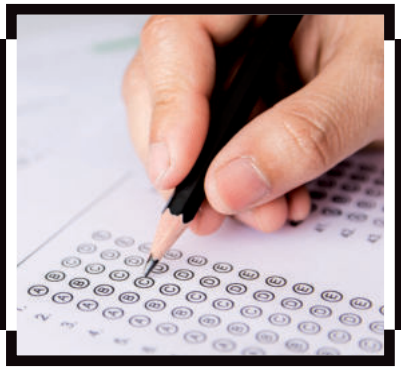

1. सरकार के संसदीय रूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अधिनियमों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
   2. इसे 'सरकार का वेस्टमिन्स्टर मॉडल' भी कहा जाता है।
   3. रूस, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में इस प्रकार की सरकार है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

2. संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिये:
   1. संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है जबकि एकात्मक व्यवस्था में लिखित या अलिखित संविधान होता है।
   2. संघीय व्यवस्था में अनम्य संविधान होता है जबकि एकात्मक व्यवस्था में अनम्य अथवा नम्य संविधान होता है।
   3. संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में एकसदनीय विधायिका होती है।
   4. संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही **नहीं** हैं?
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
   (c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 3 और 4

3. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के विरुद्ध लड़ाई में कार्बन कैप्चर और भंडारण एक अनिवार्य साधन बन गया है। कैप्चर किये गए कार्बन के भंडारण के लिये निम्नलिखित में से किन्हें उचित विकल्प माना जाता है?
   1. क्षयित तेल क्षेत्र
   2. क्षयित गैस क्षेत्र
   3. गहरे लवणीय निर्माण
   4. क्षयित हो रहे तेल क्षेत्र

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान:
   1. संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अधिगृहीत कर लेती है।
   2. इस अवधि में संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्त होने के 2 वर्षों के बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं।
   3. राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की राज्य विधायिका की शक्ति पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. संसद साधारण विधेयक पारित कर संविधान में दिये गए मौलिक अधिकारों में से किसी को भी निरस्त कर सकती है।
   2. किसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा होने पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है।
   3. जब मार्शल लॉ लागू हो, तो मौलिक अधिकारों की अनुप्रयोज्यता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

6. भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएँ:
   1. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमश: नाममात्र और वास्तविक कार्यपालक हैं।
   2. मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हैं।
   3. कम-से-कम एक वर्ष के लिये संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है।
   4. मंत्री अपना पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं जिसे प्रधानमंत्री दिलवाते हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 1 और 2
   (d) केवल 3 और 4

प्रैक्टिस पेपर-2

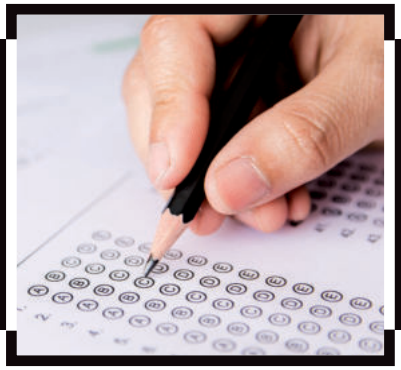

1. निम्नलिखित में से कौन लोकपाल का चयन करने वाली समिति का हिस्सा **नहीं** है?
   (a) गृह मंत्री (b) लोकसभा अध्यक्ष
   (c) भारत का मुख्य न्यायाधीश (d) लोकसभा में विपक्ष का नेता

2. भारत की निम्नलिखित में से किस नदी में सिंधु नदी की डॉल्फिन मुख्य रूप से पाई जाती है?
   (a) सतलुज (b) ब्यास
   (c) झेलम (d) रावी

3. अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (आई.सी.आई.एम.ओ.डी.) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. आई.सी.आई.एम.ओ.डी. केवल हिंदू कुश हिमालय (एच.के.एच.) क्षेत्र पर केंद्रित है।
   2. इसके क्षेत्रीय सदस्यों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्याँमार, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारत ने सभी आठ मौलिक आई.एल.ओ. अभिसमयों की पुष्टि की है।
   2. भारत आई.एल.ओ. के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. भारत के पहले मेगा एक्वा फूड पार्क, जो विशेष रूप से मत्स्य एवं समुद्री उत्पादों के लिये है, को किस राज्य में शुरू किया गया है?
   (a) आंध्र प्रदेश (b) गुजरात
   (c) महाराष्ट्र (d) केरल

6. 'डिजिटल इंडिया पुरस्कार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया जाता है।
   2. ये पुरस्कार भारत को डिजिटल रूप से अधिक समावेशी बनाने के विभिन्न स्टार्ट-अप्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रयासों हेतु प्रदान किये जाते हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह ऐसे सभी छोटे और सीमांत भू-स्वामियों पर लागू होती है जिनके पास 5 हेक्टेयर तक की जोत भूमि है।
   2. इसमें सभी लाभार्थियों को 12000 रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छह समान किश्तों में एक सुनिश्चित वार्षिक आय प्रदान की जाएगी।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 'श्रेयस' योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. इस योजना का उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
   2. यह उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा पाठ्यक्रम को श्रेणीबद्ध करेगा और सभी छात्रों को उनकी योग्यता व पसंद के कौशल में कार्य करते हुए उनके प्रदर्शन को बढ़ावा देगा।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

9. वहन योग्य परिवहन के सतत् वैकल्पिक उपाय (सतत्) का उद्देश्य प्रचार करना है:
   (a) विद्युत वाहनों का
   (b) संपीडित बायो-गैस के प्रयोग का
   (c) इथेनॉल और बायो-डीज़ल के प्रयोग का
   (d) उपरोक्त सभी

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. भारत में किसी अन्य प्रकार के वनाच्छादन की तुलना में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के तहत सर्वाधिक क्षेत्र है।
    2. तटीय एवं दलदली वन केवल डेल्टा और एश्चुअरी के समीप पाए जाते हैं, ये सँकरी खाड़ियों के आसपास नहीं उगते हैं।

प्रैक्टिस पेपर-3

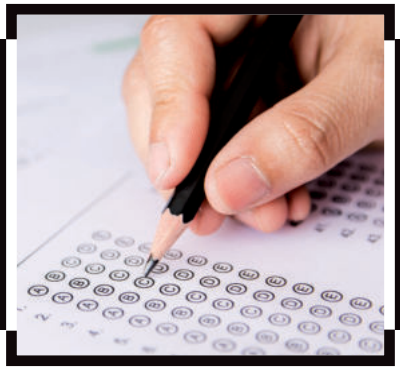

1. आदर्श आचार संहिता (MCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. संहिता मतदान के पहले दिन से लागू होती है और प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहती है।
   2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में MCC का उल्लेख किया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को संचालित करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. RBI किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बोर्ड निदेशक को पद से हटा सकता है और नियुक्त भी कर सकता है।
   2. RBI किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के विलय, विभाजन और पुनर्गठन के लिये योजनाएँ तैयार कर सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत BEE की स्थापना की।
   2. यह ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण पर जागरूकता तथा सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देती है, लेकिन ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई 'पोर्टफोलियो' प्रणाली को मान्यता प्रदान की।
   2. इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की।
   3. बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल करते हुए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है जिसे खादर कहते हैं।
   2. खादर मृदा गहन कृषि के लिये उपयुक्त नहीं है।
   3. बांगर क्षेत्र में नदी जलधाराएँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुन: अवतरित हो जाती हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

6. भारत में बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 का एक पक्षकार है।
   2. एक विषय के रूप में अंतरिक्ष का उल्लेख संघ सूची में किया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

7. 'Feed-in Tariff' (फीड-इन टैरिफ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सबसे उचित है?
   (a) यह स्वयं कुछ मात्रा में विद्युत उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को यह अनुमति देता है कि वे उस विद्युत के उत्पादित होने के समय की बजाय किसी भी समय उसका उपयोग कर सकते हैं।
   (b) यह प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण में सुधार के उद्देश्य से स्थापित एक व्यापार अवरोधक है।

प्रैक्टिस पेपर-4

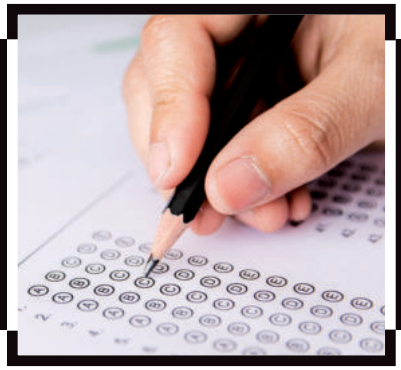

1. निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

सूचकांक/रिपोर्ट		जारीकर्त्ता
1. विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना	–	संयुक्त राष्ट्र
2. व्यापार सुगमता सूचकांक	–	विश्व बैंक
3. वैश्विक वेतन/पारिश्रमिक रिपोर्ट	–	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. नवोदय विद्यालय योजना ग्रामीण बच्चों के लिये है।
   2. राष्ट्रीय मिशन, 'निष्ठा' का उद्देश्य शिक्षकों में क्षमता का निर्माण करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के गठन की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की गई थी?
   (a) रघुराम राजन समिति
   (b) पी.जे. नायक समिति
   (c) नरसिम्हन समिति
   (d) उदय कोटक समिति

4. SPADEX के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
   (a) यह अंतरिक्ष डॉकिंग से जुड़ा एक प्रयोग है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा किया जाना है।
   (b) यह थर्टी मीटर टेलीस्कोप अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला का एक गहन अंतरिक्ष अवलोकन कार्यक्रम है।
   (c) यह गोल्डीलॉक ज़ोन का पता लगाने के लिये नासा की उपग्रह प्रणालियों का नाम है।
   (d) यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित स्वतंत्र रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है।

5. ICAT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
   (a) यह प्रौद्योगिकीय पेटेंट से संबंधित विवादों पर निर्णय करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है।
   (b) यह भारत में स्थित एक अग्रणी विश्व स्तरीय मोटर वाहन परीक्षण, प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास सेवा प्रदाता है।
   (c) यह ह्वाइट लेबल ए.टी.एम. की नवीनतम श्रृंखला है जो चेहरे की पहचान के माध्यम से नकदी प्रदान करेगी।
   (d) बैंक धोखाधड़ी की जाँच के लिये सेबी का एक तकनीकी प्रभाग है।

6. प्राय: समाचारों में देखा जाने वाला पद 'NEON' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
   (a) दुनिया के प्रथम कृत्रिम मानव से।
   (b) पूर्णत: कीटाणुहीन स्थिति प्रदान करने वाले प्रथम पराबैंगनी उत्सर्जक बल्ब से।
   (c) हानिकारक कणिका तत्त्वों को समाप्त करने के लिये उपयोग किये जा सकने वाले एक नए उपकरण से।
   (d) भावी अंतरिक्ष युद्ध के लिये डिज़ाइन की गई एक रोबोटिक प्रणाली से।

7. जलीय जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. तरणक असंबद्ध जीव होते हैं जो वायु-जल अंतराफलक, जैसे कि तैरते हुए पादपों पर रहते हैं।
   2. पटलक ऐसे जंतु हैं जो स्वाभाविक तैराक होते हैं।
   3. नितलस्थ ऐसे जीवों का समुदाय है जो गहरे सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

8. हाल ही में बोजनाकोंडा के स्मारक समाचारों में थे। इन स्मारकों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
   (a) बौद्ध (b) वैष्णव
   (c) शैव (d) जैन

9. निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' की मांग को औपचारिक रूप दिया?
   (a) कराची अधिवेशन
   (b) त्रिपुरी अधिवेशन
   (c) लाहौर अधिवेशन
   (d) बेलगाम अधिवेशन

प्रैक्टिस पेपर-5

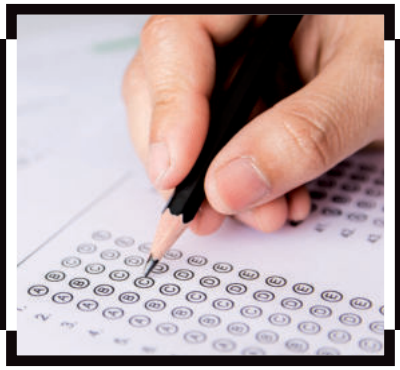

1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कॉन्ग्रेस के नागपुर सत्र (1920) के परिणामों में शामिल **नहीं** था/थे?
   1. दैनिक मामलों की देखरेख हेतु 15 सदस्यों की एक कॉन्ग्रेस कार्यकारिणी समिति की स्थापना की गई।
   2. इसने कॉन्ग्रेस को अतिरिक्त संवैधानिक जन कार्रवाई के कार्यक्रम हेतु प्रतिबद्ध किया।
   3. इस सत्र के दौरान सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कॉन्ग्रेस से क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

2. 'एयरोजेल', 'ब्लू एयर' और 'फ्रोज़न स्मोक' शब्दों को कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है:
   (a) प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में
   (b) इन्सुलेशन के संदर्भ में
   (c) पुरातत्त्व के संदर्भ में
   (d) कृषि के संदर्भ में

3. 'भारत क्यू.आर. कोड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह रुपए, वीज़ा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस तथा भीम-यू.पी.आई. के माध्यम से भुगतान का समर्थन करता है।
   2. यह एक द्विआयामी मशीन द्वारा पठनीय कोड है जो काले व सफेद वर्गों से निर्मित है।
   3. इसमें खाता विवरणों के सत्यापन हेतु प्वाइंट ऑफ सेल (पी. ओ.एस.) मशीन की आवश्यकता होती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह कहते हैं।
   2. जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को अरीय अपवाह कहते हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. ये भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में प्रवेश करते हैं।
   2. ये विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं।
   3. शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

6. पृथ्वी के वायुमंडल और जलमंडल के उद्विकास से संबंधित निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिये:
   1. गैस उत्सर्जन
   2. आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास
   3. प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल की संरचना का संशोधन
   4. महासागरों तथा अन्य जल निकायों का उद्भव

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) 1–2–4–3
   (b) 2–1–4–3
   (c) 4–2–1–3
   (d) 1–2–3–4

7. अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित 'विधि' में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है?
   1. संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधियाँ।
   2. राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, जैसे- अस्थायी विधियाँ।
   3. प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) की प्रकृति में संवैधानिक साधन, जैसे- अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना।
   4. विधि के गैर-विधायी स्रोत, जैसे- विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

दृष्टि The Vision

IAS/PCS

Student's Name (Write In BLOCK letters only)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Roll Number

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subject

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Test No.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mobile Number

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	A	B	C	D	41	A	B	C	D	81	A	B	C	D	121	A	B	C	D	161	A	B	C	D
2	A	B	C	D	42	A	B	C	D	82	A	B	C	D	122	A	B	C	D	162	A	B	C	D
3	A	B	C	D	43	A	B	C	D	83	A	B	C	D	123	A	B	C	D	163	A	B	C	D
4	A	B	C	D	44	A	B	C	D	84	A	B	C	D	124	A	B	C	D	164	A	B	C	D
5	A	B	C	D	45	A	B	C	D	85	A	B	C	D	125	A	B	C	D	165	A	B	C	D
6	A	B	C	D	46	A	B	C	D	86	A	B	C	D	126	A	B	C	D	166	A	B	C	D
7	A	B	C	D	47	A	B	C	D	87	A	B	C	D	127	A	B	C	D	167	A	B	C	D
8	A	B	C	D	48	A	B	C	D	88	A	B	C	D	128	A	B	C	D	168	A	B	C	D
9	A	B	C	D	49	A	B	C	D	89	A	B	C	D	129	A	B	C	D	169	A	B	C	D
10	A	B	C	D	50	A	B	C	D	90	A	B	C	D	130	A	B	C	D	170	A	B	C	D
11	A	B	C	D	51	A	B	C	D	91	A	B	C	D	131	A	B	C	D	171	A	B	C	D
12	A	B	C	D	52	A	B	C	D	92	A	B	C	D	132	A	B	C	D	172	A	B	C	D
13	A	B	C	D	53	A	B	C	D	93	A	B	C	D	133	A	B	C	D	173	A	B	C	D
14	A	B	C	D	54	A	B	C	D	94	A	B	C	D	134	A	B	C	D	174	A	B	C	D
15	A	B	C	D	55	A	B	C	D	95	A	B	C	D	135	A	B	C	D	175	A	B	C	D
16	A	B	C	D	56	A	B	C	D	96	A	B	C	D	136	A	B	C	D	176	A	B	C	D
17	A	B	C	D	57	A	B	C	D	97	A	B	C	D	137	A	B	C	D	177	A	B	C	D
18	A	B	C	D	58	A	B	C	D	98	A	B	C	D	138	A	B	C	D	178	A	B	C	D
19	A	B	C	D	59	A	B	C	D	99	A	B	C	D	139	A	B	C	D	179	A	B	C	D
20	A	B	C	D	60	A	B	C	D	100	A	B	C	D	140	A	B	C	D	180	A	B	C	D
21	A	B	C	D	61	A	B	C	D	101	A	B	C	D	141	A	B	C	D	181	A	B	C	D
22	A	B	C	D	62	A	B	C	D	102	A	B	C	D	142	A	B	C	D	182	A	B	C	D
23	A	B	C	D	63	A	B	C	D	103	A	B	C	D	143	A	B	C	D	183	A	B	C	D
24	A	B	C	D	64	A	B	C	D	104	A	B	C	D	144	A	B	C	D	184	A	B	C	D
25	A	B	C	D	65	A	B	C	D	105	A	B	C	D	145	A	B	C	D	185	A	B	C	D
26	A	B	C	D	66	A	B	C	D	106	A	B	C	D	146	A	B	C	D	186	A	B	C	D
27	A	B	C	D	67	A	B	C	D	107	A	B	C	D	147	A	B	C	D	187	A	B	C	D
28	A	B	C	D	68	A	B	C	D	108	A	B	C	D	148	A	B	C	D	188	A	B	C	D
29	A	B	C	D	69	A	B	C	D	109	A	B	C	D	149	A	B	C	D	189	A	B	C	D
30	A	B	C	D	70	A	B	C	D	110	A	B	C	D	150	A	B	C	D	190	A	B	C	D
31	A	B	C	D	71	A	B	C	D	111	A	B	C	D	151	A	B	C	D	191	A	B	C	D
32	A	B	C	D	72	A	B	C	D	112	A	B	C	D	152	A	B	C	D	192	A	B	C	D
33	A	B	C	D	73	A	B	C	D	113	A	B	C	D	153	A	B	C	D	193	A	B	C	D
34	A	B	C	D	74	A	B	C	D	114	A	B	C	D	154	A	B	C	D	194	A	B	C	D
35	A	B	C	D	75	A	B	C	D	115	A	B	C	D	155	A	B	C	D	195	A	B	C	D
36	A	B	C	D	76	A	B	C	D	116	A	B	C	D	156	A	B	C	D	196	A	B	C	D
37	A	B	C	D	77	A	B	C	D	117	A	B	C	D	157	A	B	C	D	197	A	B	C	D
38	A	B	C	D	78	A	B	C	D	118	A	B	C	D	158	A	B	C	D	198	A	B	C	D
39	A	B	C	D	79	A	B	C	D	119	A	B	C	D	159	A	B	C	D	199	A	B	C	D
40	A	B	C	D	80	A	B	C	D	120	A	B	C	D	160	A	B	C	D	200	A	B	C	D

'आपके पत्र'

मैं पिछले 5 महीनों से 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' मैगज़ीन का नियमित पाठक हूँ। इस मैगज़ीन की शुरुआत 'संपादक की कलम' से होती है जो बहुत ही शानदार और प्रभावित करने वाली होती है। यह मेरे जैसे गाँव में रहकर IAS का सपना देखने वाले छात्रों के लिये वास्तव में शानदार है। हिंदी माध्यम में अच्छी सामग्री का अभाव होते हुए भी दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे पत्रिका ने अच्छे कंटेंट को इस पत्रिका में समेटने का प्रयास किया है। यह मैगज़ीन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिये वरदान है। इस मैगज़ीन को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिये मैं डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर एवं दृष्टि ग्रुप को कोटि-कोटि धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ।

-अभिषेक गर्ग, शामली (उत्तर प्रदेश)

(पुरस्कृत पत्र)

मैं पिछले दस महीनों से दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का नियमित पाठक हूँ। इस पत्रिका मे ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे- माइंड मैप, विभिन्न मासिक पत्रिकाओं का संग्रह (जिस्ट), पुस्तक समीक्षा इत्यादि जो हमें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाता है। इससे हमारे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और टॉपर से बातचीत, विकास दिव्यकीर्ति सर के लेख से हौसला मिलता है। इस पत्रिका की विशेषता यह भी है कि यह UPSC की नियमावली के अनुसार चलती है।

-प्रत्युष निषाद

हम प्रयागराज शाखा में फाउंडेशन 5 में पिछले 2019 से छात्र हैं। हिंदी माध्यम में जिस तरह से दृष्टि संस्थान अपनी लगन और मेहनत से कार्य कर रहा है यह हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिये अत्यंत गौरव की बात है। यह विद्यार्थियों के जीवन में कुशल प्रशासनिक अधिकारी बनने में अत्यंत सहायता प्रदान करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद टीम दृष्टि।

-रोहित कुमार पटेल, बांदा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश

-मुकेश कुमार यादव, जयपुर, राजस्थान

-दिग्विजयसिंह मौर्य, काशीपुर, उत्तराखंड

-अगम सिंह, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

-ऋषि त्रिपाठी, छत्तीसगढ़

मुझे दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे पत्रिका के बारे में वर्णन करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं विगत दो वर्षों से इस पत्रिका का पाठक हूँ। यह पत्रिका स्वयं में पूर्ण है तथा सिविल सेवा की तैयारी करने के इच्छुक अभ्यर्थी को पूर्ण जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। इसमें न केवल करेंट अफेयर्स का ही विश्लेषण करके उसका वर्णन किया जाता है बल्कि उसको आसानी से अभ्यर्थी किस प्रकार से समझ सकता है यह भी बताया जाता है।

-अनुराग त्रिवेदी

मैं दृष्टि मैगज़ीन का पिछले एक वर्ष से पाठक हूँ। वर्तमान में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या करेंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर रहती है। इसी समस्या का समाधान यह मैगज़ीन करती है। इस पत्रिका का प्रत्येक खंड, जैसे- लेख, करेंट अफेयर्स (विभिन्न विषयों पर), जिस्ट, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में करेंट मुद्दों को विषय के साथ जोड़कर पढ़ने में मदद करता है। अंत में विशेष सामग्री (सप्लीमेंट) पीटी के लिये कम समय मे ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराती है। विकास सर का संपादकीय पृष्ठ काफी सराहनीय है। यह विद्यार्थियों के जीवन में नई दिशा, प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है।

साथ ही, दृष्टि टीम एक और पहल DrishtiIas.com वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक दिन अंग्रेज़ी न्यूज़ पेपर (पढ़ें या न पढ़ें) के द्वंद्व का समाधान करती है। इस वेबसाइट का प्रिलिम्स फैक्ट्स, न्यूज़ एडिटोरियल (जो विभिन्न अंग्रेज़ी न्यूज़ पेपर के महत्त्वपूर्ण एडिटोरियल का हिंदी अनुवाद होता है) प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के लिये अत्यंत उपयोगी है।

हमारी ओर से टीम दृष्टि मैगज़ीन, वेबसाइट को धन्यवाद!

-सिद्धार्थ सिंह, अयोध्या (उत्तर प्रदेश)

मैं दृष्टि टीम से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं विकास सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके पढ़ाने का तरीका ही अलग और अद्भुत है। और जो संपादक की कलम से लेख लिखा रहता है वो पढ़ने के बाद एक अलग ही एनर्जी मिलती है।

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे मैगज़ीन को रेगुलर पढ़ता हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन रहता है। मुझे और बाकी मैगज़ीन से सबसे अच्छी दृष्टि की मैगज़ीन लगती है। बहुत-बहुत धन्यवाद

-आदर्श कुमार, गया, बिहार

आप सभी पाठकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें हौसला देती हैं एवं निरंतर बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कार्यकारी संपादक की ई-मेल आईडी *purushottam@groupdrishti.com* पर भेजें। आपकी चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम आपके नाम के साथ मैगज़ीन में छापेंगे तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया भेजने वाले को उपहारस्वरूप अगले तीन महीने की मैगज़ीन भेजेंगे। *धन्यवाद*

Postal Regn. No. : DL(N)/353/2019-21
Posted at New Subji Mandi
PO Delhi, 9-10 June, 2020
ISSN: 2455-6025 RNI : DELHIN/2015/63103 Publishing Date : 4th , June 2020

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स
(IAS Prelims Online Course)

प्रिय विद्यार्थियो,

संसाधन की कमी अक्सर हमारी उड़ान को सीमित कर देती है। हममें आगे बढ़ने की तड़प तो खूब होती है किंतु उसे साकार करने वाले साधनों का अभाव हमें मायूस कर देता है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों से आप जैसे हज़ारों विद्यार्थियों ने हमें इस आशय के संदेश भेजे कि वो सिविल सेवा में जाने की इच्छा तो रखते हैं किंतु इसकी तैयारी के लिये दिल्ली में रहने का भारी-भरकम खर्च उठा पाना उनके लिये संभव नहीं है। साथ ही आपने हमसे यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसमें आप घर-बैठे दृष्टि की कक्षा कार्यक्रम जैसी गुणवत्तापरक क्लास कर पाएँ। आपके इन्हीं निवेदनों को ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला 'पेन ड्राइव कोर्स' जारी कर रहे हैं जो आई.ए.एस. प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर मेहनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

विद्यार्थियों की भारी माँग को देखते हुए ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स
पर 20% की विशेष छूट अब शुरुआती 1000 विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** पर **FAQs** पेज देखें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दिल्ली (मुखर्जी नगर) एवं प्रयागराज (सिविल लाइन्स) के अतिरिक्त हमारी कोई शाखा नहीं है। भ्रामक विज्ञापनों से बचें।

करेंट अफेयर्स से जुड़े दैनिक अपडेट्स के लिये देखें हमारी वेबसाइट : drishtiias.com
और हमारा YouTube चैनल : Drishti IAS

अब आप 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' को amazon.in से भी खरीद सकते हैं।

ISSN 2455-6025
9 772455 602504